खण्ड-242, अंक-1
सोमवार, 1 आश्विन, शक संवत् 1885
(23 सितम्बर, 1963 ई0)

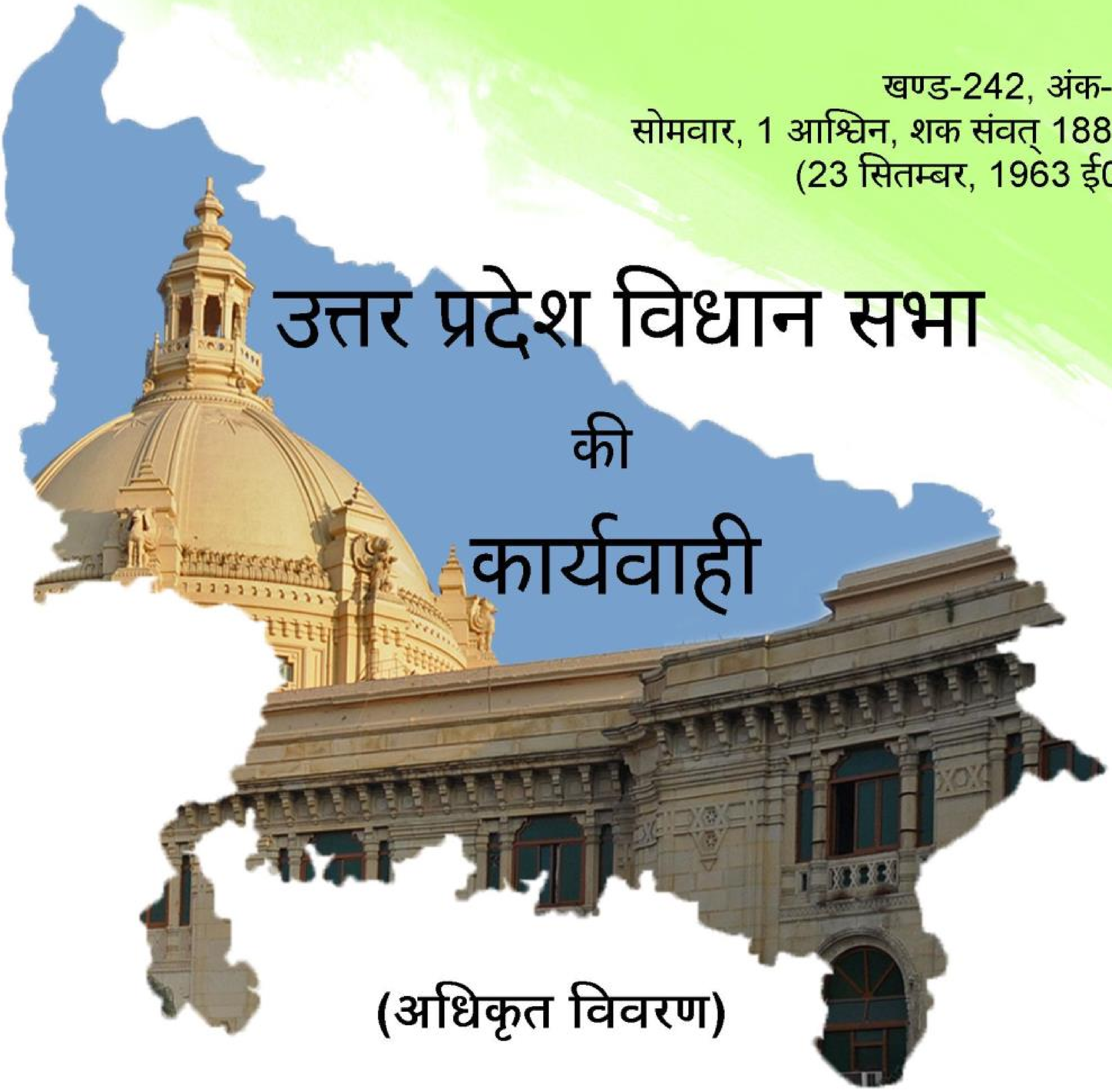

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 242 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
सत्ताधारी दल के नेता क चुनाव में अध्यक्ष द्वारा कथित सक्रिय भाग लेने पर आपत्ति	५–६
सदन को आहूत करने के सम्बन्ध में अपनायी गयी कथित गलत प्रक्रिया पर आपत्ति (जारी)	६
सत्ताधारी दल के नव-निर्वाचित नेता के चुनाव के उपरान्त वर्तमान नेता सदन के कार्य करने पर आपत्ति (जारी)	६–१२
सदन को आहूत करने के सम्बन्ध में अपनायी गयी कथित गलत प्रक्रिया पर आपत्ति	१२–१३
सत्ताधारी दल क नव–निर्वाचित नेता के चुनाव के उपरान्त वर्तमान नेता सदन के कार्य करने पर आपत्ति (जारी)	१
प्रश्नोत्तर	१३–३
सदन को स्थगित करने की प्रार्थना	३
विधान सभा सदस्य, श्री रामशंकर रविवासी तथा भूतपूर्व सदस्या श्रीमती उमा नेहरू के निधन पर शोकोद्गार	३६–३९
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ (मेज पर रखा गया)	३९–४०
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ (मेज पर रखा गया)	४०
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ (मेज पर रखा गया)	४०
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ (मेज पर रखा गया)	४१–४७
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) नियमावली, १९६३ (मेज पर रखी गई)	४७
श्री शाहिद फाखरी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की प्रश्न के बारे में जानकारी	४७–४८
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६३ (मेज पर रखी गयी) ..	४८
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों के सदस्यों को चुनने की) नियमावली, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	४८
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	४८–४९
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यता से सम्बद्ध विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६३ (मेज पर रखी गयी)	४

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार नियम, १९६३ (मेज पर रखे गये)	४९
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कठिनाइयों को दूर करने का) (चतुर्थ) आदेश, १९६३ (मेज पर रखा गया)	४९
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्ता का भुगतान) नियमावली, १९६३ (मेज पर रखी गयी) ..	४९–५०
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५०
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५०
टेहरी गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५६ की धारा २ के अन्तर्गत प्रस्तावित आज्ञा (मेज पर रखी गयी) ..	५०
उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, लखनऊ के ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	५०
उत्तर प्रदेश वृहत जोतकर नियमावली, १९६३ (मेज पर रखी गयी) ..	५१
यंत्र चालित वाहनों से भिन्न वाहनों (Vehicles) तथा किराये पर चलने वाली या नगर के भीतर रखी गयी अन्य गाड़ियों (Conveyances) या वहां बांधी जाने वाली नावों पर कर निर्धारित करने और उसकी वसूली की नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	५१
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्माण कार्यों के लिए विस्तृत नक्शे और तखमीने तैयार और स्वीकृत करने तथा टेन्डर आदि आमंत्रित करने, उनकी जांच और उन्हें स्वीकार करने की) नियमावली, १९६३ (मेज पर रखी गयी) ..	५१
उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५१–५२
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५२
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५२
उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार नियम, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५२
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५२
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के प्रयोजनों के निमित्त गंदा तथा हानिकर भोजन नियत करने का नियम (मेज पर रखे गये)	५३
उत्तर प्रदेश नगर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९६१ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५३
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कठिनाइयों को दूर करने का) (पंचम) आदेश, १९६३ (मेज पर रखा गया)	५३

विषय	पृष्ठ संख्या
दि इंडियन टरपेन्टाइन ऐन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड बरेली, दि इंडियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली और दि टरपेन्टाइन सब्सिडियरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्ष १९६०–६१ के कार्य संचालन की रिपोर्ट (मेज पर रखी गयी)	५३–५४
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, १९६३ तथा उसमें प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५४
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, १९६१ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५४
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यों का अनुमेलन) नियमावली, १९६३ (मेज पर रखी गयी)	५४
डिलिमिटेशन कमीशन आर्डर नम्बर १, दिनांक २० मार्च, १९६३ (मेज पर रखा गया)	५४
वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस–टी–१७३८/दस –१०१२–१९६३, दिनांक १ जून, १९६३ (मेज पर रखी गयी) ..	५५
वित्त-लेखा) परीक्षा तथा बिक्री कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस–टी–१७३८-दस–१०१२–१९६३, दिनांक १ जून, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५५
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५५
यू० पी० पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	५५–५६
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९६१ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५६
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५६
नगर महापालिकाओं के कार्यालयों में सार्वजनिक छुट्टियां मनाने से सम्बन्धित नियम (मेज पर रखे गये)	५६
नगर महापालिका न्यायाधिकरण (कार्य संचालन) नियमावली, १९६३ (मेज पर रखी गयी)	५६–५७
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन मेज पर रखे गये) ..	५७
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५७
डिलिमिटेशन कमीशन आर्डर नं० २, दिनांक २४ अगस्त, १९६३ (मेज पर रखा गया)	५७
उत्तर प्रदेश सरकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६३ (मेज पर रखी गयी) ..	५७
वित्त (लेखा–परीक्षा तथा बिक्री–कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस–टी–१८७।१०-९००(१५)-६१, दिनांक १३ मई, १९६३ (मेज पर रखी गयी)	५७
गोरखपुर गोली कांड जांच आयोग का प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया) ..	५८
उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर विधेयक, १९६३ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण (मेज पर रखा गया)	५८

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक, १९६३ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण (मेज पर रखा गया)	५८
उत्तर प्रदेश वृहत जोतकर विधेयक, १९६३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५८
ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	५९
उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक, १९६३ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	५९
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५९
उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	५९
उत्तर प्रदेश विधि (नई दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) विधेयक, १९६३ (मेज पर रखा गया) ..	५९-६०
उत्तर प्रदेश (टैम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३ (मेज पर गया रखा)	६०
उत्तर प्रदेश (टैम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९६३ (मेज पर रखा गया)	६०
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ (मेज पर रखा गया)..	६०
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३ (मेज पर रखा गया) ..	६०
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३ (मेज पर रखा गया)	६१
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३ (मेज पर रखा गया)	६१
कांस्टीट्यूशन (सिक्स्टीन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९६३ (मेज पर रखा गया) ..	६१
तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	६१
तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	६१
तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	६२
तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	६२
तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का षष्ठ तथा सप्तम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किये गये)	६२-६३
आश्वासन समिति का बीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	६३-६४
"मां की पुकार" नामक प्रदर्शनी के आयोजकों तथा व्याख्याकारों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का निर्णय (प्रश्न समाप्त)	६४-६५

विषय	पृष्ठ संख्या
आश्वासन समिति के एक निर्णय के सम्बन्ध में 'नेशनल हेरल्ड' में गलत समाचार प्रकाशित करने के सम्बन्ध में उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय (समाप्त)	६ –६६
लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के सदन में प्रस्तुत होने के पूर्व कुछ अंशों के "नार्दर्न इंडिया पत्रिका", इलाहाबाद में प्रकाशित होने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (जारी)	६६–६७
सत्ताधारी दल के नव-निर्वाचित नेता के चुनाव के उपरान्त वर्तमान नेता सदन के कार्य करने पर आपत्ति (जारी)	६८
लोक लेखा समिति क प्रतिवेदन के सदन में प्रस्तुत होने के पूर्व कुछ अंशों के "नार्दर्न इंडिया पत्रिका" इलाहाबाद में प्रकाशित होने की सम्बन्ध में बिशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (समिति को निर्दिष्ट) ..	६८–७०
सत्ताधारी दल के नव-निर्वाचित नेता के चुनाव के उपरान्त वर्तमान नेता सदन के कार्य करने पर आपत्ति	७०–७१
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें	७१
प्रदेश के विभिन्न भागों में बाढ़ के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव, नियम ५२ तथा नियम ५३ के अन्तर्गत सूचनायें	७२–७६
परीक्षाओं में असफल हरिजन विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां बन्द हो जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	७६–७७
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचना	७७
मंत्रि-परिषद् के ९ सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	७७–७८
गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	७८
राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में ४ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	७८
विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	७९
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (पुरःस्थापित किया गया)	७९–८०
उत्तर प्रदेश विधि (नयी दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रस्थापन विधेयक, १९६३ (स्थगित)	८०–८१
कांस्टीट्यूशन (सिक्स्टीन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९६३ (स्थगित) ..	८१–८३
असरकारी दिवस न दिये जाने पर आपत्ति	८३
सदन की बैठक की अवधि सम्बन्धी सूचना श्री अध्यक्ष को देने से पूर्व पत्रों में प्रकाशित करने पर आपत्ति	८४
सदन के भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना	८४–८५
जनसंघ दल के नव-निर्वाचित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना ..	८५–८६
नत्थियां	८७–११४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २३ सितम्बर, १९६३

132677

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री सबनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४०९

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुज प्रसाद, वर्मा श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्तुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चैतन्यराज सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलरहमान किदवई, श्री

जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैय्यद
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्प्रेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री

नवलकिशोर, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री

मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल आचार्य, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री

वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंहयूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह हिसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

सत्ताधारी दल के नेता के चुनाव में अध्यक्ष द्वारा कथित सक्रिय भाग लेने पर आपत्ति

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह कहां तक उचित था कि आपने इस चुनाव में दरवाजे-दरवाजे जाकर एक ग्रुप के नेता के पक्ष में कन्वेसिंग किया जिसका जिक्र एक पेपर में भी है और उसमें यह भी है कि आपने यह स्वीकार किया है कि आपने कन्वेसिंग किया। मैं पूंछना चाहता हूं कि यह कहां तक उचित था ?

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में आप मुझसे लिख कर उत्तर मांग सकते थे, या आप आफिस में मुझ से मिल सकते थे । मैं यह निवेदन करूंगा कि आप मुझ से, इस संबंध में, आफिस में बात कर लें और फिर, यदि आप उचित समझें तो उसे सदन में ला सकते हैं ।

सदन को आहूत करने के सम्बन्ध में अपनायी गयी कथित गलत प्रक्रिया पर आपत्ति

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि हाउस को समन (Summon) करने का जो तरीका है वह क्या इस्तेमाल किया गया है या नहीं ? हमारे नियम ४ में यह है कि राज्यपाल जब असेम्बली को समन करेंगे तो ओरीजिनल लेटर की कापी स्पीकर के पास आयेगी और फिर स्पीकर द्वारा हाउस समन किया जायेगा, लेकिन जो विज्ञप्ति जारी हुई है गवर्नमेंट के सचिव की ओर से हुई है । इसलिये यह सदन गलत तरीके से बैठा हुआ है, इस पर आप अपना निर्णय दें ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन कर दूं कि इस संबंध में हमारे नियम स्पष्ट नहीं हैं । उसमें केवल यह है कि जब गवर्नर महोदय आदेश देंगे कि सदन आहूत किया जाय तो हमारे विधान द्वारा माननीय सदस्यों को समन (Summon) किया जायेगा । इस संबंध में मैं एक बात और कह दूं कि यह प्रश्न मैंने स्वयं उठाया है, और सरकार से इस विषय पर बात चल रही है । इस समय, अब तक जो प्रथा रही है, उसी के अनुसार काम हुआ है । जो परिवर्तन माननीय भगवानसहाय जी लाना चाहते हैं, मैं भी उसी के लिये बात कर रहा हूं । यह मेरे विचाराधीन है ।

सत्ताधारी दल के नव-निर्वाचित नेता के चुनाव के उपरान्त वर्तमान नेता सदन के कार्य करने पर आपत्ति

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस समय सदन का नेता कौन है ? मैं ऐसा समझता हूं कि हाउस आफ कामन्स में, आप मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस का पृष्ठ २६० देखें, इसके लिये जो व्यवस्था है उसके लिये हमारे यहां कोई ऐसी चीज नहीं है । अपने यहां तो यह है कि जिस दल के २५ सदस्य हो जायेंगे, उसको एक दल समझा जावेगा । और पार्टी के अन्दर नेता का अब चुनाव हो जायेगा तो वही उसका नेता समझा जायेगा । इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि अब कांग्रेस पार्टी दल ने अपने नेता का चुनाव कर लिया तो वहां नेता पद पर उसे बैठना चाहिये, आज दूसरा व्यक्ति इस स्थान पर क्यों बैठा है ?

श्री अध्यक्ष—

इंगलैण्ड में आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर एक होता है और नेता सदन दूसरा व्यक्ति होता है । वह रूल हम पर एप्लाई नहीं करता ।

जहां तक इस सदन का प्रश्न है, माननीय चन्द्रभानु गुप्त अभी इस सदन के नेता हैं । उनके उत्तराधिकारी का चुनाव हुआ है । जब गुप्त जी इस्तीफा देंगे तभी उनका उत्तराधिकारी उस आसन को ग्रहण कर सकेगा । इस समय सदन के नेता माननीय चन्द्रभानु गुप्त ही रहेंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक व्यवस्था का प्रश्न आप को दिया है । प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्री चन्द्रभानु गुप्त ने इस्तीफा प्रधान मंत्री को दिया । उन्होंने स्वीकार

करके कार्य समिति को दिया जिसने उसे स्वीकार किया । माननीय मुख्य मंत्री ने अखबारों में सार्वजनिक तरीके से घोषणा कर दी । मगर महामहिम राज्यपाल को जिन्होंने इन्हें नियुक्त किया है और इस पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई उन्हें इसका कुछ पता ही नहीं है । तो अब माननीय मुख्य मंत्री की एक विचित्र स्थिति हो गई है । उन्हें अधिकार नहीं है कि अध्यादेश निकालें या सदन की बैठक बुलायें । सारा काम विधान की धाराओं का उल्लंघन करके हो रहा है । हमारे यहां मुख्य मंत्री की हैसियत से उन्होंने एक स्कूल का उद्घाटन भी किया है और मैंने वहां एक पत्र भी उन्हें लिखा था । यह सब संविधान के विरुद्ध है । आप इस पर व्यवस्था दें ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

७ अक्तूबर, १९६० को डाक्टर सम्पूर्णानन्द इस सदन के नेता थे । जिस समय वह सदन में आये उन्होंने कहा था कि सत्ताधारी दल के अन्तर्गत जो चुनाव हुये हैं उनसे यहां कुछ विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण कोई कार्य सदन के सामने लाना उचित नहीं होगा । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि यह सदन स्थगित कर दिया जाय । उन्होंने यह कहा था कि सदन की बैठक कुछ कार्य के लिये बुलाई गई थी मगर अब वह कार्य करना उचित नहीं होगा चूंकि प्रदेश में कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हुईं जो कि माननीय गुप्त जी पार्टी के नेता चुने गये थे । यह ७ अक्तूबर की कार्यवाही का अंश है जो मैंने संक्षेप में बतलाया है । ऐसी हालत में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि सदन को स्थगित कर दें क्योंकि कोई भी नीति वह अपनी नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनके स्थान पर नया नेता चुन लिया गया है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मान्यवर, आर्टीकिल १६४ में, संविधान की, जिसमें मुख्य मंत्री की नियुक्ति होती है, उसमें नेता सदन का जिक्र नहीं है । एक प्रकार से पार्टी में उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया है । अब यह बात दूसरी है कि उन्होंने लीप-पोत कर- . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप कमेंटरी रहने दीजिये, अपनी बात कहिये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

कांग्रेस पार्टी ने अपने अन्दर के नियम बदले हैं या नहीं, यह तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन आज तक सदन की परम्परा यह रही है कि नेता सदन के इस्तीफा देने के बाद ही नया नेता चुना जाता है और आपने तो स्वयं वोट दिया है । अब दूसरा नेता चुना जा चुका है तो कौन से ऐसे विशेष कारण हैं जिनसे कोई व्यक्ति विशेष इस कुर्सी से चिपके हुये हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

आपने स्वयं कहा है कि जिस प्रकार यह सदन की बैठक बुलाई गयी है उससे आप स्वयं सहमत नहीं हैं । ३० अगस्त को समाचार पत्रों में सूचना विभाग के निदेशक की ओर से प्रकाशित हुआ कि राज्यपाल महोदय के आदेश से १६ सितम्बर से दोनों सदनों की बैठक बुलाई गई है । उसके बाद यह निकला कि मुख्य मंत्री जी राज्यपाल महोदय से मिले और उन्होंने राज्यपाल से हस्तक्षेप कराके विधान सभा की बैठक के लिये कहा कि २३ सितम्बर को बुलाई जाय । ३० अगस्त की सूचना का कोई खन्डन नहीं किया गया । इसके बाद ३१ अगस्त को दूसरी सूचना निकलती है कि . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न दूसरा है । यहां इस समय प्रश्न यह है कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त इस वक्त सदन के नेता हैं या नहीं और मुख्य मंत्री के पद पर काम कर सकते हैं या नहीं ।

श्री उग्रसेन—

उन्होंने गोपनीयता और पद की शपथ का उल्लंघन किया है या नहीं, यह भी प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न केवल यह है कि चन्द्रभानु गुप्त नेता हैं या नहीं और मुख्य मंत्री के पद पर काम कर सकते हैं या नहीं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

सभी जगह विधान सभाओं में बहुमत पार्टी के नेता होते हैं । मैजारिटी पार्टी का नेता जो चुना जाता है वही बहुमत पार्टी का नेता चुना जाता है और महामहिम राज्यपाल उसे ही अपनी काउंसिल आफ मिनिस्टर्स बनाने के लिये आमंत्रित करते हैं । यहां पर स्थिति यह है कि २, २ नेता सदन बैठे हुये हैं, एक तरफ माननीय चन्द्रभानु गुप्त और दूसरी तरफ श्रीमती सुचेता कृप लानी हैं । यह डेमोक्रेटिक परम्पराओं के बिलकुल विपरीत है कि ऐसा आचरण इस सदन में हो रहा है । आप सक्षम हैं और इस सदन की परम्पराओं के रक्षक हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर अपना निर्णय दें जिससे सदन की परम्परा आपके इस कुर्सी पर विराजमान रहते हुये कायम रह सके ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

यह प्रश्न उठाया गया है कि अब कौन सदन का नेता है । परसों के दिन केवल १८७ मत उनको मिले । १४२ उधर मिले । संविधान की आर्टीकिल १६३ में कहीं नहीं लिखा है कि नेता किसी पार्टी के बहुमत से चुना जायगा । वहां कानफीडेंस आफ दि हाउस लिखा है । १४२ में विरोध पक्ष के सदस्यों को जोड़ लीजिये, तो १८७ से कहीं अधिक होते हैं । यह सब जो हो रहा है यह विरोधाभास है, बल्कि विरोध है, विरोधाभास भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

संविधान का प्रश्न इतनी व्याख्याओं और तथ्यों पर नहीं होता है ।

श्री दीपनारायणसिंह—

संविधान में अगर यह है कि बहुमत से चुना जायगा तो आप सुचेताजी को मान लें ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मेरा निवेदन भी व्यवस्था देने से पहले आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं सुनने के लिये तैयार हूं । प्रश्न आप की सम्पत्ति है, उसे आप लुटाना चाहते हैं तो लुटा सकते हैं ।

श्री रामायणराय—

आज सदन का नेता कौन है, इस सम्बन्ध में आप मेरी राय जानना चाहते हैं ।

अनेक सदस्य—

नहीं, नहीं ।

श्री रामायणराय—

मेरे तर्कों को आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आपके क्या तर्क हैं जिनकी बुनियाद पर आप कहते हैं यह कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त यहां मुख्य मंत्री नहीं हैं ?

श्री रामायणराय—

मान्यवर, आप केवल इन्हीं तर्कों को सुन लें । जब से माननीय सुचेता कृपालानी जी का चुनाव सम्पन्न हो गया है, इस प्रदेश की ही नहीं समूचे देश की जनता.....

श्री अध्यक्ष—

यह बात कही जा चुकी है ।

श्री रामायणराय—

यह जनतंत्र की सरकार है इसमें आखिर बहुमत दल के व्यक्ति को ही नेता क्यों चुना जाता है ?

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या प्रश्नोत्तर पोस्टपोन कर दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, मैंने जो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस और अपने सदन की प्रक्रिया नियमावली के बारे में जानने का प्रयास किया तो उसमें यह बात साफ तौर से बतायी गयी है कि बहुमत दल के नेता को ही क्यों सदन का नेता माना गया है और उसकी मंशा यह है कि बहुमत की इच्छा के अनुकूल शासन का संचालन हो सके । इसी आधार पर यह परम्परा रही है कि कोई भी व्यक्ति जो बहुमत दल की ओर से नेता चुना जाय उसी को सदन का नेता माना जाय । अब श्रीमती सुचेता कृपालानी जी को बहुमत दल के नेता के रूप में स्वीकार कर लिया गया है इसलिये माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी सदन के नेता नहीं रहे।

श्री अध्यक्ष—

यह बहस तो हो चुकी है । और कोई नयी बात हो तो बताइये ।

श्री रामायणराय—

जो व्यवस्था है उसका मूलभूत आधार जनमत है सदन के बाहर किसी से भी पूछा जाय कि प्रदेश का मुख्य मंत्री कौन है तो वे यही कहेंगे कि श्रीमती सुचेता कृपालानी जी मुख्य मंत्री के आसन पर विराज चुकी हैं । इसलिये यह घपला है और इससे उत्पन्न जनता के मन में जो भ्रम है उसको निवारण किया जाना चाहिये । इसी प्रकार के भ्रम को मिटाने के लिये माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने यह कहा था कि यह ऐसा अवसर है कि जिस समय सदन को आहूत नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप रिपीटीशन कर रहे हैं ।

श्री रामायणराय—

इस स्थिति में जब तक यह भ्रम बना हुआ है, इस सदन को न चलने का आदेश दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं बहुत ही नम्रता से इस आदरणीय सदन के सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर आप संविधान की दृष्टि से ध्यान दें । पहला प्रश्न तो यह है कि क्या माननीय सुचेता जी इस सदन की नेता चुन ली गयीं ? जहां तक मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, माननीय सुचेता जी को उत्तराधिकारी चुना गया है माननीय गुप्ता जी का, उनके इस्तीफा देने के बाद । इस समय माननीय सुचेता कृपालानी इस सदन की नेता नहीं हैं । लेकिन अगर मैं आपके तर्क को मान भी लूं कि माननीय सुचेता जी को कांग्रेस दल ने अपना नेता चुन भी लिया तो भी आप संविधान के अनुच्छेद १६३ और १६४ को देखें ।

"१६३—(१) जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्यों अथवा उनमें से किसी को स्वविवेक से करे उन बातों को छोड़ कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा ।

(२) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं कि जिसके सम्बन्ध में इस संविधान के द्वारा या अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह स्वविवेक से कार्य करे तो राज्यपाल का स्वविवेक से किया हुआ विनिश्चय अन्तिम होगा तथा राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की मान्यता पर इस कारण से कोई आपत्ति न की जायगी कि उसे स्वविवेक से कार्य करना, या न करना चाहिये था ।

१६४—(१) मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की मंत्रणा से करेगा तथा राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त मंत्री अपने पद धारण करेंगे ।

(२) मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।"

अब आप देखें कि संविधान के अनुच्छेद १६३ में तो यही है कि राज्यपाल मंत्रि-परिषद् की राय से काम करेगा और मंत्रि-परिषद् के सम्बन्ध में यह है कि मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी और मंत्री के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त होंगे वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त उस पद को धारण करेंगे । तो मुख्य मंत्री के पद के सम्बन्ध में हमारे संविधान में कहीं यह नहीं लिखा है कि उस पार्टी से चुना जाय जो बहुमत में हो या जो नेता बहुसंख्यक पार्टी द्वारा चुना जाय वही मुख्य मंत्री हो । ऐसा कोई प्राविधान हमारे संविधान में नहीं है । यह राज्यपाल को स्वयं विनिश्चय करना है, अपने स्वविवेक से । वह जिसको उचित समझे बुलाये और कहे कि तुम मंत्रि-परिषद् बनाओ । तो मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के स्वविवेक से होती है । उसके लिये उसे किसी से मंत्रणा करने की आवश्यकता नहीं होती ।

अब एक मर्तबा सही या गलत तरीके से उन्होंने मुख्य मंत्री को चुन लिया तो फिर प्रश्न यह उठता है कि वे अपने उत्तरदायित्व से मुक्त कब होते हैं ? आपको आश्चर्य होगा कि हमारे संविधान में यह भी मुझे नहीं मिला कि मुख्य मंत्री या मंत्रि-परिषद् या सरकार के विरुद्ध कोई अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाय तो मुख्य मंत्री और मंत्रि-परिषद् स्वयं बिना और किसी कृत्य के अपने आप कार्य-भार से मुक्त हो जायेंगे । यह एक परम्परा की बात है कि जब नये नेता का चुनाव हो तो पूर्ववर्ती नेता को मुक्त कर दिया जाता है । यह नहीं है कि मुख्य मंत्री अपनी इच्छा से जब चाहे अपने को कार्य भार से मुक्त करने के लिये इस्तीफा दे दे और यह कहे कि चूंकि मैंने इस्तीफा दे दिया है इसलिये मैं अब कोई काम नहीं देखूंगा । जब तक राज्यपाल उनको मुक्त न करे तब तक इस्तीफा देने के बाद भी वे मुक्त नहीं हो सकते हैं । इस्तीफा देने के बाद भी राज्यपाल मुख्य मंत्री को विवश कर सकते हैं कि जब तक कोई अन्य प्रबन्ध नहीं होता तब तक तुम कार्य संभालो और उन्हें संभालना पड़ेगा । तो ऐसी स्थिति में जहां तक

राज्यपाल और मुख्य मंत्री का सम्बन्ध है यह राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है कि वह जब चाहे मुख्य मंत्री को उनके पद से विमुक्त करे । माननीय मुख्य मंत्री चन्द्रभानु गुप्त ने अपना इस्तीफा दे दिया अपने दल के अन्दर, दल के अन्दर तमाम काम होते हैं, एक आदमी अपने विचार व्यक्त करता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने पद से मुक्त कर दिया जाऊं ताकि मैं अपना समय किसी दूसरे काम में लगा सकूं, वह अपनी इच्छा प्रकट करता है, पार्टी के कुछ अपने आन्तरिक नियम होते हैं जिनके सम्बन्ध में हम यहां अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते । यहां उनकी चर्चा नहीं हो सकती । कांग्रेस पार्टी का नियम है कि कोई व्यक्ति अपने पद को नहीं छोड़ सकता जब तक कि उनको हाईकमान्ड का आदेश प्राप्त न हो जाय । उसके अन्तर्गत उन्होंने कहा कि तुम मुक्त हो सकते हो, तैयार रहो लेकिन तुम्हारे स्थान पर तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी चुन लिया जाय उसके बाद इस्तीफा देना । फिर इस्तीफा देने पर भी राज्यपाल भी कह सकते हैं कि आप उस वक्त तक मुक्त नहीं होंगे जबतक कि आपका उत्तराधिकारी न चुन लिया जाय और ठीक व्यवस्था न हो जाय । इस वक्त सूरत यह है कि न तो इस सदन की और न पार्टी की नेता माननीय सुचेता जी हैं वह तो केवल माननीय मुख्य मंत्री चन्द्रभानु जी गुप्त के इस्तीफा देने के अनन्तर अधिकारिणी होंगी, अभी तो वह न कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं और न इस सदन के नेता होने की अधिकारिणी हैं । वह नेता उस समय होंगी जब माननीय राज्यपाल उन को आमंत्रित करेंगे और उनको मुख्य मंत्री पद देंगे परन्तु इस क्रिया से पहले वह सदन की नेता नहीं हो सकतीं । इस सम्बन्ध में जो आपत्तियां उठाई गई हैं वे अमान्य हैं और उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

अनेक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मेरी आपत्ति का जवाब नहीं मिला । मेरा प्रश्न यह था कि दल का नेता न रहने पर उन्होंने अपना इस्तीफा माननीय राज्यपाल को क्यों नहीं भेजा और जब उनकी नियुक्ति माननीय राज्यपाल ने की है तो उन्होंने उनको इस्तीफा क्यों नहीं भेजा और शपथ और गोपनीयता का उल्लंघन क्यों किया ?

श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, मैं उग्रसेन जी के प्रश्न का उत्तर दूंगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, हमारा व्यवस्था का प्रश्न.....

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप सब बैठ जांय, पहले मेरी बात सुन लें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की व्यवस्था पर एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं ।...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो व्यवस्था मुझे, उठाई गई आपत्तियों पर देना थी वह मैं दे चुका हूं । अब केवल एक बात यह रह गई है कि जो माननीय उग्रसेन जी ने उठाई है, उसका जवाब मैंने नहीं दिया है वह मैं अभी दूंगा लेकिन जहां तक माननीय मुख्य मंत्री चन्द्रभानु गुप्त के नेता सदन होने और उनके जहांतक मुख्य मंत्री पद पर रहने की बात है उस सम्बन्ध में अब कोई विवाद या प्रश्न नहीं उठेंगे ।

(सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

अब आप लोग बैठ जायं ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, आप मेरे प्रश्न का जवाब बाद म दे दें । कोई जल्दी नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि आपने इस बात पर तो व्यवस्था दी और आपने कहा कि च हे सदन का विश्वास हो या न हो तब भी माननीय राज्यपाल मुख्य मंत्री को कार्य चलाने के लिये रखे रह सकते हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय चन्द्रभानु गुप्त में इस सदन का विश्वास है, माननीय सुचेता जी के चुनाव के बाद उन में सदन का विश्वास नहीं है और प्रश्न यह है कि अब वह सदन के मुख्य मंत्री नहीं हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की व्यवस्था पर एक क्लेरिफिकेशन यह चाहता हूं कि जहां आपने संविधान की इन धाराओं की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट किया कि जिसके अन्दर काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स कौन बनाता है और किसको राज्यपाल आहूत करता है काउन्सिल आफ़ मिन्स्टिर फार्म करने के लिये, वहीं पर अनुच्छेद १६३ पर जो बसु की कमेंटरी हैं उसमें साफ लिखा है.....

श्री अध्यक्ष—

यह मेरी व्यवस्था पर बहस है, मैं इसको एलाऊ नहीं करता ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं क्लेरीफ़िकेशन चाहता हूं । मेरा कहना है कि कमेंटरी में है कि सदन का नेता वही होता है जो बहुमत दल का नेता होता है । यहां कांग्रेस बहुमत दल की नेता माननीया सुचेता कृपालानी जी हैं । इसलिये मैं चाहता हूं आप अपनी व्यवस्था पर पुनः विचार करें ।

सदन को आहूत करने के सम्बन्ध में अपनायी गयी कथित गलत प्रक्रिया पर आपत्ति—(क्रमागत)

श्री भगवानसहाय—

श्रीमान्, मैंने एक प्रश्न व्यवस्था का रखा था । उस पर आपने कोई निश्चित व्यवस्था नहीं दी । मेरा सवाल यह है कि आज की असेम्बली गैर-कानूनी तरीके से बुलायी गई है । नियम ४ कहता है कि इस असेम्बली को समन करने का अधिकार किसको है ? ऐग्जीक्यूटिव को या आपको । अगर आप द्वारा बुलायी गई तो वैधानिक है और अगर सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट की मार्फत बुलायी गई तो अवैधानिक है । दूसरा प्रश्न यह है कि मेरी निश्चित जानकारी है कि गवर्नर का आदेश आपके पास इस बात का आया कि १६ तारीख को असेम्बली की मीटिंग बुलायी जाय । मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास गवर्नर का आदेश आया था कि नहीं और अगर आया था तो उस पर काम क्यों नहीं हुआ ? और वह विदड्रा हुआ कि नहीं ? मतलब यह है कि गवर्नर का आदेश आपके पास आया था कि नहीं, और अगर आया था तो उसको विदड्रा करने का पत्र फिर से आया कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

नियम ४ में है कि "समय -समय पर सभा का आवाहन राज्यपाल द्वारा नियत समय और स्थान पर समवेत होने के लिये किया जायगा। तथा (२) उपनियम (१) के अन्तर्गत आवाहन-पत्र इस प्रकार नियत तिथि से साधारण या चौदह दिन पूर्व सचिव द्वारा निर्गत किये जायेंगे"। और सचिव की व्याख्या नियमों में दी हुई है। उसी के द्वारा आवाहन पत्र निर्गत किये गये। अतः प्राग्दर्शन में कोई अनियमितता नहीं है।

नियम ४ पर अब कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

१६ तारीख को जो आदेश दिया गया था वह वापस हुआ कि नहीं। मेरी जानकारी है कि १६ तारीख का आदेश वापस नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न माननीय नेकराम शर्मा जी तथा भगवान सहाय जी ने उठाया वह प्रश्न अलग से सूचना द्वारा उठाया गया है उस पर विचार कर लेंगे।

सत्ताधारी दल के नव-निर्वाचित नेता के चुनाव के उपरान्त वर्तमान नेता सदन के कार्य करने परआपत्ति—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं माननीय कल्पनाथसिंह जी से कहना चाहता हूं कि किसी मुख्य मंत्री या सरकार में विश्वास है कि नहीं जब यह प्रश्न उठेगा तो यह मान लिया जायगा कि विश्वास है जब तक कि अविश्वास का प्रस्ताव पास न हो।

अब यह विषय समाप्त होता है।

(श्री दीपनारायणसिंह के खड़े होने पर) माननीय सदस्य बैठें। प्रश्नों के अनन्तर आप की बात सुनेंगे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २३ सितम्बर, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पूर्वी जिलों की आर्थिक जांच कमेटी

**१—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पूर्वी जिलों की आर्थिक जांच कमेटी पुनः जांच के लिए आने वाली है? यदि हां, तो उक्त जांच कमेटी के समक्ष पुनः कौन-कौन से प्रश्न हैं?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

जी हां। उक्त जांच कमेटी ने जौनपुर और आजमगढ़ जिलों का भ्रमण गत ८ से १० सितम्बर, १९६३ तक किया और वह देवरिया तथा गाजीपुर का भ्रमण २५ से २७ सितम्बर, १९६३ तक करने वाली है। उसके समक्ष कोई नवीन प्रश्न नहीं है। वह पूर्वी जिलों के आर्थिक विकास से संबंधित सारे प्रश्नों पर विचार कर रही है।

*२—श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मुख्य मंत्री को पूर्वी जिलों की जांच के बारे में प्रदेश के किसी संसद सदस्य का पत्र केन्द्रीय नियोजन मन्त्री द्वारा सुझाव एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र क्या है और सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां । दो संसद सदस्यों सर्वश्री विश्राम प्रसाद और राम हरख यादव ने यह सुझाव दिया था कि जिला आजमगढ़ को भी उक्त जांच में सम्मिलित कर लिया जाय। उक्त सुझाव पर जांच कमेटी ने विचार किया और यह देख कर कि गाजीपुर, देवरिया, जौनपुर और आजमगढ़ जिलों की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं समस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, उस जिले को जांच में सम्मिलित कर लिया ।

इसके अतिरिक्त राज्य सभा सदस्य श्री चन्द्र शेखर ने अपने एक पत्र में यह सुझाव दिया था कि जांच कमेटी पूर्वी उत्तर प्रदेश के चौदहों जिलों का भ्रमण करे परन्तु चूंकि जांच कमेटी की राय में गाजीपुर, देवरिया, जौनपुर और आजमगढ़ जिले समस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसने अन्य पूर्वी जिलों का भ्रमण करना आवश्यक नहीं समझा ।

**३—श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या यह सही है कि सरकार ने अपने कुछ सुझाव केन्द्रीय सरकार को भेज दिये हैं या भेजने का विचार कर रही है जिस पर वह जांच आधारित होगी ? यदि हां, तो वह सिफारिश क्या-क्या और किस आधार पर हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रदेशीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई भी सुझाव केन्द्रीय सरकार को या उक्त जांच कमेटी को नहीं दिये हैं और न ही देने का विचार कर रही है। उक्त जांच कमेटी में केन्द्रीय तथा प्रदेशीय दोनों सरकारों के अधिकारी हैं, और वह कमेटी अपनी सिफारिशें जांच पूरी हो जाने के पश्चात् दोनों सरकारों को देगी । उन सिफारिशों का क्या आधार होगा यह उक्त कमेटी की रिपोर्ट मिलने पर ही ज्ञात हो सकेगा ।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सर्व प्रथम केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक जांच के सिलसिले में जो प्रान्तीय सरकार को पत्र लिखा था उसमें कौन-कौन सी मुख्य बातें कही गई थीं जिनकी जांच होना जरूरी था और उस पत्र का सारांश क्या है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पत्र की सूचना मेरे पास नहीं है । जो कमेटी जांच कर रही है वह मैं आपको बता दूं । यह कमेटी प्रान्त के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन की जांच करेगी और यह देखेगी कि इन तीनों प्लानों में कितना काम हुआ और कौन से ऐसे काम किये जायं जिससे यहां की आर्थिक और सामाजिक उन्नति हो सके ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी तरफ से कौन-कौन सी सिफारिशें उस कमीशन द्वारा जांच के संबंध में भेजी थीं ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

यह कहा गया कि तीन बातों पर जांच होनी चाहिए । पहली तो यह कि आर्थिक और सामाजिक कितनी प्रोग्रेस हुई, दूसरे कितने ऐडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज होने चाहिये जिससे वह प्रोग्रेस

एक्सलरेट हो सके और तीसरे यह कि सोशलिस्टिक और इकोनोमिक प्रोग्रेस के लिए और क्या-क्या तरीके हो सकते हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

यह कमीशन पिछले ३—४ माह से अनेक जगहों में घूम रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से कोई विवरण नहीं है कि कमीशन किन निष्कर्षों पर पहुंचा है जिससे जनता में भ्रम है कि सरकार उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है । अतः क्या सरकार सदन की मेज पर कोई ऐसा विवरण रखने का प्रयास करेगी कि क्या क्या कार्य हो चुका है और कमीशन किन निष्कर्षों पर पहुंच चुका है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अभी तो कमीशन जांच के कार्य में लगा हुआ है और उसने अन्तरिम रिपोर्ट उन विषयों के संबंध में नहीं दी है जिनका संबंध कमीशन की जांच से है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस कमीशन ने जो इन जिलों का दौरा किया है, उसके सामने जब साक्ष्य देने का मौका हुआ तो कमीशन के सामने यह सवाल रखा गया कि कमीशन ने केवल शार्ट टर्म कैसे उन्नति की जाय उस पर ही विचार किया है, लांग टर्म योजनाएं—औद्योगीकरण और यातायात—उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह इलाका सब से पिछड़ा हुआ और गरीब है और जब तक औद्योगीकरण नहीं होगा इस अंचल का उत्थान नहीं हो सकता, तो क्या सरकार आग्रह करेगी कि केन्द्रीय सरकार इस कमीशन को अधिकार दे कि इस अंचल के औद्योगीकरण के लिए लम्बे काल के लिए वह योजनाओं पर अपनी सिफारिश दे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जितनी बातें माननीय सदस्य कह रहे हैं कि किस प्रकार से इसका उत्थान हो या प्रोग्रेस हो इस सब की कमेटी जांच कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

पूर्वी जिलों की स्थिति के सम्बन्ध में सरकार ने पहली तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष विचार किया था ? यदि हां, तो सरकार का क्या विचार है कि वह पिछड़ापन किस हद तक है और इन्कम की दृष्टि से उनमें कितना फर्क है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप बहुत ब्योरे का प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

अगर कोई विचार किया है तो किस दिशा की ओर और कैसा, इसी का उत्तर मिल जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अगर माननीय सदस्य ने तृतीय पंचवर्षीय योजना देखी होगी तो उन्होंने देखा होगा कि उसमें यह ब्योरा दिया हुआ है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

इससे पहले इस विशेष भूभाग के सम्बन्ध में अशोक मेहता फूडग्रेन इंक्वारी कमेटी ने कुछ सिफारिशें दी थीं। तो यह जो कमेटी आज दौरा कर रही है उसके सामने वे सिफारिशें हैं

या नहीं हैं, यदि हैं तो उन सिफारिशों के तहत में क्या इस कमेटी ने उन विशेषज्ञों से भी राय लेने की कृपा की जो लोग कि उस विशेष क्षेत्र के आर्थिक जीवन की उन्नति में दिलचस्पी रखते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जो लोग पूर्वी अंचल के जिलों के बारे में जानकारी रखते हैं वे इस कमेटी से अपना सम्बन्ध जोड़ सकते हैं और अपनी सलाह उस कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और अपनी जानकारी से उस कमेटी को फायदा पहुंचा सकते हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या इस कमीशन ने पहली बार इन चार जिलों का दौरा करके योजना विभाग को एक अन्तरिम रिपोर्ट दी है जिसमें लिखा है कि पूर्वी जिलों पर जो टैक्स बाकी है वह माफ कर दिया जाय. ?

श्री अध्यक्ष—

सरकार को अन्तरिम रिपोर्ट दी है या नहीं पहले यह मालूम हो जाय तब आप दूसरा सवाल पूछ सकते हैं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है । उग्रसेन जी के पास पहुंची होगी तो हमारे पास पहुंचा दें ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

आर्थिक जांच कमेटी की पहली वाली जांच रिपोर्ट के सुझावों को. . .

श्री अध्यक्ष—

उसके बारे में आप मत पूछिये ।

श्री रघुनाथसिंह—

मैं इसलिये पूछ रहा हूं कि पहली जांच का क्या हुआ यह तो पता चल जाय ?

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना मंत्री जी के पास होना जरूरी नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अगर उत्तर प्रदेश के एकोनामिक एवं स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखी जाय तो गरीबी के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में ३ जिले माने हुए जिले हैं—बलिया, देवरिया और गोरखपुर । पूर्वी जिलों की इस जांच रिपोर्ट में और जिलों को तो रखा गया, लेकिन बलिया को नहीं रखा गया तो क्या यह सरकार सिफारिश करेगी कि बलिया जिले को भी जोड़ दिया जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह खयाल बिलकुल निराधार है कि जिलों को किसी आधार पर चुना गया । ये जिले प्रतीक समझे गये पूर्वी जिलों के । एक एम० पी० साहब हैं श्री चन्द्र शेखर उन्होंने लिखा कर भेजा कि इन इन जिलों में कमेटी जाय । इस तरह से जितने पूर्वी जिले हैं सभी में कमेटी जाय । लेकिन उचित यह समझा गया कि चूंकि पूर्वी जिलों की सबकी स्थिति एक सी है इसलिये जिन जिलों को ठीक समझा गया उनको रख लिया गया ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या यह सही नहीं है कि पूर्वी जिलों में और खास तौर से बस्ती जिले में मजदूरों को दो आने प्रति दिन मजदूरी के मिलते हैं ? यदि हां, तो क्या कमेटी के सामने यह भी प्रश्न रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष—

अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि सभी प्रश्न आप रख सकते हैं, आपको अधिकार है ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

फैजाबाद डिवीजन की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पूर्वी जिलों की भांति ही है । तो इसको जांच कमेटी के सामने शामिल न करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

अभी आपको उत्तर मिला कि जो जिला कमेटी चाहे वह ले सकती है ।

श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह ज्ञात है कि पांच साल पहले बस्ती में एक आल इंडिया सर्वे टीम आयी थी और उसकी जो सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसमें यह लिखा था कि बस्ती जिला हिन्दुस्तान में सबसे गरीब जिला है ? इसको देखते हुए क्या मुख्य मंत्री जी बस्ती जिले को उस सूची में रखने की कृपा करेंगे ?

(मंत्री को उत्तर देने के लिये नहीं बुलाया गया ।)

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

अभी तक योजना का जो आधार विकसित की तरफ से अविकसित की ओर जाने को है तो पूर्वी जिलों के विकास के सिलसिले में क्या पटेल आयोग के सामने यह दृष्टि है ? अगर यह दृष्टि है तो निश्चित तौर पर हम मंत्री जी से कहेंगे कि वे सुझाव दें कि अविकसित इलाकों की तरफ से विकसित इलाकों की योजना बनायी जाय तभी पूर्वी जिलों का लाभ होगा । मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह दृष्टिकोण सरकार इस आयोग के सामने रख रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सवाल तो बहुत अच्छी तरह से मैं नहीं समझ पाया, लेकिन इस कमेटी की नियुक्ति इस प्रकार हुई थी कि पार्लियामेंट में पूर्वी जिलों के एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि वहां ऐसे स्थान भी हैं जहां कि ४ आने से कम या ४ आने तक लोगों को मजदूरी मिलती है । उसी पर यह कमेटी वहां की अवस्था देखने के लिये नियुक्त हुई और इसमें केन्द्रीय सरकार के और हमारे यहां के लोग भी सम्मिलित हैं और वे उसकी जांच कर रहे हैं । उस जांच से यह पता चल जायगा कि क्या करना चाहिये और क्या आवश्यकतायें हैं । मैं समझता हूं कि यह जिला क्यों नहीं लिया गया, यह निराधार है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—

क्या यह सही है कि इन चार जिलों के अतिरिक्त केन्द्रीय जांच समिति ने यह तय किया है कि पूर्वी अंचल के किन्हीं और जिलों को मिला लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

जहां तक यह प्रश्न है कि कौन जिला मिला लिया जाय, उसके लिये नियोजन मंत्री ने बता दिया है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—

जो चार जिले लिये गये थे उसके लिये समिति ने यह सोचा कि निर्धनता का अंकन ठीक नहीं हो सकता इसलिये कुछ और जिलों को मिला लिया जाय। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से जिले मिलाये गये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने बार बार यह कहा कि जिलों का इसमें कोई महत्व नहीं है। पूर्वी जिले जितने हैं सबकी समस्यायें एक सी ही हैं। इसलिये कोई भी जिला लेकर उसका निरीक्षण करके वहां की समस्या का अध्ययन कर लिया जाय तो वही सब के ऊपर लागू होगी। इसलिये न कोई जिला लिया गया है और न कोई जिला छोड़ा गया हैं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि राज्य सभा के सदस्य माननीय चन्द्रशेखर जी ने पत्र लिखा है कि पूर्वी जिलों की अध्ययन टोली और जिलों में भी जाय। माननीय सदस्य ने जो पत्र पंडित जी को लिखा था उसमें उन्होंने लिखा था। मैं एक लाइन आपकी आज्ञा से पढ़ दूं कि—

"I would request you to intervene in the matter so that the trend in other districts is known and the recommendations of the investigating team are informally implemented in all Eastern districts".

उन्होंने कहा था कि जो भी निष्कर्ष निकले वह समान रूप से सब जिलों पर लागू किया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि जिन चार जिलों की जांच हो रही है उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, उससे हम यह समझें कि सभी जिलों की हालत वही है तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जो कार्यक्रम इन जिलों के लिये बनाया जायगा वही समान रूप से सभी जिलों के लिये लागू किया जायगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, आपका अनुमान ठीक है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

पूर्वी अंचल के हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में विषमता बहुत है इसका क्या मंत्री जी ने कमीशन को सुझाव दिया है ? दूसरे क्या हरिजन नेताओं को कमीशन के सामने गवाही के लिये बुलाया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पहला सवाल तो श्रीमन्, मैं नहीं समझ सका, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब यह है कि हर एक आदमी कमेटी के सामने जाकर राय दे सकता था। उन्होंने सब जगह नोटिस भेज दिये थे और कहा था कि जो लोग चाहें हमें अपनी राय दे सकते हैं।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों की सहायता के लिए प्रार्थना

**४—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ पीड़ित हल्कों के विद्यार्थियों की फीस माफी की घोषणा सरकार द्वारा कर दी गयी है ? यदि हां, तो वह घोषणा कब की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में वह कब तक घोषणा करने का विचार कर रही है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

शासन की फीस माफ करने की तो कोई योजना नहीं है परन्तु बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के निर्धन छात्रों को आपद्कालीन छात्रवृत्ति देने की योजना अवश्य है।

बाढ़ की भयंकरता केवल थोड़े ही समय से हुई है। बाढ़ के पूर्व ही सभी आयुक्तों को आदेश दे दिये गये थे कि आवश्यकता पड़ने पर छात्रवृत्तियों के लिये शासन से वितरणार्थ धनराशि मांग लें, पर अभी तक ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। केवल जिलाधीश गोंडा ने आयुक्त को छात्रवृत्ति के लिये लिखा है परन्तु आयुक्त द्वारा यह मांग शासन को नहीं प्रेषित की गई है। आयुक्तों की तत्सम्बन्धी संस्तुतियां प्राप्त होने पर सरकार समुचित विचार करेगी।

श्री ईश्वरशरण—

क्या सरकार बतायगी कि जिलाधीश महोदय ने यह पत्र कब भेजा और उसका क्या मजमून था ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

तारीख तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने रेडियोग्राम से इत्तला भेजी कि उन्होंने कमिश्नर को रिक्वैस्ट कर दी है कि वह रुपया सिक्योर करके दे दें।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—

पश्चिमी जिलों में बाढ़ के कारण लोगों की दशा बहुत खराब हो गई है और वे अपने बच्चों की फीस तक नहीं दे सकते हैं, क्या सरकार आदेश जारी करेगी जिससे उनके बच्चों की फीस की पूर्ति हो जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैंने पहले ही कमिश्नरों, जिनमें पश्चिमी जिलों के भी कमिश्नर शामिल हैं, सब को आदेश दे दिया है कि अपनी रिक्वायरमेंट्स भेज दें। उन पर विचार करके रुपया देंगे।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

श्रीमन्, प्रश्नोत्तर में बताया गया है कि कमिश्नर भेजें तब शासन विचार करेगा। इस बात को देखते हुए कि छात्रवृत्ति का लाभ विद्यार्थियों को तुरन्त मिलना चाहिए, क्या माननीय मंत्री जी फिर विचार करेंगे कि जिलाधीशों को अधिकार दे दिया जाय कि स्वीकृति दे दें ?

श्री अध्यक्ष—

बाढ़ के सम्बन्ध में कुछ सूचनाएं आयी हैं। मेरा विचार है कि एक छोटी-सी बहस उस पर करवा दूं। बाढ़ पीड़ितों के सम्बन्ध में उसमें बात हो जायगी। इसको यहीं समाप्त कीजिये।

तारांकित प्रश्न

मऊ के निकट हरिजन कृषि भूमि पर पानी का जमाव

*१—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार ५ फरवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेगी कि ५० एकड़ कृषि भूमि को बरसाती पानी के जमाव से बचाने के लिये कोई तदबीर की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

नगरपालिका मऊनाथभंजन ने प्रश्नगत भूमि को बरसाती पानी के जमाव से बचाने के लिए गन्दे पानी का नाला साफ करा दिया है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका ने एक पुल्ता

नाला लगभग ३००० रुपया की लागत से मुहल्ला मिर्जाहादीपुरा की तरफ से बनवा दिया है जिससे थोड़ा पानी निकल जाता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पानी के जमाव से कुल कितने एकड़ में नुकसान होता था और इस पुख्ता नाले के बन जाने से कितने एकड़ का बचाव होगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह जो पुख्ता नाला था इसके चारों तरफ गड्ढे हो गये थे और नाला अवरुद्ध हो गया था जिसके कारण लगभग ५० एकड़ भूमि में, खेत में पानी भर गया । अब यह नाला बन जाने से लगभग १० एकड़ भूमि ऐसी है जहां पर पानी भरा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी व्यवस्था करने के लिए नगरपालिका को क्यों आदेश नहीं देते हैं जिससे १० एकड़ भूमि जिसमें पानी जमा हो सकता है वह भी न जमा हो सके ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—

श्रीमन्, यह जगह ऐसी है जिसमें लोगों ने बहुत से गड्ढे खोद रखे हैं और भट्ठे बने हुए हैं इस लिए पानी रुकता है । जहांतक पानी निकाला जा सकता था, निकाला गया । और ज्यादा गहरा करने से नीचे का पानी आ जायगा इस लिए ज्यादा गहरा नहीं किया जा सकता । इस लिए पानी नहीं निकाला जा सकता है ।

दहगवां में सीमेंट का वितरण

*२—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

विधान सभा के प्रथम सत्र के १६वें सोमवार के लिए श्री उल्फतसिंह यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल २३० परमिट दिये गये तो क्या कारण है कि एक ग्राम को ५७ परमिट दिये गये जब कि ब्लाक में कुल ग्राम ९० हैं ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—

एक ही ग्राम को ५७ परमिट दिये जाने के निम्नलिखित कारण हैं: —

(१) दहगवां ब्लाक का हेड क्वार्टर है और इसका विकास हो रहा है ।

(२) दहगवां की जन-संख्या भी अधिक है ।

(३) यहां पर हाथ के पम्प और पीने तथा सिंचाई के लिये कूपों का निर्माण हो रहा है ।

(४) भवन निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि इस ब्लाक में रसूलपुर कलां और जरीफनगर इतने ही बड़े गांव हैं तो वहां क्यों नहीं इतने परमिट दिये गये और इस जगह पर ५७ परमिट क्यों दिये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने कारण तो बता दिया कि क्यों ज्यादा दिये गये । मगर और गांवों को भी मिले हैं करीब १,२९० बैग्ज वहां गये । उनमें से इनको २८६ बैग्ज दिये गये । औरों को मिले तो हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार इसकी जानकारी करने की कृपा करेगी कि दहगवां में कुछ दूकानदार ज्यादा हैं। उनको परमिट दिये गये हैं। उनके साथ मिल कर ब्लैक मार्केटिंग करने की बी० डी० ओ० की साजिश है, इसलिए परमिट ज्यादा दिये गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आप लिख कर देंगे तो जांच करवा लेंगे।

*३—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

[२७ सितम्बर, १९६३ के लिए स्थगित किया गया।]

दुद्धी तहसील में 'फारेस्ट सेटिलमेंट'

*४—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद के तहसील दुद्धी में इस समय "फारेस्ट सेटिलमेंट" का कार्य हो रहा है जिसमें सरकार गरीब किसानों द्वारा निर्मित धान तथा अन्य खेतों को भी जंगल में ले रही है ? उदाहरण स्वरूप ग्राम 'अमवार', 'नगवा', 'बघाड़' आदि में कितने ही किसानों के खेत सरकार अपने कब्जे में कर रही है ?

वन मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

जी हां। मिर्जापुर जनपद के तहसील दुद्धी में इस समय फारेस्ट सेटिलमेंट का कार्य हो रहा है जिसमें सरकार किसानों द्वारा नाजायज निर्मित धान तथा अन्य खेतों की भूमि को जंगल में ले रही हैं क्योंकि यह भूमि सरकार की है। यह सत्य है कि ग्राम अमवार, नगवा, बघाड़ आदि में किसानों द्वारा निर्मित नाजायज खेत सुरक्षित वन योजना के अन्तर्गत आये हैं।

*५—श्री बेदराम (जिला एटा)—

[हटा दिया गया।]

रेलवे स्टेशन, बिजनौर पर कोयला

*६—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दिनांक ८ जनवरी, १९६३ को रेलवे स्टेशन बिजनौर पर कितना कोयला आया और स्टेशन से नहर कोठी नगीना तक इस कोयले की ढुलाई और चढ़ाई-उतराई पर क्या व्यय हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

दिनांक ८-१-६३ को रेलवे स्टेशन बिजनौर पर कुछ भी कोयला नहीं आया। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

बिन्दकी गल्ला गोदाम में गेहूं को क्षति

*७—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि इस वर्ष फतेहपुर जिले में बिन्दकी कस्बे के सरकारी गल्ला गोदाम में संगृहीत लगभग ५ (पांच) हजार मन गेहूं का स्टाक लापरवाही से रखे जाने के कारण बर्बाद हो गया ? यदि हां, तो किन कारणों से तथा किसकी लापरवाही से ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस वर्ष बिन्दकी के गल्ला गोदामों में गेहूं की कोई क्षति नहीं हुई। अक्तूबर, १९६१ में अधिक वर्षा तथा पानी के स्तर ऊंचे होने के कारण बिन्दकी की १९ कच्ची खत्तियों में गेहूं के स्टाक में लगभग ५ हजार मन गेहूं की हानि पहुंची थी। इस हानि के कारणों की जांच-पड़ताल की गई तथा कर्मचारियों के विरुद्ध, जिसमें कि निरीक्षक कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

*८—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या खाद्य मंत्री उक्त तथ्य पर विस्तृत रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चूंकि मामले में अन्तिम निर्णय नहीं हो सका है, अतः विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

गुन्नौर ब्लाक से सीमेंट का वितरण

*९—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक गुन्नौर, जिला बदायूं में सन् १९६२-६३ में कुल कितने Cement के Permit issue हुए और उनमें से कितने ग्राम सभा बबराला के लिए issue हुये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सन् १९६२-६३ में ब्लाक गुन्नौर, जिला बदायूं में सीमेंट के कुल ३४१ परमिट issue किये गये। उनमें से ग्राम सभा बबराला को २७ परमिट दिये गये।

फर्रुखाबाद के गल्ला गोदाम में गोलमाल

*१०—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि खाद्य मन्त्रालय के कानपुर डिवीजन के अन्तर्गत बिन्दकी, फर्रुखाबाद, बांदा स्थित गल्ला गोदामों से करीब ८,००० (आठ हजार) मन गेहूं गायब होने की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किस-किस गल्ला गोदाम से कितना-कितना गेहूं कम हो गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बिन्दकी और बांदा से गल्ला गायब होने की कोई सूचना नहीं है। फर्रुखाबाद में १९५९-६० और १९६०-६१ में १०३ खत्तियों में ८१,०१३.३५.११ मन (लाल) गेहूं भरा गया था। इन खत्तियों के खोले जाने पर २९ खत्तियों में ४७० मन २७ सेर ४ छटांक गेहूं की कमी पाई गयी।

*११—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त गबन में किन-किन व्यक्तियों का हाथ है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, अतः नाम बताना उचित नहीं है।

*१२—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

[२७ सितम्बर, १९६३ के लिए स्थगित किया गया ।]

नगर महापालिका, लखनऊ का सार्वजनिक निर्माण विभाग पर बकाया

*१३—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि लखनऊ नगर महापालिका का गृह तथा जल-कर के सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिम्मे कई लाख रुपये बाकी हैं ? यदि हां, तो कितना तथा कब से तथा इसका कारण क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

नगर महापालिका लखनऊ के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिम्मे दिनांक ३१-३-६३ तक २,२८,४७९.०२ रु० बाकी है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है—

बकाया धनराशि	अवधि
रु०	
१,३७,८३५.८७	३१-३-६० तक
३७,९२३.४३	वर्ष १९६०-६१
३८,०३७.३८	वर्ष १९६१-६२
४३,१७५.७४	वर्ष १९६२-६३
नगर महापालिका लखनऊ द्वारा बट्टे खाते (write off) की गयी कर की धनराशि—	
२८,४९३.४०	
कुल योग २,२८,४७९.०२	३१-३-६३ तक

सार्वजनिक निर्माण विभाग इस मांग को गलत मानता है । उनके कथनानुसार सब भुगतान हो चुका है ।

गोरखपुर नगर विकास योजनान्तर्गत तदर्थ समिति

*१४—श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर शहर के विकास हेतु जिलाधीश के सभापतित्व में मास्टर प्लान के अन्तर्गत किसी कमेटी का नामांकन सरकार ने किया है ? यदि हां, तो उस कमेटी में कौन-कौन व्यक्ति हैं और उनके नामांकन का क्या आधार है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

गोरखपुर नगर के विकास हेतु जिलाधीश के सभापतित्व में मास्टर प्लान के अन्तर्गत किसी कमेटी का नामांकन सरकार ने नहीं किया है अपितु मास्टर प्लान को बनाने और उसे कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में राय देने के लिए तदर्थ समिति (Ad hoc Committee) की नियुक्ति के लिये सरकार ने नियम बनाये हैं । इन्हीं नियमों के आधार पर एक तदर्थ समिति बनी है तथा उसमें निम्नलिखित व्यक्ति रखे गये हैं :—

१—जिलाधीश .. .. .. सभापति

२—अध्यक्ष, नगरपालिका .. .. (पदेन) सदस्य

३—नगरपालिका द्वारा मनोनीत श्री शम्भूशरण .. सदस्य
४—शासन द्वारा मनोनीत—
(क) श्री हरिशंकर प्रसाद, भूतपूर्व अध्यक्ष, अतंरिम जिला परिषद्, गोरखपुर .. .. सदस्य
(ख) श्री भगवती प्रसाद दुबे, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा .. .. .. सदस्य
५—शासन के ग्राम तथा नगर नियोजक अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति .. .. (पदेन) सदस्य
६—नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी .. .. (पदेन) सदस्य
७—अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग .. (पदेन) सदस्य
८—अधिशासी अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग (पदेन) सदस्य
९—अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका गोरखपुर .. (पदेन) सदस्य एवं आयोजक ।

चित्रकूट धाम विकास कार्य

*१५—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट, जिला बांदा में अर्सा चार साल का हुआ कि वहां पर चित्रकूट विकास सलाहकार समिति बनी थी उसकी आज तक कितनी मीटिंगें बुलाई गईं तथा विकास के क्या-क्या कार्य हुए ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

चित्रकूट धाम क्षेत्र के विकास के संबंध में दिसम्बर, १९६० में एक संयुक्त परामर्श दात्री समिति (Joint Advisory Committee) बनाई गई थी जसकी दो बैठकें दिनांक २० जून, १९६१ व २९ जून, १९६२ को हुई हैं। म्युनिसिपल बोर्ड चित्रकूट धाम ने लोकल डेवलपमेंट अथारिटी के रूप में अब तक एक विश्राम-गृह तथा एक यात्री-गृह का निर्माण कराया है व जलकल योजना पर कार्य आरम्भ हो गया है।

*१६—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर (चित्रकूट) बस स्टेंड से एक सड़क राम घाट तक पास हो चुकी है, उसे बनवाने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—

इस सड़क के निर्माण के लिये लैण्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही हो रही है जिसके पूरा हो जाने पर निर्माण-कार्य किया जायगा।

*१७-१८—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[२७ सितम्बर, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

*१९—श्री हिम्मत सिंह—

[हटा दिया गया।]

आटो रिक्शा

*२०—श्री कल्थनाथसिंह तथा श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन शहरों में सरकार ने आटो रिक्शा चलाने का फैसला किया है और ऐसा फैसला करने का आधार क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, देहरादून, हरिद्वार, मेरठ, गाजियाबाद, तथा बरेली शहरों में आटो रिक्शा चलाने का फैसला किया गया है। इसका आधार शासन की रिक्शों की क्रमिक समाप्ति की नीति के कार्यान्वित होने के फलस्वरूप रिक्शों की संख्या में कमी तथा शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये किसी अन्य यातायात के सस्ते साधन को उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता है।

*२१—श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री कैलाश—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इससे कितने रिक्शा वाले बेकार हो जायेंगे और उनके भरण-पोषण के लिए कौन-सा प्रबन्ध किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

इतने बड़े शहरों में २५ या ५० आटो रिक्शा चलने से रिक्शा चालकों पर कोई भी कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है अतः भरण-पोषण के प्रबन्ध करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

नगर महापालिका, लखनऊ का बकाया

*२२—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय तक नगरपालिका, लखनऊ का गृह तथा जल-कर कितना सरकार के जिम्मे बाकी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

नगरमहापालिका, लखनऊ के अनुसार सरकार पर ३१-३-६३ तक २,३१,७२१ रु० बाकी है।

*२३—कुंवर श्रीपालसिंह—

यह कर किन-किन विभागों के जिम्मे बाकी है और कब-कब का तथा इसके न अदा होने का कारण क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

यह कर निम्नलिखित विभागों पर उनके सामने दर्शायी गयी अवधि का बाकी है :—

विभाग	बकाया धनराशि	अवधि
	रु०	वर्ष
१—अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मेन्टेनेन्स डिवीजन	१,३७,८३५.८७	३१-३-६० तक
	३७,९२३.४३	६०-६१
	३८,०३७.३८	६१-६२
	४३,१७५.७४	६२-६३
लखनऊ नगर महापालिका द्वारा बट्टे खाते (write off) की गयी कर की धन-राशि	२८,४९३.४०	
योग ..	२,२८,४७९.०२	३१-३-६३ तक

विभाग	बकाया धनराशि	अवधि
	रु० न० पै०	
२—सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग	६४.१५	६०—६१
३—अवैतनिक सचिव, प्रिन्स आफ वैल्स ज्यूलाजिकल गार्डेन्स	४४२.९८	दिनांक १—४—६१ से ३१—३—६३ तक
४—स्टेट आयुर्वेदिक कालेज	७०२.५६	दिनांक १—१०—५६ से
५—अवैतनिक सचिव, किंग्स यूनानी अस्पताल ..	१५३१.५३	वर्ष १९५३—५४ से १९६२—६३ तक कर की कुल धनराशि रु० २९०० थी, उसमें से रु० १,३३१ अदा किये जा चुके हैं। रु० १५३१.५३ का भुगतान बाकी है।
६—प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट हुसैनाबाद हायर सेकेंडरी स्कूल	२८५.७७	वर्ष १९५९—६० से वर्ष १९६२—६३ तक
७—सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, शारदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लि०	२१४.९९	दिनांक १—४—६२ से ३१—३—६३ तक।
कुल योग ..	२,३१,७२१	

जहां तक सार्वजनिक निर्माण विभाग पर २,२८,४७९ रु० ०२ नये पैसे बकाया का सम्बन्ध है, सार्वजनिक निर्माण विभाग इस मांग को गलत मानता है। उनके कथनानुसार सब भुगतान हो चुका है। अन्य विभागों द्वारा कर भुगतान न किये जाने सम्बन्धी सूचना एकत्रित की जा रही है।

शकर का वितरण

*२४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में शकर की कमी का क्या कारण है और इस कमी को दूर करने एवं सभी को शकर दिलाने की ओर क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री जयमोहनसिंह नेगी—

शकर व्यापारियों के भ्रमपूर्ण मनोवृत्ति कि शकर का उत्पादन गिर गया है ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है। इसी कारण व्यापारियों ने शकर दबा लिया। परिणाम स्वरूप

फरवरी-मार्च, १९६३ से भाव बढ़ने लगे और भारत सरकार को शकर (नियंत्रण) आदेश, १९६३ अप्रैल १७, १९६२ से लागू करना पड़ा। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार को शकर का थोक और फुटकर भाव निर्धारित करके शकर सुचारु रुप से वितरण करने का अधिकार मिला। भारत सरकार ने इस राज्य का २०,००० मीट्रिक टन शक्कर का मासिक कोटा भी निर्धारित कर दिया। शकर प्रतिमास राज्य के ५४ जिलों के बीच बांट दिया जाता है। जिलाधीश शकर के लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों तथा सहकारी समितियों द्वारा पूर्व निर्धारित शक्कर मिल से भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक्स-फैक्ट्री भाव पर उठवाता है। जिले में शकर आ जाने पर निर्धारित फारमूला के अनुसार थोक और फुटकर भाव निर्धारित करता है। १५ से २० प्रतिशत या आवश्यकतानुसार अधिक भी, जिले के कोटे से बड़े उपभोक्ताओं जैसे हलवाइयों, होटल, होस्टल अस्पताल आदि के लिये, अलग करके शेष फुटकर शकर बिक्रेताओं को फुटकर बिक्री हेतु दे दिया जाता है। ये फुटकर बिक्रेता जिलाधीश द्वारा नियुक्त होते हैं और उसी के आदेशानुसार वितरण करते हैं। इनकी संख्या इस प्रकार रखी जाती है, दुकानों की स्थिति इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि उपभोक्ताओं को शकर पाने में कम से कम कष्ट हो। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति न्याय पंचायत पीछे एक दूकान खोलने का आदेश है। शहरों में चीनी कार्ड पर १ किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमास के दर से मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति को एक बार में आधा किलो शकर देने का आदेश है। हलवाइयों, होटलों आदि को भी उनकी बिक्री देखते हुए और शकर की उपलब्धि के अनुसार शकर दिया जाता है। इस समय सभी को नियन्त्रित भाव पर शकर दी जा रही है।

*२५---श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने शकर की राशनिंग न करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था इसके बावजूद भी राशनिंग की गई? यदि हां, तो शकर वितरण में एकरूपता लाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इस प्रकार का कोई निर्देश केन्द्रीय सरकार से नहीं आया है। राज्य सरकार ने राशनिंग नहीं की है। सुगमता से शकर उपभोक्ताओं को मिल सके और शकर की दुकानों से चीनी का ब्लैक मार्केट न हो सके, अतः नगर क्षेत्रों में कार्ड पर शकर मिलने का प्रबन्ध किया गया है।

शकर वितरण में एकरूपता लाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष, चन्दौसी नगरपालिका के विरुद्ध जांच

*२६---श्री नरेन्द्रसिंह (जिला मुरादाबाद)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चन्दौसी नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध किसी व्यक्ति ने एक गम्भीर आरोप-पत्र बयान हल्फी सहित भेजा था?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

जी हां, नगरपालिका, चन्दौसी के अध्यक्ष के विरुद्ध एक आरोप-पत्र श्री देवेन्द्र से उनका बयान-हल्फी सहित शासन को प्राप्त हुआ था।

*२७---श्री नरेन्द्रसिंह--

क्या सरकार ने उक्त आरोपपत्र जिलाधीश, मुरादाबाद को जांच करने के वास्ते भेजा था? यदि हां, तो जिलाधीश ने क्या जांच की?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

जी हां, जिलाधीश की जांच के अनुसार कुछ आरोप सही पाये गये और कुछ सही नहीं पाये गये।

*२८—श्री नरेन्द्रसिंह—

[२५ सितम्बर, १९६३ के लिए प्रश्न संख्या १२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२९—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

[८ वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

चीनी के भाव में तेजी

*३०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि प्रदेश में चीनी का भाव तेजी से बढ़ रहा है तथा उसके रोकथाम के लिये सरकार अभी तक क्या कार्यवाही अमल में लाने पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

१७ अप्रैल, १९६३ से चीनी पर नियंत्रण लगने के बाद अब भाव बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता। चीनी के वितरण की व्यवस्था समस्त प्रदेश में लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं तथा फुटकर विक्रेताओं द्वारा की जा चुकी है ।

*३१-३२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

[२७ सितम्बर, १९६३ के लिए स्थगित किये गये ।]

जंगली हाथी

*३३—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१ और सन् १९६२ में सरकार ने उत्तर प्रदेश के जंगलात से जंगली हाथी पकड़वाये ? यदि हां, तो कितने ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—

सन् १९६१ और १९६२ में सरकार ने उत्तर प्रदेश के जंगलात से कोई भी जंगली हाथी नहीं पकड़वाए ।

नगरपालिका जालौन को ऋण

*३४—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में नगरपालिका जालौन को सरकार द्वारा विस्थापितों की दुकानें बनाने के लिये कितना रुपया अनुदान के रूप में दिया गया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

अनुदान नहीं, बल्कि ८०,००० रु० का ऋण दिया गया था ।

*३५—श्री जगन्नाथ राव—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त धनराशि से कुल कितनी दुकानें बनाई गईं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

अब तक ९ दुकानें बन चुकी हैं ।

*३६--श्री जगन्नाथ राव--

क्या यह सत्य है कि उक्त धनराशि में से अधिकांश रकम अन्य मदों पर भी खर्च की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

जी हां। यह अनियमितता आर्थिक कठिनाई के कारण हो गई।

कानपुर जिले में शकर के लाइसेन्सदार

*३७--श्री शिवनाथसिंह--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत देहात व शहर में किन-किन व्यक्तियों को कहां-कहां के फुटकर शकर के लाइसेंस दिये गये हैं ? उनके नाम पते क्या हैं ? और उन्हें उत्तर देते समय तक कितनी-कितनी शकर के कोटे दिये जा चुके हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

सूचना †संलग्न है।

नगरपालिका, देहरादून के सदस्यों के विरुद्ध शिकायत

*३८--श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, देहरादून के किन-किन सदस्यों के विरुद्ध अपनी सदस्यता के पद का दुरुपयोग करने की शिकायतें १ जून, १९६२ से आज तक राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

संबंधित विभाग के रेकार्ड देखने के पश्चात् यह नहीं प्रतीत होता है कि प्रश्न में उल्लिखित अवधि में इस प्रकार की शिकायतें नगरपालिका, देहरादून के किसी सदस्य के विरुद्ध प्राप्त हुई हैं। फिर भी इस संबंध में जांच कराई जा रही है।

*३९--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शिकायतें क्या हैं तथा उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

इस प्रश्न का उत्तर पक्के तौर से उपर्युक्त जांच कराने के बाद ही दिया जा सकता है।

नगरपालिका, मवाना के विरुद्ध शिकायत

*४०--श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारतीय जनसंघ, मवाना, जिला मेरठ की ओर से नगरपालिका, मवाना के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र स्वायत्त शासन विभाग के सचिव को जून, १९६३ में मिला है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

जी हां।

*४१--श्री राजेन्द्रसिंह--

यदि हां, तो उसमें मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

उक्त शिकायती-पत्र में मुख्य-मुख्य शिकायतें, संक्षेप में निम्न प्रकार हैं—

(१) श्री लक्खी सिंह, जमादार, सफाई, को १४ जून, १९६३ को नगरपालिका, मवाना के अध्यक्ष ने श्री भूपेन्द्र कुमार दुब्लिश, सदस्य, के यहां बुलाया और ३१ मई, १९६३ को बोर्ड की मीटिंग के संबंध में दरोगा जी के सामने झूठे बयान देने के लिये कहा। मना करने पर अध्यक्ष ने उसे मारा और नौकरी से निलम्बित करने की भी धमकी दी।

(२) नगर की सड़कें व नाली कई मास पूर्व उखड़वाई गयीं और मलवा नगरपालिका की गाड़ियों में ढुलवाया गया, किन्तु पब्लिक की निधि से पैसे लेने के लिये बिल बनवाकर दिलवाये गये।

(३) नगर की बनने वाली सभी सड़कें एक साथ खुदवा दी गयीं जिससे पानी की निकासी बन्द हो गई और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ा। सड़कें बनवाने के लिये कहा गया तो सीमेंट का अभाव बताया गया जबकि अध्यक्ष ने सीमेंट की सड़कें अपने मकान के आस-पास बनवाई हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने टौल टैक्स की दर बढ़ाये जाने पर भी आय नहीं बढ़ाई।

(४) अध्यक्ष ने नगर की सड़कों पर जगह-जगह अनधिकार कब्जे करा दिये हैं और शिकायत करने पर कोई ध्यान नहीं देते।

(५) श्री फहीमुद्दीन को बोर्ड के अधिशासी अधिकारी के पद पर की गयी नियुक्ति की अस्वीकृति शासन से प्राप्त होने पर भी अवैधानिक प्रकार से छुट्टी स्वीकार कर दी और इस प्रकार बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया और सरकारी आदेशों की अवहेलना की।

उपर्युक्त आरोपों की जांच कराई गयी जिससे पता चला कि आरोप संख्या १ तथा आरोप संख्या ३ के प्रथम भाग में उल्लिखित मामलों में सत्यता है। इस संबंध में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आरोप सं० २,४ तथा ३ में उल्लिखित टौल टैक्स की आय संबंधी आरोप सत्य नहीं पाये गये। आरोप सं० ५ के संबंध में स्थिति यह है कि श्री फहीमुद्दीन की बोर्ड में अधिशासी अधिकारी के पद पर अनियमित नियुक्ति के संबंध में शासन द्वारा प्रसारित आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका (Writ Petition) दायर की गयी थी और उच्च न्यायालय ने एक स्थगन आदेश दिया है जिसके फलस्वरूप इस मामले में शासन उस समय तक कोई हस्तक्षेप करने में असमर्थ है जब तक कि उक्त याचिका पर न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता या स्थगन आदेश खारिज नहीं हो जाता। इस संबंध में भी शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

खानपुर में टाउन एरिया स्थापित करने की मांग

*४२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कस्बा खानपुर, परगना आहार, जिला बुलन्दशहर जो एक बारौनक कस्बा है जहां पर एक बड़ा बाजार भी है और एक इन्टर कालेज भी है उसको अब तक टाउन एरिया क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

गांव सभा के निवासी टाउन एरिया स्थापित कराने के पक्ष में नहीं हैं।

*४३—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे टाउन एरियाज हैं जो कि खानपुर से कम जन-संख्या रखते हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

१३२ टाउन एरियाज़ की जन-संख्या खानपुर से कम है।

अवक्रान्त स्थानीय निकायों का चुनाव

*४४—श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थानीय निकायों (नगर पालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया) के चुनाव कब होंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

अप्रैल, १९६४ में ।

*४५—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कौन-कौन सी नगरपालिकायें, टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया कमेटी सुपरसीडेड हैं ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

इस समय नगरपालिका, मुरादाबाद, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, नजीबाबाद, डिबाई, मिर्जापुर, कालपी, नीमसार, मिसिरिख, अलीगढ़, बहराइच, हापुड़ और जौनपुर टाउन एरिया कमेटी बहजोई, कुरावली, जेवर, गुलावटी, बिलसन्डा और जसवन्तनगर तथा नोटीफाइड एरिया कमेटी, नेहटौर अवक्रमित (Superseded) हैं ।

*४६—श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त (सुपरसीडेड) कमेटियों में से किन-किन के चुनाव जनरल चुनाव के समय कराये जायंगे तथा किन-किन के नहीं कराये जाने का विचार है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—

नगरपालिका, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद और नजीबाबाद, समस्त अवक्रान्त टाउन एरिया कमेटियों तथा नोटीफाइड एरिया कमेटी नेहटौर में चुनाव कराये जायेंगे । नगरपालिका गाजियाबाद, फैजाबाद, डिबाई तथा अलीगढ़ में चुनाव नहीं होने हैं । शेष नगरपालिकाओं के बारे में चुनाव संबंधी निर्णय लिये जा रहे हैं ।

*४७–४९—श्री बद्री प्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

[दूसरे मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या ३५–३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

शोहरतगढ़ से मिट्टी का तेल भेजने वाले पर मुकदमा

*५०—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नवगढ़ नामी स्थान से मार्च, १९६३ को नेपाल भेजते हुए ४०० टीन मिट्टी का तेल पकड़ा गया है ? यदि हां, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके वे मिट्टी के तेल से भरे हुए टीन थे क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नवगढ़ा नामक स्थान से नहीं, बल्कि शोहरत गढ़ रेलवे स्टेशन से मार्च, १९६३ में ४०० टीन मिट्टी का तेल नेपाल भेजते हुए पकड़ा गया । तेल भेजने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया है ।

कानपुर जिले में जी० टी० रोड पर काटे गये वृक्षों का मुआवजा

*५१—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले में जी० टी० रोड पर सड़क के दोनों ओर लगे हुए कितने पेड़ सन् १९६२ तथा १९६३ में वन विभाग द्वारा कटवाये गये हैं ?

श्री फूलसिंह—

सन् १९६२ में कोई भी वृक्ष नहीं कटवाया गया। सन् १९६३ में ९३५ वृक्ष कटवाये गये हैं।

*५२—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त पेड़ों में से जो जनता के पेड़ थे उनका मुआवजा किस प्रकार और कब तक मिलेगा ?

श्री फूलसिंह—

वन विभाग द्वारा काटे गये पेड़ों में से जो पेड़ जनता के सिद्ध होंगे उनका मुआवजा नीलाम में आये हुये मूल्य के आधार पर निश्चित करके दिया जायगा। इस कार्यवाही में लगभग छः मास लगेंगे।

*५३—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपरोक्त पेड़ किस योजना के अन्तर्गत काटे जा रहे हैं ? तत्सम्बन्धित आदेश की प्रतिलिपि क्या सरकार सदन की मेज पर रक्खेगी ?

श्री फूल सिंह—

ये पेड़ दक्षिणी दोआब वन खण्ड की कार्य योजना के अन्तर्गत कटवाये जा रहे हैं। इस कार्य योजना (१९६२—६३ से १९७१—७२) तक के अध्याय २ अनुच्छेद ४५ की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८७ पर)

रुद्रपुर टाउन एरिया में लगाये गये कर का विरोध

*५४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १७ जुलाई, १९६३ को प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक १२ जुलाई, १९६३ को सम्पन्न हुये सातवें रुद्रपुर राप्ती कछार जन. सम्मेलन का वह प्रस्ताव जिसमें रुद्रपुर टाउन एरिया क्षेत्र की भूमि एवं भवन पर नागर क्षेत्र भूमि एवं भवन कर अधिनियम को लागू न करने को लिखा है, भेजा हुआ मिला है ? यदि हां, तो प्रस्ताव में की गई मांगों की पूर्ति के लिये सरकार कौन-सा कदम उठा रही है ?

R.A 4025

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

जी हां, सदस्य महोदय द्वारा भेजा गया प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ था और उसका उत्तर भी भेजा जा चुका है। उक्त उत्तर की एक प्रतिलिपि सदस्य महोदय की सूचनार्थ पुनः संलग्न की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८८ पर)

मुरादाबाद में शकर के लाइसेंसदार

*५५—श्री जगन्नाथ राव—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मुरादाबाद में शकर वितरण के लिये जिन दुकानदारों को लाइसेन्स दिये गये हैं उनमें से कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं ? यदि हां, तो वह कौन-कौन कर्मचारी हैं और इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

132677

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग उठता ही नहीं ।

गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत भूमि अर्जन संबंधी रिपोर्ट

*५६—श्री उग्रसेन—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि २० अप्रैल, १९६३ को प्रधान मंत्री की कोठी पर गाजियाबाद के किसानों ने अपने बीबी बच्चों को बैलगाड़ियों में लेकर जो गाजियाबाद मास्टर प्लान के विरुद्ध प्रदर्शन किया था और अपनी मांगें रखी थीं और जिस पर प्रधान मंत्री ने श्री रामसुभग सिंह, कृषि मंत्री, भारत सरकार को जमीन की कीमत आदि की जांच करने एवं उसकी कीमत निर्धारित करने के लिये नियुक्त किया था उसके बारे में श्री रामसुभग सिंह की जांच की रपट उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—

जी हां, २० अप्रैल, १९६३ को गाजियाबाद के लगभग १००० किसान, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित थे, प्रधान मंत्री से दिल्ली में मिले और उन्होंने अपनी मांगें रखीं । प्रधान मंत्री ने श्री राम सुभग सिंह, कृषि मंत्री, भारत सरकार को गाजियाबाद के भूमि अर्जन के संबंध में जांच करने के लिये भेजा । श्री राम सुभगसिंह की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को प्रधान द्वारा भेजी गई है । पर सरकार इस रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखना उचित नहीं समझती ।

अतारांकित प्रश्न

सिरसा टाउन एरिया में खाद के गढ़े

१—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया सिरसा, जिला इलाहाबाद ने अपने क्षेत्र के अन्दर की गन्दगी दूर करने के लिये खाद के गढ़े बनाने की अनुमति मांगी थी ? यदि हां, तो अब तक उनको आज्ञा क्यों नहीं दी गयी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

उझियानी–आंवला सड़क पर वृक्षों का नीलाम

२—कुंवर रुकुम सिंह राठौर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार जांच करने की कृपा करेगी कि उझियानी, जिला बदायूं से आंवला, जिला बरेली में जाने वाली पी० डब्ल्यू० डी० की पक्की सड़क के हरे, मजबूत, बहुत वर्षों तक चलने वाले वृक्ष क्यों काटे जाते हैं ? क्या सरकार उनको काटे जाने से रोकेगी ?

श्री फूलसिंह—

उझियानी, जिला बदायूं से आंवला, जिला बरेली को बदायूं होते हुये जाने वाली सड़क के मील पत्थर संख्या ३४ से ३८ तक के परिपक्व एवं अधिक आयु वाले वृक्ष काटे जाने के लिये नीलाम किये गये क्योंकि उनकी लकड़ी दिनों दिन खराब ही होती और इनसे आगे चलकर आय कम हो जाने की सम्भावना थी । इन वृक्षों के स्थान पर इस साल नये वृक्ष लगाने की योजना है । उक्त परिस्थिति में वृक्षों को काटे जाने से रोकने का प्रश्न नहीं उठता ।

३—कुंवर रुकुमसिंह राठौर—

कितने वृक्ष उक्त सड़क के कट गये और कितने अभी और कटने वाले हैं ?

श्री फूलसिंह—

उक्त सड़क पर ५ लाटों में ५७८ वृक्ष नीलाम किये गये हैं जिसमें ४६९ वृक्ष काटे जा चुके हैं और १०९ वृक्ष कटने वाले हैं ।

४—कुंवर रुकुमसिंह राठौर—

उक्त वृक्षों को कितने रुपये में नीलाम किया गया है ?

श्री फूलसिंह—

उक्त ५७८ वृक्षों को ६०,५५० रु० में नीलाम किया गया है ।

नमक मिली शकर

५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून के अन्तिम अथवा जुलाई, १९६३ के प्रथम सप्ताह में कानपुर पूर्ति विभाग को कोई ऐसी सूचना मिली थी कि सरकारी दुकान पर शकर के साथ नमक मिला कर बेचा गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

६—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रश्न नहीं उठता ।

सोलन वन खंड में चिलगोजे की उपज बढ़ाने का प्रयास

७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि हिमांचल प्रदेश में सोलन के मुकाम पर चिलगोजे की कलम को चीड़ के पौदे पर कामयाबी से बढ़ाने का तजुर्बा सफल रहा है और हिमांचल प्रदेश सरकार वहां सारे चीड़ के जंगलात में चीड़ के पौदों पर चिलगोजे की कलम चढ़वाने की योजना बना रही है ? क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी इस ओर ध्यान देगी और चिलगोजे के उत्पादन के लिये हिमांचल प्रदेश के अनोखे तजुर्बे से अपने चीड़ के जंगलात में चिलगोजे की कलम चढ़वाकर लाभ उठायेगी ?

श्री फूलसिंह—

जी हां । मुख्य अरण्यपाल, हिमांचल प्रदेश से मालूम करने पर यह ज्ञात हुआ है कि सन् १९६२ में सोलन वन खंड में चिलगोजे की कलम चीड़ के पौधों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई गई थी, परन्तु चिलगोजे की कलम को बड़े पैमाने पर चीड़ के पौधों पर चढ़ाने की कोई योजना अभी हिमांचल प्रदेश के वनों में लागू नहीं की गई है । हिमांचल प्रदेश में यह कार्यवाही अभी प्रयोगात्मक स्थिति में ही है और यही कार्य वे कायल के वृक्षों पर भी करने का प्रयत्न कर रहे हैं । क्योंकि हिमांचल प्रदेश में यह कार्य अभी प्रयोगात्मक स्थिति में ही है, इसलिये उत्तर प्रदेश में इस तजुर्बे से लाभ उठाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है ।

खाद्यान्नों के बढ़ते भाव

८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्यान्न का भाव बढ़ने न पावे उसकी रोकथाम के लिये किसी योजना पर वे विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो वह क्या है और किन-किन जिलों में लागू है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

किसी नई योजना पर इस समय विचार नहीं हो रहा है । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

देवरिया जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में कौन-कौन सी सस्ते गल्ले की दुकानें किस-किस विधायक की सिफारिश पर खोली गयी है, विधायकों की सिफारिश आवश्यक होते हुये भी गत साल बाढ़ के बाद जो दुकानें खोली गईं उनमें कितनों पर क्षेत्रीय विधायक की सिफारिश है ? बिना क्षेत्रीय विधायक के सिफारिश के जो दूकानें खोली गयी हैं उसका कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

देवरिया जिले में जो-जो सस्ते गल्ले की दुकानें जिन पर विधायकों की सिफारिश थी उनकी सूची† माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है । यद्यपि सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन (Allotment) के समय विधायकों की सिफारिश को ध्यान में रखा जाता है, किन्तु यह अनिवार्य नहीं है कि विधायकों की सिफारिश पर ही उक्त दुकानें खोली जायं । गत वर्ष बाढ़ के उपरान्त देवरिया जिले में जो दुकानें खोली गयीं, वह सम्बद्ध तहसीलदार एवं परगनाधीश द्वारा पूर्णतया निरीक्षण करने के पश्चात् ही खोली गयीं और उनके आवंटन (Allotment) के समय क्षेत्रीय विधायकों की सिफारिश को भी ध्यान में रखा गया ।

मोटाढाक के लिये पेय जल योजना

१०—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गढ़वाल में बसे हुये पट्टी मोटाढाक के नागरिकों की पीने के पानी की समस्या हल हो गई ? यदि नहीं, तो कब तक पूरी होगी और क्या योजना सरकार बना रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

स्थानीय विकास कार्यक्रम (Local Dovelopment works Programme) के अन्तर्गत ३.०८ लाख रुपये की लागत की एक पेय जल योजना मोटाढाक के लिये बनाई गई है । जिला परिषद्, गढ़वाल से १० प्रतिशत अंशदान योजना के नियमानुसार प्राप्त होने पर ही कार्य आरम्भ हो सकता है ।

अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह योजना कब तक पूरी होगी, क्योंकि इसका आरम्भ होना local Contribution इकट्ठा होने पर ही हो सकेगा ।

---

†छापी नहीं गई ।

जालौन नगरपालिका को सहायता

११—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५ से सन् १९६२ तक जालौन नगरपालिका को सड़क, नाली, पुलिया आदि बनवाने के लिये सरकार ने कितना अनुदान तथा ऋण दिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

नगरपालिका जालौन को सन् १९५५ से सन् १९६२ तक राज्य सरकार की ओर से ७७,३५० रु० का सड़क अनुदान दिया गया। इसके अतिरिक्त सन् १९५४–५५ में १०,००० रु० ट्रेक्टर खरीदने हेतु तथा ८०,००० रु० विस्थापितों की दूकानें बनाने के हेतु ऋण दिया गया।

१२—श्री उमाशंकर—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को सूचना है कि सरकार ने कोई नई सड़क जिसका नाम लक्ष्मी बाई मार्ग है, के निर्माणार्थ कुछ रुपया दिया है ? यदि हां, तो कितना और उस पैसे का क्या सदुपयोग हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

राज्य की ओर से लक्ष्मी बाई मार्ग के लिये कोई अनुदान विशिष्ट रूप से नहीं दिया गया।

१३—श्री उमाशंकर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन नगर में नेहरू वाचनालय और जनता पुस्तकालय को कितना अनुदान दिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

नेहरू वाचनालय के लिये कोई अनुदान राज्य की ओर से नहीं दिया गया है। और नगरपालिका की ओर से कोई जनता पुस्तकालय संचालित नहीं है। अतः अनुदान देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सदन को स्थगित करने की प्रार्थना

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी का अनुकरण करते हुये क्या वह इस समय सदन को स्थगित कर देंगे जिससे कि माननीय जो नये नेता चुने गये हैं वह अपने कार्य, अपनी नीतियों, अपनी पालिसीज को निर्धारित कर सकें। डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने जो सदन में उदाहरण पेश किया था, उसको मानते हुये क्या वह इस दिशा में कुछ कदम उठाने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष—

पहले शोक समाचार के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जो कहना चाहते हैं, वह कह लें।

विधान सभा सदस्य, श्री रामशंकर रविवासी तथा भूतपूर्व सदस्या, श्रीमती उमा नेहरू के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, आज जब हम फिर से कई महीने के बाद बैठ रहे हैं, मैं सदन को आपके द्वारा यह दुखद समाचार देना चाहता हूं कि एक हमारे सदस्य, श्री रामशंकर जी जो लखनऊ

जिले से इस सदन के सदस्य चुने गये थे, उनका देहावसान हो गया और दूसरे, हमारे प्रदेश और देश की नेत्री श्रीमती उमा नेहरू जी जो इस सदन की सदस्या थीं, उनका देहावसान हो गया।

श्री रामशंकर जी इस सदन के दो मर्तबा सदस्य चुने गए थे। १९५२–५७ तक वह इस सदन के सदस्य रहे और फिर १९६२ के चुनाव में वह सदन के सदस्य चुने गए। वह लखनऊ जिले के उन सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं में से थे जो सभी उन कार्यों को दिलचस्पी से पूरा करते थे जिनका सम्बन्ध जनता की उन्नति और उत्थान से है। स्वभाव के हमेशा मीठे और परेशानियों का बराबर मुकाबला करने वाले वह ऐसे व्यक्ति थे जो कि सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में सब को प्रिय थे और सदा बिना अपने को पब्लिसिटी में लाये हुए जनता की सेवा करने में अग्रसर रहते थे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि वह कम उम्र में हमारे बीच से चले गए। उनकी स्मृति हम सब को जो उनके बीच में कार्य करते रहे हैं, उनकी याद दिलाती रहेगी और उन कार्यों के पूरा करने में हमें शक्ति देती रहेगी जिनके पूरा करने में वह उत्सुकता रखते थे।

श्रीमती उमा नेहरू, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा, इस प्रदेश की और देश की उन नेत्रियों में थीं जिन्होंने नारी समाज में, आधुनिक युग में इस देश में जागृति लाने में अगुआ का कार्य किया है। उनका सम्बन्ध ऐसे घराने से रहा जो घराना देश के राजनीतिक कार्यों में सदा अगुवा रहा, त्याग और बलिदान में अगुवा रहा और उत्तर प्रदेश का जहां तक सम्बन्ध है, उस घराने ने उत्तर प्रदेश को बढ़ाने में और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को बढ़ाने में जो कार्य किया है वह हम सब को भलीभांति विदित है।

श्रीमती उमा नेहरू ने ढलती हुई उम्र में भी सार्वजनिक कार्यों से मुंह नहीं मोड़ा। १९३७ में फर्रुखाबाद के जिले से वह इस सदन की सदस्या चुनी गयी थीं। इसके बाद सन् १९४६ में भी वह सदन की सदस्या चुनी गईं। बाद में कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली की सदस्या चुनी गईं। उसके उपरान्त सन् १९५२ से १९५७ तक और १९५७ से १९६२ तक वह पार्लियामेंट की सदस्या रहीं। सन् १९६२ में कौंसिल आफ स्टेट की सदस्या वह इस सदन के द्वारा चुनी गईं। पिछले ४०, ५० वर्षों में सार्वजनिक जीवन में सदा उन्होंने हमारे प्रदेश की स्त्रियों की अगुवाई तो की ही है परन्तु प्रदेश का कोई जागृति और उत्थान का ऐसा कार्य नहीं था जिसमें उनका हाथ न रहा हो। कोई ऐसा आन्दोलन नहीं था जो गान्धी जी द्वारा इस प्रदेश या देश में चला हो और उस आन्दोलन में उन्होंने शिरकत न की हो। सब आन्दोलनों में उन्होंने शिरकत की और शिरकत करके बहुत-सी बहनों का ध्यान इस कार्य की तरफ आमन्त्रित किया और इन कार्यों में वर्षों तक वह संलग्न रहीं। आज वह हमारे बीच में नहीं रही परन्तु उन्होंने जो कुछ कार्य हमारे बीच में अपने जीवन में किया है वह कार्य सदा उनकी स्मृति हमारे बीच में ताजा रखेगा और बहुत सी बहनों को सार्वजनिक जीवन में कार्य करने के लिये उत्साहित करता रहेगा और उनकी भावनाओं को प्रोत्साहित करता रहेगा।

मैं अपनी ओर से और इस सदन की ओर से आपके द्वारा उन दोनों परिवारों को समवेदना भेजना चाहता हूं और इन दोनों व्यक्तियों के प्रति अपनी ओर से और सदन की ओर से श्रद्धान्जलि प्रकट करना चाहता हूं। मुझे आशा है अध्यक्ष महोदय, आप हमारी समवेदना को उन संतप्त परिवारों तक पहुंचा देंगे जिन परिवारों से हमारे इन दोनों साथियों का सम्बन्ध था।

श्री अध्यक्ष—

जनसंघ के नवनिर्वाचित नेता, माननीय शारदाभक्तसिंह।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो महान् आत्माओं के दुखद निधन के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूं और मैं अपने दल की ओर से उन महान् आत्माओं के दुःखद निधन पर उनके परिवारों के प्रति समवेदना प्रकट करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, जो भी जनसेवी कार्यकर्ता होता है उसका चला जाना एक दुःखद घटना होती है। मैं भी अपने दल की तरफ से आप के जरिये से, उनके परिवारों के प्रति समवेदना प्रकट करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने शोक प्रस्ताव पेश करते समय माननीय रामशंकर जी और माननीया उमा नेहरू के निधन पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। मैं भी उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, यह सही है कि मेरा व्यक्तिगत परिचय उनसे नहीं था मगर यह महान् कार्य है, पवित्र कर्त्तव्य है कि जिन लोगों ने मुल्क की खिदमत किसी भी रूप में, किसी भी हैसियत से की हो उनके निधन के समय उनकी सेवाओं से हम शिक्षा लें। विशेष रूप से माननीया उमा नेहरू, जब हम छात्र थे, हमने अपने विद्यालय में उनके भाषण सुने। उन दिनों वह महिलाओं में बहुत काम करती थीं और बड़ा परिश्रम किया करती थीं। महिलाओं में वह जा कर कार्य किया करती थीं, यह मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं समझता हूं आज नारी समाज को उनकी उन भावनाओं से प्रेरित होकर उनकी शिक्षा और उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिये जिससे वे समाज और देश की सेवा कर सकें। मैं आप से अपनी ओर से और अपने दल की ओर से निवेदन करता हूं कि हमारी समवेदना उनके परिवारों के पास पहुंचाने की आप कृपा करें।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया उमा नेहरू और माननीय रामशंकर जी के निधन पर जो नेता सदन ने और अन्य दलों के नेताओं ने समवेदना प्रकट की है, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और मेरा निवेदन है कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से उनके परिवारों तक हमारी समवेदना भी पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीया माननीया उमा नेहरू के निधन से हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। श्रीमती उमा नेहरू ने स्त्री समाज के लिये और हमारे देश के लिये जो काम किया है वह आने वाली पीढ़ियों के लिये भी प्रेरणा का विषय रहेगा। वह न केवल हमारे देश के नारी समाज के लिये बल्कि हमारे देश के आजादी के आन्दोलन में, वह अग्रणी थी। देश की आजादी के बाद जिस प्रकार से उन्होंने विश्वशान्ति और निःशस्त्रीकरण के आन्दोलन से अपने को सम्बद्ध किया वह इस बात का सब से बड़ा प्रमाण था कि श्रीमती उमा नेहरू के हृदय में न केवल नारी समाज के लिये, न केवल अपने देश के लिये बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति के लिए एक सद्भावना थी, एक प्रेम था जो सदा उनको एक प्रेरणा देता रहा। अपना स्वास्थ्य ठीक न होते हुये भी वे उस भावना से प्रेरित होती रहीं और श्रीमती उमा नेहरू ने इसीलिये शान्ति आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिये विदेश यात्रा भी की। श्रीमती उमा नेहरू प्रगति का प्रतीक थीं और जितनी भी प्रगतिशील विचार धारायें देश में थीं, जिनको आगे बढ़ाना आवश्यक था, जैसे अंतर्जातीय विवाह, नारी शिक्षा, नारी उत्थान आदि, उन सबमें उन्होंने देश की नारियों का नेतृत्व किया है और मैं समझता हूं कि उनकी मृत्यु से जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी सरलता से पूर्ति नहीं की जा सकती। मैं चाहता हूं कि मेरी और मेरे दल की समवेदना उनके परिवार तक आप पहुंचा दें।

श्री रामशंकर जी पिछले सात वर्ष से हमारे सदन के सदस्य थे। उनकी मृत्यु से लखनऊ जिले के ऐसे लोगों की क्षति हुई है जो लगन के साथ समाज की सेवा करते थे और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो भावना उनके लिये दर्शायी है, मैं उससे अपने और अपने दल को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्बद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि उनके परिवार तक यह हमारी समवेदना माननीय अध्यक्ष महोदय पहुंचा देंगे।

*श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती उमा नेहरू और श्री रामशंकर जी के निधन पर विरोधी दल के नेता तथा अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनके साथ मैं अपने को संबद्ध करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी और मेरे दल की ओर से यह समवेदना उनके परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

नेता सदन तथा अन्य विरोधी दल के नेताओं ने जो अपने विचार माननीया उमा नेहरू तथा श्री रामशंकर जी के निधन पर व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने रिपब्लिकन दल को संबद्ध करता हूं। श्रीमन्, नेहरू वंश ने स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह अपना पार्ट अदा किया है वह भारत के ही इतिहास में नहीं, बल्कि विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। आज उसी नेहरू वंश की माननीया सदस्या के निधन से जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी आसानी से पूर्ति नहीं की जा सकती। अतः मैं आप से यह प्रार्थना करता हूं कि हमारी और हमारे दल की समवेदना आप दुखी परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें और मैं दिवंगत आत्मा के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको सुख और शान्ति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष—

दिवंगत आत्माओं के लिये जो कुछ यहां कहा गया है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। आदरणीया उमा नेहरू का जो स्थान हमारी राजनीतिक और सामाजिक क्रान्ति में रहा है उसका इतिहास सच पूछिये तो पिछले ४०, ५० वर्ष का है। जहां तक माननीय रामशंकर जी का प्रश्न है, वह एक मौन, सरल और सौम्य व्यक्ति थे, कर्मठ थे और उनके चले जाने से लखनऊ की महान् क्षति हुई है। मैं इस सदन की समवेदना को उन के दुखी और संतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा।

अब हम उठें और दो मिनट खड़े होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सब सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए खड़े हुए।)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३†

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बन्शीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से.....

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी मूल आपत्ति यह है कि महामान्य राज्यपाल ने आदेश दिया कि सदन १६ तारीख को बुला लिया जाय। वह आपके पास आया था वह आदेश विद्ड्रा नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि उसके ऊपर क्या होगा?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष—

वह तो आयेगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३, को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं इसका विरोध करता हूं। मैंने लिखकर भी दे दिया है। अगर आप आदेश दें तो मैं बताऊं कि क्यों विरोध करना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त तो यह सिर्फ मेज पर रखा जा रहा है। इस सम्बन्ध में आपको अधिकार है और आप इस पर अननुमोदन का प्रस्ताव ले आ सकते हैं।

श्री उग्रसेन—

यह तो अवैध है मेज पर रखा ही नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष—

यह तो जून के महीने का है। इसलिए इसमें कोई अवैधता नहीं है।

श्री भगवानसहाय—

हम इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं, जब आयेगा।

श्री भगवान सहाय—

तो मैं उसकी नोटिस देता हूं।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६३*

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६३, सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, १९६३*

न्याय मंत्री के सभासचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३*

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

मैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैं यह कहता हूं कि माननीय राज्यपाल ने १६ तारीख को इस सदन को बुलाने की सूचना दी थी । यह सूचना विभाग की सूचना थी और आपने भी अभी इसका कोई प्रतिवाद नहीं किया। मैंने दूसरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न भी मंत्री जी के खिलाफ दे रखा है । ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि यह प्रस्तुत अध्यादेश नहीं निकल सकता और न ही प्रस्तुत किया जा सकता है और अवैधानिक तौर से निकाला गया है । इसलिए इसको प्रस्तुत करने का कोई सवाल नहीं उठता । १६ तारीख को क्या पोजीशन थी विधान सभा की ?

श्री अध्यक्ष—

यह अध्यादेश किस तिथि का है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

१७ सितम्बर, १९६३ का है ।

श्री अध्यक्ष—

श्री टम्बेश्वरप्रसाद का प्रश्न यह है कि १६ तारीख के लिए जब सदन को आहूत करने के लिए गवर्नर साहब का आदेश हो चुका था तो १७ तारीख को अध्यादेश जारी नहीं हो सकता ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मेरा निवेदन यह है कि इसमें बड़ी अवैधानिकता की गयी और उत्तर प्रदेश के जनपद के लोगों ने, जिला परिषद् के सदस्यों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं पहुंचायीं । हाईकोर्ट का फैसला हुआ जिसमें उन्होंने यह माना कि उनका नामांकन अवैध है और फिर से चुनाव कराया जाय . . .

श्री अध्यक्ष—

आप क्या यह आपत्ति कर रहे हैं कि यह मेज पर न रखा जाय या यह कि जो जारी किया गया वह अवैध था ? मैं आपसे निवेदन कर दूं . . .

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

प्वाइंट आफ आर्डर है मेरा ।

श्री अध्यक्ष—

वह मेरे बोलने पर नहीं हो सकता । अब एक प्रश्न तो यह है कि क्या वैधानिक दृष्टि से यह जारी नहीं किया जा सकता था ? वैधानिक दृष्टि से, का मतलब यह है कि संविधान के अन्तर्गत और हमारे नियमों के अन्तर्गत क्या यह गलत जारी हुआ है, नियम के विरुद्ध जारी हुआ है ? दूसरी बात, विधान के सम्बन्ध में यह हो सकती है कि जो अधिकार अध्यादेश में बरते गये हैं वह अनुचित और विधि के प्रतिकूल बरते गये हैं । इस समय मैं केवल उन

*छापा नहीं गया ।

[श्री अध्यक्ष—]

आपत्तियों को सुनूंगा जो आपत्तियां संविधान और नियमों के ऊपर आधारित हैं। यह बात कि वह अध्यादेश गलत तौर पर सरकार द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग में जारी किया गया है, यह बाद में विचार किया जायगा।

श्री उग्रसेन—

वही मैं कह रहा था। मैं कह रहा था कि यह अध्यादेश अवैध है। मैं स्वीकार करता हूं कि महामहिम राज्यपाल को सत्रावसान के बाद सदन को बुलाने का अधिकार है और इसके लिए उन्होंने घोषित कर दिया कि सदन का सत्र आरंभ हो गया। उस वक्त सदन का सत्र प्रारम्भ हो गया था, तो सरकार ने किस अधिकार से सहज न्याय की हत्या की है और हाई कोर्ट के फैसले से बचने के लिये मर्यादाविहीन और स्वार्थवश हो कर इस अध्यादेश को जारी किया? महामहिम राज्यपाल महोदय ने इसको जारी करने के पूर्व इस पर विचार भी नहीं किया, उनके सामने फाइल रख दी गयी .....

श्री अध्यक्ष—

यहां पर सदन में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये कि महामहिम राज्यपाल ने कोई गलती की या नहीं, और न ही उन पर कोई आक्षेप होना चाहिये।

श्री उग्रसेन—

सही है, मैं उन पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार ने अपने पाप को छिपाने के लिये महामहिम राज्यपाल महोदय को इस तरह की सिफारिश की जिसकी कि कोई आवश्यकता ही नहीं थी, राज्यपाल महोदय तो इलाहाबाद में मौजूद थे। फिर सत्र आरम्भ हो चुका था। आप लोक सभा या अन्य विधान सभाओं की रूलिंग देख कर हमें अवगत करायेंगे कि यह ठीक है तो हम मान लेंगे। मैं पूछता हूं कि कौनसी बात ऐसी आ पड़ी थी, सिवाय इसके कि माननीय गुप्ता जी की महत्वाकांक्षाओं और व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करना था, जिसके कारण यह जारी किया गया है? इसलिये मैं यह कहता हूं कि यह बिलकुल अवैध है, सरकार ने जो पाप किया है उसका मजा उसे चखना चाहिये।

श्री श्यामलाल—

मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष—

प्वाइन्ट आफ आर्डर का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति बोल रहा हो और वह नियमों के विरुद्ध हो, तब वह उठना चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से, आपका ध्यान संविधान की धारा २१३ की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्यपाल तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब कि दोनों सदन सेशन में न हों। श्रीमन्, १६ तारीख को राज्यपाल महोदय ने सेशन को आहूत किया। सेशन करने के लिये आदेश जारी किये। आप अपनी फाइल में देखें कि १६ तारीख को सेशन करने के लिये जो आदेश हुये थे वे वापस नहीं हुये। वह आदेश दोनों सदनों की बैठक जारी करने के लिये हुये थे। यह जो आपके यहां मिस्टर निगम हैं ....

श्री अध्यक्ष—

यह आपत्ति तो हो चुकी है।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आप सेशन की परिभाषा देखें।

"Session" means the period of time between the first meeting of the Assembly upon the summons of the Governor under Article 174(1) and its prorogation or dissolution under clause (2) thereof ;"

तो श्रीमन् हाउस उस समय प्रोरोग नहीं था। दोनों हाउसेज समन हो चुके थे। उसको विद्ड्रा भी नहीं किया गया था। इसलिये राज्यपाल महोदय को अध्यादेश जारी करने का कोई अख्तियार नहीं था।

श्री श्यामलाल—

श्रीमन्, यदि आप इस मामले को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि महामहिम राज्यपाल ने जिस प्रकार से आदेश दिये उसी आदेश को दूसरे शब्दों में सेक्रेटरी को दिया कि वे मेम्बरों को आदेश दे दें, बुलायें। इस प्रकार राज्यपाल महोदय ने १६ तारीख के लिये आदेश दे दिया और उस आदेश को वापस भी नहीं लिया गया कि २३ सितम्बर को बुलाने का दूसरा आदेश दे दिया गया। इन दोनों आर्डर्स में कान्ट्राडिक्शन है। इसलिये वैधानिक दृष्टि से यह हाउस नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वरप्रसाद तथा श्री नेकराम जी की जो आपत्तियां हैं उनके संबंध में वे अनुच्छेद २१३ को कृपया देखें। वह इस प्रकार है—

"२१३—(१) उस समय को छोड़ कर जब कि राज्य की विधान सभा, तथा विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदन, सत्र में हैं यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।"

"उस समय को छोड़ कर" यानी यदि राज्य की विधान सभा, और अगर किसी प्रदेश में विधान परिषद् भी हो तो विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदन, सत्र में हों अर्थात् जहां केवल विधान सभा है वहां विधान सभा सत्र में हो और जहां दोनों सदन हैं वहां दोनों सदन सत्र में हों, तो उस अवस्था में राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। (सदन में बातचीत तथा शोर होने पर) मैं चाहता हूं कि हमें अपने सदन के गौरव, मर्यादा तथा गरिमा का संरक्षण करना चाहिये। इस प्रकार से बातचीत करना शोभा नहीं देता।

तो शर्त यह है कि अगर विधान सभा और विधान परिषद् दोनों ही सत्र में हों तो अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। विधान मंडल की परिभाषा है विधान परिषद् और विधान सभा। अब आगे बहस यह है कि मान भी लिया जाय कि विधान सभा की बैठक नहीं हो रही थी, लेकिन १६ तारीख को उसे आहूत करने के लिये आदेश जारी कर दिये गये थे, इसलिये वह भी सत्र में थी। इस बहस के अनुसार विधान सभा और विधान परिषद् दोनों सत्र में थीं, इसलिये यह अध्यादेश जारी नहीं हो सकता था। अब मैंने इसको देखने का प्रयत्न किया कि "सत्र" की व्याख्या हमारे संविधान में दी हुई है या नहीं। मुझे तो वह नहीं मिली, अगर किसी महानुभाव को मिले तो देख कर बतला देंगे।

श्री नेकराम शर्मा—

संविधान पर जो बसु की कमेंट्री है उसके पेज २१ पर सत्र की व्याख्या दी हुई है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, आप हमारी बात सुनने के बाद सरकार को क्यों नहीं सुनते हैं ? सरकार का जवाब आप ही दे रहे हैं, फिर हमारे लिये कठिन हो जाता है ।

एक सदस्य—

आप सरकार का पक्षपात कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि सरकार आपकी आपत्ति को मान लें तो क्या मैं अपनी आंखें बन्द कर लूं ? अगर आप और सरकार दोनों मिल कर कोई गड़बड़ी चलायें तो मैं उसे मानूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, एक गैर सदस्य सदन में हाजिर हैं, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं (व्यवधान) ।

श्री उग्रसेन—

अगर हम और सरकार की तरफ के लोग सदन में मिल जायं तो, श्रीमन्, ही यहां से हट जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

हट जाना मुझे मंजूर है, लेकिन गलत काम नहीं करूंगा ।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक गैर सदस्य इस आदरणीय सदन में अभी विराजमान थे । श्री शाहिद फाखरी जो इस आदरणीय सदन के सदस्य नहीं हैं, इस सदन के अन्दर मौजूद थे और माननीय बनारसी दास से बात कर रहे थे । उस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

माननीय बनारसी दास से यहां परामर्श कर रहे थे खड़े-खड़े ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मुझे यह बात कहनी है कि माननीय सदस्य विधान परिषद् के सदस्य हैं, यहां के नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । अगर वे आये और मेरी इजाजत के बगैर आये तो उन्होंने गलत किया और मैं उसे अनुचित समझता हूं । मैं चाहूंगा कि कोई व्यक्ति बिना मेरी आज्ञा के इस मंडप के अन्दर न आवे ।

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, मैं माननीय बनारसीदास और श्री शाहिद फाखरी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजियेगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

माननीय मुख्य सचेतक कांग्रेस दल यहां मौजूद हैं । यह सवाल उनकी तरफ से आना चाहिये था । तो मैं इस पर उनकी राय जानना चाहता हूं कि एक गैर सदस्य जिनसे वे बातचीत कर रहे थे, वे सदन में आये तो कांग्रेस पार्टी का मुख्य सचेतक होने के नाते यह सवाल पैदा होता है कि उनका उनसे सदन में बातचीत करना कहां तक उचित है और इससे कहां तक इस सदन के गौरव की रक्षा होती है । वे पार्टी के सचेतक हैं इसलिये मैं उन्हीं से कहता हूं ....

श्री अध्यक्ष—

अभी एक चीज को समाप्त कर लें ।

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, माननीय बनारसी दास, मुख्य सचेतक, कांग्रेस दल और श्री शाहिद फाखरी इन दोनों ने इस सदन की मर्यादा भंग की है, इसलिये मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की नोटिस दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप लिख कर दे देंगे ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, यह घटना सदन के सामने घटी है इसलिये इसको लिखित रूप में देने की आवश्यकता नहीं है । यह आपके सामने की बात है, इसलिये प्रिविलेज मोशन का डिस्पोजल यहीं पर होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

पहले मैं इसको समाप्त कर लूं ।

श्री उग्रसेन—

आप क्या सरकारी पक्ष को नहीं सुनेंगे इस बारे में ? अगर आपने सरकारी पक्ष को नहीं सुना और अपना फैसला दे दिया तो फिर बाद में क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

उस का निर्णय मैं कर रहा हूं.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, सत्र की परिभाषा.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, सत्र की परिभाषा नियमों में है वह इस प्रकार से है कि "सत्र का तात्पर्य उस कालावधि से है जो अनुच्छेद १७४(१) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा आहूत किये जाने पर सभा के प्रथम अधिवेशन से उक्त अनुच्छेद के खंड (२) के अन्तर्गत उसके सत्रावसान या विघटन तक हो ।" अब इस में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वह हैं "आहूत किये जाने पर सभा के प्रथम अधिवेशन" आज वह अधिवेशन हो रहा है । यही नहीं, बल्कि जहां जहां भी विधान सभायें या पार्लियामेंट्स हैं वहां वहां यही नियम हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप उपवेशन की भी परिभाषा पढ़ लें ।

श्री अध्यक्ष—

"उपवेशन का तात्पर्य किसी भी दिन कार्यारम्भ से लेकर उस दिन के लिये सदन के उठने तक सदन के सदस्यों के कार्य सम्पादनार्थ समवेत होने से है ।" यह है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इसी पर हमारा जोर है..... ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आप के सामने पार्लियामेंटरी डिक्शनरी पढ़कर सुना रहा हूं यह अब्राहम और हाटरे की है :—

"Each Parliament consists of one or more terms or periods known as sessions. The first of these begins on the day on which the new Parliament is directed by royal proclamation to meet, and continues until Parliament is prorogued by the Queen. The Lord Chancellor, in announcing the prorogation on behalf of the Queen, names the day on which Parliament is to reassemble, when the new session begins. The length of each session is, therefore determined by royal proclamation".

तो जिस दिन से बैठें उस दिन से तात्पर्य है....

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह कैसे है, नहीं यह बात नहीं है । आप बेन्सटर्स डिक्शनरी पढ़िये तो उस में है ।

श्री उग्रसेन—

जिस समय से राजकीय घोषणा हुई है उस समय से होगा यह साफ है ....

श्री अध्यक्ष—

नहीं, इस का मतलब हुआ कि जिस दिन मीट करने का आदेश हो उस दिन आरम्भ होगा, जब अधिवेशन आरम्भ होगा ....

श्री काशीनाथ मिश्र—

हिन्दी में अनुवाद कर दें श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष—

मतलब पहले अधिवेशन से है....

श्री नेकराम शर्मा—

जो पार्लियामेन्टरी डिक्शनरी पढ़ी उस से आप बता दें कि क्या आशय है.....

श्री अध्यक्ष—

उसी का अनुवाद हमारे नियम में है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

पार्लियामेन्टरी डिक्शनरी से ही आप बता दें ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

गवर्नर ने आहूत किस तारीख के लिये किया था यह प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह मानकर चलता हूं कि १६ तारीख को नहीं किया क्योंकि इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—

यह महत्वपूर्ण प्रश्न है श्रीमन् हम लोग भी इस पर तैयार हो कर आयें तब इसको आप लें।

श्री अध्यक्ष—

इसको अच्छी तरह देख लें। सत्र की जो व्यवस्था हमारे पास है वह स्पष्ट है कि जिस रोज अधिवेशन प्रारम्भ हो। इस सम्बन्ध में और भी प्रश्न हैं अगर आप चाहें तो इस पर बाद में विचार हो सकता है।

अनेक सदस्य—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) नियमावली, १९६३*

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्रम मन्त्री प्रस्तुत करें।

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १५७८-ए/३३-८०-आर-६२, दिनांक ४ अप्रैल, १९६३ के अधीन प्रख्यापित, उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) नियमावली, १९६३ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री शाहिद फाखरी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के बारे में जानकारी

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय शाहिद फाखरी वाला मामला रह गया, उसको ले लें।

श्री अध्यक्ष—

वह बाद में लेंगे।

---

*छापी नहीं गयी।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी एक प्रिवलेज का सवाल हाउस के सामने रखा गया और कम्टेम्प्ट आफ दि हाउस इन व्यू आफ दी हाउस हुआ। यह नहीं कि कहीं बाहर हुआ हो। उसके लिए लिख कर देने की आवश्यकता नहीं है तथा प्रागदर्शन में केस बनता है। अत: आप इसको देखें जब यह सवाल आये।

श्री अध्यक्ष—

इसका नोटिस माननीय रामायणराय जी ने दिया है, इसको कल देखेंगे।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६३*

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन, मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १२९९/३३-७६-आर-६२, दिनांक ४ अप्रैल, १९६३ के अधीन प्रख्यापित, उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६३ को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१, की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों के सदस्यों को चुनने की) नियमावली, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन*

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन, मैं उत्तर प्रदेश जिला परिषद (क्षेत्र समितियों के सदस्यों के चुनने की) नियमावली, १९६३, में पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १५६५-ए/३३—३६-आर-६१, दिनांक ४ अप्रैल, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१, की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२, में प्रख्यापित संशोधन †

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या १२४१/१—५८८-६२, दिनांक २५ मार्च, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०, की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

†छापे नहीं गये।

*छापी नहीं गयी।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन, यह तो २५ मार्च, की विज्ञप्ति है और हम लोग ४ अप्रैल, तक सीट कर रहे थे इसको मन्त्री जी तभी रख सकते थे।

श्री अध्यक्ष—

यह हमने तय किया था कि ८, १० दिन के लिये ऐसा हो सकता है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यता से सम्बद्ध विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६३*

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशी धर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १८५१-ए/३३—३९-आर—६२, दिनांक १८ अप्रैल, १९६३ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यता से सम्बद्ध विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६३, को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार नियम, १९६३

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

श्रीमन्, मैं राजस्व (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या १५९९/१-क—६३७—६२, दिनांक १७ अप्रैल, १९६३ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार नियम, १९६३ को, उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६२ की धारा ९ की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कठिनाइयों को दूर करने का) (चतुर्थ) आदेश, १९६३*

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६३२-ए ३३—१३ ए—६३, दिनांक १७ अप्रैल, १९६३ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कठिनाइयों को दूर करने का) (चतुर्थ) आदेश, १९६३ को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद, अधिनियम, १९६१ की धारा २७२ की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्ता का भुगतान) नियमावली, १९६३†

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

मैं आपकी आज्ञा से, अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १५९५-ए/३३—२२-आर—६१, दिनांक ९ मई, १९६३ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद्,

---

*छापी नहीं गई।
†छापा नहीं गया।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्ता का भुगतान) नियमावली, १९६३ का, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१, की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन†

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)---

मैं आपकी आज्ञा से, अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२, में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या १८२७/१-क---३६१३-५९, दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०, की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन†

न्याय मन्त्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८, में, वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्रीकर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० २८६०/दस---९६०-(ए० बी०-२)-६३, दिनांक ७ जून, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश की बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८, की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम १९५६ की धारा २ के अन्तर्गत प्रस्तावित आज्ञा*

गृह उप मन्त्री (श्री नवलकिशोर)---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५६ की धारा २ के अन्तर्गत प्रस्तावित आज्ञा के प्रारूप को उक्त अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, लखनऊ के ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन*

न्याय मन्त्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)---

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, लखनऊ के ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को, वेयर हाउसिंग ऐक्ट, १९६२, की धारा ३१ की उपधारा (११) से अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापी नहीं गयी।

†छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर नियमावली, १९६३*

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या १६३४–६ आई० सी०–१८-सी—१९६३, दिनांक २२ जून, १९६३, के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर नियमावली, १९६३ को, उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर, अधिनियम, १९६३, की धारा २७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

यंत्र चालित वाहनों से भिन्न वाहनों (Vehicles) तथा किराये पर चलने वाली या नगर के भीतर रखी गयी अन्य गाड़ियों (Conveyances) या वहां बांधी जाने वाली नावों पर कर निर्धारित करने और उसकी वसूली की नियमावली में प्रख्यापित संशोधन†

स्वायत्त शासन मन्त्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, यन्त्र चालित वाहनों से भिन्न वाहनों (vehicles) तथा किराये पर चलने वाली या नगर के भीतर रखी गयी अन्य गाड़ियों (Conveyances) या वहां बांधी जाने वाली नावों पर कर निर्धारित करने और उसकी वसूली की नियमावली में, नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या २-म/नि–१६/११–ग–१–कार्य—९–५७, दिनांक ३१ मई, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (निर्माण-कार्यों के लिए विस्तृत नक्शे और तखमीने तैयार और स्वीकृत करने तथा टेन्डर आदि आमन्त्रित करने, उनकी जांच और उन्हें स्वीकार करने की) नियमावली, १९६३*

स्वायत्त शासन मन्त्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

मैं, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से, नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४५-म (नि–१३) (शु०प०-१)/११–ग—१–कार्य–६–५७, दिनांक १० जून, १९६३ के अधीन प्रख्यापित शुद्धि-पत्र के साथ पठित नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४५-म (नि-१३)/११–ग–१–कार्य–६–५७, दिनांक २२ अप्रैल, १९६३, के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (निर्माण कार्यों के लिये विस्तृत नक्शे और तखमीने तैयार और स्वीकृत करने तथा टेन्डर आदि आमन्त्रित करने, उनकी जांच और उन्हें स्वीकार करने की) नियमावली, १९६३, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन†

रसद मन्त्री श्री जगमोहनसिंह नेगी) —

मैं उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में, खाद्य तथा रसद विभाग की विज्ञप्ति संख्या डब्ल्यू० एम० आर० ए० एम० (८)–८८५/२९-डी—५२५–५९,

---

*छापी नहीं गयी।

†छापे नहीं गये।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

दिनांक १० जून, १९६३, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९, की धारा ४३ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन†

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२, में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या २४४१/-क—३५२९-५९, दिनांक २९ मई, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०, की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन†

परिवहन मन्त्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० बी० आर० ए० एम० (४८) ११५१-टी-एम ३०/बी, दिनांक २७ जून, १९६३, के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९, की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार नियम, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन†

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार नियम, १९६३, में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या २६४९/१-क—६३७-६२, दिनांक २ जुलाई, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६२ की धारा ९ की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदरी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन†

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

अध्यक्ष महादय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या २८५६/१-क—५७९-डी-६२, दिनांक ३ जुलाई, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०, की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

†छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के प्रयोजनों के निमित्त गंदा तथा हानिकर भोजन नियत करने का नियम†

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा १९९ के प्रयोजनों के निमित्त गंदा तथा हानिकर भोजन नियत करने का नियम जो, उक्त अधिनियम की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९६१ में प्रख्यापित संशोधन†

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९६१ में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या २९३७/१—क—३५७-डी—६१, दिनांक २ अगस्त, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कठिनाइयों को दूर करने का) (पंचम) आदेश, १९६३†

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३४३३-ए/३३—१२४-ए-६३, दिनांक २७ जून, १९६३ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कठिनाइयों को दूर करने का) (पंचम) आदेश, १९६३ को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २७२ की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

यह पंचम आदेश सम्भवतः वही आदेश है जो अभी-अभी हाईकोर्ट द्वारा रद्द किया जा चुका है। यदि हां, तो उसे सदन की मेज पर रखने की आवश्यकता क्या है?

श्री अध्यक्ष—

यह कानून है।

दि इन्डियन टरपेन्टाइन ऐन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली, दि इन्डियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली और दि टरपेन्टाइन सब्सिडियरी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के वर्ष १९६०-६१ के कार्य संचालन की रिपोर्ट*

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं दि इन्डियन टरपेन्टाइन ऐन्ड रोजन कम्पनी लिमिटेड, बरेली, दि इन्डियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली और दि टरपेन्टाइन सब्सिडियरी

---

†छापे नहीं गये।

*छापी नहीं गयी।

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के वर्ष १९६०–६१ के कार्य-संचालन की रिपोर्ट को इन्डियन कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९-ए के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, १९६३ तथा उसमें प्रख्यापित संशोधन†

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं श्रम (ख) विभाग की विज्ञप्ति संख्या २०८४/एल० एल० ३६-बी—४८९ (एल-एल)–६२, दिनांक १ मई, १९६३ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, १९६३, एवं विज्ञप्ति संख्या ३०४१ (एल-एल)–३६-बी—४६८/(एल-एल)–६२, दिनांक २० मई, १९६३, के अधीन प्रख्यापित उक्त नियमावली में किये गये संशोधन को, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, १९६१ की धारा ४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, १९६१ के प्रख्यापित संशोधन*

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, १९६१ में, राजस्व भिाग की विज्ञप्ति संख्या १४४७/१-क—१६२६–६०, दिनांक ९ अगस्त, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यों का अनुमेलन) नियमावली, १९६३*

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १९८०-ए/३३-१८–आर–६२, दिनांक १३ मार्च, १९६३ के अधीन प्रख्यापित, उत्तर प्रदेश, जिला परिषद् (सदस्यों का अनुमेलन) नियमावली, १९६३ को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

डिलिमिटेशन आर्डर नम्बर १, दिनांक २० मार्च, १९६३†

न्याय मन्त्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से डिलिमिटेशन कमीशन आर्डर नम्बर १, दिनांक, २० मार्च, १९६३, को डिलिमिटेशन कमीशन ऐक्ट, १९६२ की धारा १० के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गये।
†छापी नहीं गयी।

वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस–टी–१७३८/दस–१०१२–१९६३, दिनांक, १ जून, १९६३*

न्याय मन्त्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० १७३८/दस—१०१२–१९६३ दिनांक १ जून, १९६३, को उक्त धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस–टी–१७३८/दस–१०१२–१९६३, दिनांक १ जून, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन*

न्याय मन्त्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस-टी०–१७३८/१०१२–१९६३, दिनांक १ जून, १९६३ में, वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३८६७/१०—९६०–५–१९५९, दिनांक २८ जून, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को उक्त धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन†

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५८४६/१-क—२७०–६१, दिनांक ३/७ जनवरी, १९६३ एवं संख्या यू० ओ० ३४०/१-क—४४३-डी–५९, दिनांक १२ फरवरी, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार दिनांक ३ अप्रैल, १९६३, को सदन की मेज पर रखे गये थे और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन*

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० पंचायत राज रूल्स में पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ११६३–प ३३–२८–३–६२, दिनांक १८ मार्च, १९६३ के अधीन प्रख्यापित

---

*छापी नहीं गयी।
†छापे नहीं गये।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

संशोधनों को, जो यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ५ अप्रैल, १९६३, को सदन की मेज पर रखे गये थे और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९६१ में प्रख्यापित संशोधन†

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९६१, में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या यू० ओ० ७५–क/१ क–३७५–डी-६१, दिनांक २ मार्च, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, जो उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार दिनांक ५ अप्रैल, १९६३ को सदन की मेज पर रखे गये थे और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन की मेज पर रखता हूं ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन†

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स १९४०, में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० बी० आर० एम० ५१–२४६०–टी–एम—३०, दिनांक १४ अगस्त, १९६३ तथा संख्या एम० बी० आर० ए० एम–५२–२४६६–टी–एम—३०, दिनांक १४ अगस्त, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

नगर महापालिकाओं के कार्यालयों में सार्वजनिक छुट्टियां मनाने से संबंधित नियम†

स्वायत्त शासन मंत्री की सभासचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या यू० ओ० २३७ (नि०–२०)/११–ग–५१३–कवाल–६०, दिनांक ८ मई, १९६३ के अधीन प्रख्यापित नगर महापालिकाओं के कार्यालयों में सार्वजनिक छुट्टियां मनाने से सम्बन्धित नियम को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार, सदन की मेज पर रखती हूं ।

नगर महापालिका न्यायाधिकरण (कार्य संचालन) नियमावली, १९६३*

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या १६१–म (नि–१९)/११–ग–१-कार्य–१४–भाग–२, दिनांक ५ अगस्त, १९६३ के अधीन प्रख्यापित

---

†छापे नहीं गये ।

*छापी नहीं गयी ।

नगर महापालिका न्यायाधिकरण (कार्य संचालन) नियमावली, १९६३, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन†

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या २४४७–टी–एम/३०–एम–बी–आर–ए–एम–५०, दिनांक २१ अगस्त, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९, की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन†

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३५०७/१–क–२८०–डी–६०, दिनांक २० अगस्त, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४, की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

डिलिमिटेशन कमीशन आर्डर नं० २, दिनांक २४ अगस्त, १९६३†

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं डिलिमिटेशन कमीशन आर्डर नम्बर २, दिनांक २४ अगस्त, १९६३ को, डिलिमिटेशन ऐक्ट, १९६२, की धारा १० के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६३*

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६३, के वित्त लेखे १९६१–६२ तथा विनियोग लेखे १९६१–६२ सहित, सदन की मेज पर रखता हूं।

वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस–टी–१८७/१०–९०० (१५)–६१, दिनांक १३ मई, १९६३†

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८, की धारा ३–क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस–टी–१८७/१०–९००(१५)–६१, दिनांक १३ मई, १९६३, को उक्त धारा ३–क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

†छापे नहीं गये।

*छापी नहीं गई।

गोरखपुर गोलीकांड जांच आयोग का प्रतिवेदन†

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से गोरखपुर गोलीकांड जांच आयोग का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

गोरखपुर गोलीकांड जांच रिपोर्ट कहां है?

श्री अध्यक्ष—

सदन की मेज पर है आप को मिल जायगी।

श्री रामायणराय—

उनकी मेज पर होगी। हम लोग उसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं। वह हमें मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

यह बाद में होगा।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर विधेयक, १९६३ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर विधेयक, १९६३ में किये गये संशोधनों के विवरण की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८९ पर)

उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक, १९६३ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक १९६३ में किये गये शाब्दिक संशोधनों के विवरण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९० पर)

उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि—

उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १ अप्रैल, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के १६ अप्रैल, १९६३ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २१ अप्रैल, १९६३, को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६३ का उत्तर प्रदेश का १२वां अधिनियम बन गया।

---

†छापे नहीं गये।

ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

मैं यह घोषणा करता हूं कि ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ८ फरवरी, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १५ फरवरी, १९६३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २३ अप्रैल, १९६३, को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६३ का उत्तर प्रदेश का १३वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ५ अप्रैल, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १५ अप्रैल, १९६३ को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १० मई, १९६३ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६३ का उत्तर प्रदेश का १४ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १ नवम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने संशोधित रूप में दिनांक २ अप्रैल, १९६३ की बैठक में पारित किया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ११ अप्रैल, १९६३ की बैठक में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किये गये संशोधनों को स्वीकार किया, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १४ मई, १९६३ को प्राप्त हो गई और वह सन् १९६३ का उत्तर प्रदेश का १५वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २८ मार्च, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १० अप्रैल, १९६३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २३ मई, १९६३ को प्राप्त हो गई और वह सन् १९६३ का उत्तर प्रदेश का १६वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विधि (नई दाशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश विधि (नई दाशमिक सिक्का

---

†छापे नहीं गये।

[सचिव, विधान सभा—]

प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९१—९५ पर)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९६—९८ पर)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९९–१०० पर)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १०१ पर)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १०२–१०४ पर)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १०५—१०६ पर)

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १०७ पर)

कांस्टीट्यूशन (सिक्स्टीन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम १८३ (१) के अन्तर्गत 'भारत संविधान' में प्रस्तावित संशोधनों से सम्बन्धित संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कांस्टीटयूशन (सिक्स्टीन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९६३, के विषय में भारत सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त प्रतिलिपि तथा उक्त बिल एवं तत्सम्बन्धी संसद की कार्यवाही की प्रतियां सदन की मेज पर रखता हूं।

तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

उसकी पांडुलिपि यहां रखी है?

श्री होतीलाल अग्रवाल—

जी हां, रखी है।

तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

मैं तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।†

---

†छापे नहीं गये।

तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

मैं विधान सभा की तृतीय विधान सभा का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कई सदस्य—

उसकी कापियां दीजिए।

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

कापियां बाद में बांटी जायंगी।

श्री अध्यक्ष—

जरा मार्जिन देख लीजिए, लिखा हुआ है मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

तो आज रखने की जरूरत क्या थी ?

श्री अध्यक्ष—

वह कायदे से जरूरी था, वह हाउस के सामने आ जाना चाहिए था।

श्री रामायणराय—

इस हाउस का भी तो कुछ पुनीत कर्त्तव्य होता है ?

श्री अध्यक्ष—

जब छप कर मिल जायगी तभी उसके ऊपर विचार होगा।

श्री रामायणराय—

कब तक मिल जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह बाद में मालूम कर लीजिएगा।

तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का षष्ठ तथा सप्तम प्रतिवेदन

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

मैं आपकी आज्ञा से तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का षष्ठ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†छापे नहीं गये।

मैं आप की आज्ञा से तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

आश्वासन समिति का बीसवां प्रतिवेदन

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

मैं, सभापति, आश्वासन समिति, विधान सभा, उत्तर प्रदेश आश्वासन समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का २०वां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बीसवां प्रतिवेदन समिति के १३वें प्रतिवेदन का अनुपूरक प्रतिवेदन है। इसमें उन १९ आश्वासनों का उल्लेख है जिनके सम्बन्ध में १३वें प्रतिवेदन पर विचार करते समय तक सरकारी सचिवालय के सम्बन्धित विभागों से समिति के पास कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इन १९ आश्वासनों में से १४ आश्वासन पूर्ण हो गये हैं और केवल ५ आश्वासन अपूर्ण हैं।

अध्यक्ष महोदय, आश्वासन समिति के प्रतिवेदनों के मुद्रण में जो विलम्ब हो रहा है उसकी ओर मैं विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं उनको उस आश्वासन की भी याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने इस विषय में ७ मार्च, १९६३ को इसी माननीय सदन को दिया था। उस दिन १६वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया था कि समिति के प्रतिवेदनों के छापने में प्रेस अत्यन्त विलम्ब कर रहा है। अतः प्रेस में ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे सदन की समितियों के प्रतिवेदन १५–२० दिन में छप जाया करें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उदारतापूर्वक सदन को इन शब्दों में आश्वस्त किया था कि "मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस दिशा में उन अधिकारियों का ध्यान खींचूंगा और उनसे कहूंगा कि जो चीज माननीय श्रीपालसिंह जी चाहते हैं और जिस तेजी से चाहते हैं, वह करें"।

समिति ने उक्त आश्वासन की पूर्ति हेतु अगले दिन अर्थात् ८ मार्च, १९६३ को उद्योग विभाग के पास भेज दिया था, किन्तु मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मंत्री के आश्वासन के बाद भी समिति के प्रतिवेदनों के मुद्रण में बराबर विलम्ब हो रहा है। मुझे यह बताया गया है कि उद्योग विभाग ने इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश प्रेस को जारी कर दिये हैं। ऐसी दशा में यह और भी खेद का विषय हो जाता है कि शासन के अधीनस्थ कर्मचारी माननीय मुख्य मंत्री के आश्वासन तथा तत्सम्बन्धी सरकारी आदेशों का पालन न करें। समिति का १७वां, १८वां तथा २०वां प्रतिवेदन गत जुलाई में मुद्रण हेतु प्रेस भेजे गये थे किन्तु इनमें से अभी तक केवल एक प्रतिवेदन ही छप सका है। इससे स्पष्ट हो जायगा कि गवर्नमेन्ट प्रेस माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को पूर्ण करने में पूर्णतया असफल रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा—वह इस समय यहां पर मौजूद नहीं हैं, यहां पर इस समय उपनेता सदन मौजूद हैं इसलिये मैं उनसे ही अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उन्होंने यह आश्वासन "आश्वासन समिति के प्रतिवेदनों" के सम्बन्ध में दिया था, उसकी पूर्ति के लिये गवर्नमेंट प्रेस में शीघ्रातिशीघ्र उचित व्यवस्था करने की कृपा करें। मुझे आशा है कि वह अवश्य ऐसा करेंगे।"

मैं चाहता हूं माननीय उपनेता सदन एक बार पुनः सदन को आश्वासन दें कि इसके बाद इस तरह की बात सदन के समक्ष नहीं आयेगी। अध्यक्ष महोदय, आज अभी विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट को उपस्थित करते समय यह बात सदस्यों के सामने आई कि जो प्रतिवेदन यहां पर रखे जा रहे हैं वह कहां हैं। प्रतिवेदन छपते नहीं हैं इस कारण सदस्यों में वितरित

[कुंवर श्रीपालसिंह]
नहीं किये जा सकते हैं। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री पहले आश्वासन दे चुके हैं परन्तु उसके अनुसार यह नहीं हुआ। इसलिये मैं पुनः आपके द्वारा माननीय उपनेता सदन से आग्रह करूंगा कि वह उस आश्वासन को दोहरायें और इस आश्वासन की पूर्ति की दिशा में अच्छी प्रकार से सहायक और अग्रसर हों।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

कोई दोहराने की बात नहीं है, लेकिन हम पूर्ति कराने की कोशिश करेंगे।

"मां की पुकार" नामक प्रदर्शनी के आयोजकों तथा व्याख्याकारों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास इस समय श्री झारखंडे राय जी द्वारा जो एक प्रश्न उठाया गया था विशेषाधिकार का, वह है और उस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं। उनके द्वारा लखनऊ में होने वाली एक औद्योगिक प्रदर्शनी के भीतर "मां की पुकार" नामक कक्ष के आयोजकों तथा उसमें लगे एक चित्र के व्याख्याकारों के लिये विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था। उस पर सदन के अवमान का तथा विशेषाधिकार अवहेलना का जो प्रश्न मैंने विशेषाधिकार समिति को भेजा था उस पर जो प्रतिवेदन आया है उसे देखने से पता चलता है कि जो तथ्य उनके सामने थे उन्हें ध्यान में रख कर कोई विशेषाधिकार का या सदन के अवमान का प्रश्न नहीं बनता और उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार यह प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर दूं। जब माननीय झारखंडे राय जी ने यह प्रश्न उठाया था उस समय कहा था कि जो चित्र प्रकाशित किया गया है उसमें ऐसा भासित किया गया है कि उन्होंने कोई ऐसा भाषण किया था कि जिससे यहां सिविल वार की संभावना है और वह हो जायगी और इस बात पर भी विशेषाधिकार समिति ने अपनी राय दी है और यह उचित होगा कि जिस समय आप निर्णय दे रहे हैं उसके साथ ही आप सदन को यह भी बतला दें कि उसने इस विषय में अपनी क्या राय दी है। समिति ने इस बात को एक ईश्यू बना कर अपनी राय दी है।

श्री अध्यक्ष—

जो समिति ने लिखा है वह मैं पढ़ देता हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मेरी माननीय झारखंडे राय जी स पर्सनली बात हुई थी और इस विषय में अगर आप कुछ कहेंगे तो मेरी बात भी सुनने की कृपा करें, क्योंकि झारखंडे राय जी सामने हैं और मैं उन्हीं शब्दों को दोहराना चाहूंगा कि जो उन्होंने यहां मेरे सामने कहे थे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद तथा माननीय चन्द्रजीत जी, मेरे सामन तो प्रश्न कवल यह है कि जो विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आयी थी उसे मैंने विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया था कि वह मुझे बतलाये कि जो तथ्य हैं उनके आधार पर कोई विशेषाधिकार की

अवहेलना का प्रश्न बनता है अथवा नहीं। समिति ने जो मुझे राय दी है वह इस प्रकार से है कि समिति यह मानने को तैयार है.....

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

आप संक्षेप में पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यदि प्रतिवेदन संशक्षेप में हो तो आप उस पूरा ही पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—

तो मैं उसको पढ़ता नहीं। जो माननीय सदस्य चाहें उसे देख सकते हैं। मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

आश्वासन समिति के एक निर्णय के संबंध में "नेशनल हेरल्ड" में गलत समाचार प्रकाशित करने के संबंध में उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय

श्री अध्यक्ष—

अब एक प्रश्न माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी, सभापति, आश्वासन समिति ने उठाया था विशेषाधिकार की अवहेलना का, जो इस प्रकार है :—

"मुझे यह निवेदन करना है कि लखनऊ से प्रकाशित दिनांक १७ जून, १९६३ के 'नेशनल हेरल्ड" के सिटी एडीशन के पृष्ठ ६ पर 'यू० पी० स्पीकर्स अपील टर्न्ड डाउन' शीर्षक के अधीन आश्वासन समिति के एक निर्णय के सम्बन्ध में एक ऐसा समाचार छपा है जिससे समिति की राय में "नेशनल हेरल्ड" के सम्पादक तथा सम्बन्धित स्टाफ रिपोर्टर द्वारा समिति के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। इस सम्बन्ध में समिति ने एक संकल्प स्वीकार किया है जिसकी एक प्रतिलिपि में एक पत्र के साथ उचित कार्यार्थ विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ७२ के अन्तर्गत आपके पास भेज रहा हूं। आप से प्रार्थना है कि आप उक्त नियमावली के नियम ६७ तथा ६८ के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।"

मैंने इस सम्बन्ध में सम्पादक और रिपोर्टर "नेशनल हेरल्ड" को बुलाया। माननीय संपादक तो नहीं आ सके। वह दिल्ली गये हुए थे, लेकिन उनका पत्र आया था और रिपोर्टर आये थे। उन्होंने खेद प्रकट किया था और अपने "नेशनल हेरल्ड" में एक विज्ञप्ति उसके बाद छापी थी। ७ सितम्बर, १९६३ को "नेशनल हेराल्ड" में १७ जून, १९६३ के समाचार का खंडन प्रकाशित किया गया था और गलत सूचना छापने के लिये खेद भी प्रकट किया गया था। चूंकि खेद प्रकट किया गया है इसलिये मैंने इसको स्वीकार कर लिया है और अब यह समाप्त होता है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, जब आपने उनको बुलाकर खेद प्रकाशन ले लिया तब डाक्टर अहमद साहब के अमृत बाजार पत्रिका के सम्बन्ध में प्रश्न पर भी यह कार्यवाही आपने क्यों नहीं कर ली ?

श्री अध्यक्ष—

आपको कैसे मालूम कि कार्यवाही नहीं कर ली। आप इस प्रकार से अध्यक्ष के प्रति आपेक्षात्मक प्रश्न करते हैं यह अनुचित है। रघुनाथ सिंह जी, आप कृपया बैठ जाइये।

श्री रघुनाथसिंह—

मैं बहुत कम बोलता हूं मेरी बात तो सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आप बैठ जाइये ।

श्री रघुनाथसिंह—

जब कोई कहता है तो आपको एतराज होता है और जब आप कहते हैं तो कोई बात नहीं होती ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री रघुनाथसिंह—

सदस्यों में यह भेदभाव अनुचित है....

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आदेश देता हूं, आप बैठ जाइये !

(श्री रघुनाथसिंह के बैठ जाने पर)

जब अध्यक्ष से प्रश्न हो तो उसकी भाषा अत्यन्त शिष्ट होनी चाहिए । यह आपका ढंग अत्यन्त अनुचित है पूछने का । यह क्या तरीका है ? इस आक्षेपात्मक तरीके से पूछना उचित नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

वह आपको याद दिला रहे थे, श्रीमन्, आप ताव में आ गये जो आपको नहीं चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष—

यह याद दिलाने का क्या तरीका है ? जिस तरह से आप बोल रहे हैं अगर वह भी उस तरह से बोलते कि हम आपको याद दिलाते हैं तो ठीक होता और मुझे कोई आपत्ति न होती ।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के सदन में प्रस्तुत होने के पूर्व कुछ अंशों के "नार्दर्न इंडिया पत्रिका", इलाहाबाद में प्रकाशित होने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—

लोक लेखा समिति के सभापति ने एक शिकायत यह की है कि कोई रिपोर्ट समिति को छपने के पहले वह रिपोर्ट "अमृत बाजार पत्रिका" में छप गई, "नार्दर्न इंडिया पत्रिका" इलाहाबाद में । इसको मैंने विशेषाधिकार समिति के पास भेजा है । यह मामला अब विशेषाधिकार समिति के सामने है और वह उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, आप प्रक्रिया नियमावली के नियम ७२ को देखें। उसमें लिखा है कि किसी कमेटी के चेयरमैन की तरफ से कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला उठाया जाय तब उसे सदन में आना चाहिए न कि आप उसे सीधे कमेटी में भेज दें।

श्री अध्यक्ष---

इसलिए बुलाया था कि समिति में जाने से पहले मैं तथ्य को समझ लूं।

श्री नेकराम शर्मा--

मैं यही तो कह रहा हूं कि पहले वह मामला इस सदन में आना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष---

नियम ७२ में क्या लिखा है ? आप पढ़िए।

श्री नेकराम शर्मा---

नियम ७२ में यह लिखा है ---

"जब कभी किसी समिति के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई हो तो उस समिति का सभापति अध्यक्ष को उस विषय का प्रतिवेदन देगा। अध्यक्ष इस मामल की सूचना सदन को देंगे और सभापति, अथवा उसकी अनुपस्थिति में समिति का अन्य कोई सदस्य, यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को तुरन्त ही या भविष्य में किसी समय विचाराधीन लिया जाय। तदुपरान्त नियम ६७ और ६८ में विहित प्रक्रिया का, जहां तक वह असंगत न हो, अनुसरण किया जायेगा"।

श्रीमन्, इसमें शब्द "Shall bring the matter to the Notice of the house." में शब्द "शैल" है। आपको अधिकार नहीं है श्रीमन्। आपको नियम ८२ में अधिकार है कि आप भेज सकते हैं लेकिन जब स्पैसिफिक प्राविजन नियम ७२ में मौजूद है तब आप नहीं भेज सकते। आपको सदन के सामने रखना होगा।

श्री अध्यक्ष---

श्री नेकराम जी, मैं आपसे सहमत हूं। ७२ में नियम ६७ और ६८ का भी जिक्र है। आप देखें, उसमें भ्रम पैदा हो गया। नियम ६७ में है यदि नियम ६४ के अन्तर्गत अध्यक्ष अपनी सम्मति दें तो वे उस मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर के सदन को यह सूचना दे सकेंगे आदि-आदि। तो कुछ इस भ्रम से कि ७२ में ६७-६८ का उल्लेख आ गया है तो शायद मेरी अनुमति की जरूरत पड़े और अनुमति की जरूरत पड़ती है तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि सदन के बैठने में विलम्ब हो, तो ८२ के अन्तर्गत भेज दिया है। ७२ के अन्तर्गत तो प्रश्न आ गया है। इस वक्त तो विशेषाधिकार समिति को मैंन निर्दिष्ट कर दिया है।

एक सदस्य---

अब लंच का टाइम हो गया है।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, अब दो बजे तक के लिए हम उठते हैं।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

सत्ताधारी दल के नव-निर्वाचित नेता के चुनाव के उपरान्त वर्तमान नेता सदन के कार्य करने पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मैं एक मिनट चाहूंगा। आपने अपनी सूचना के अनुसार सदन को यह सूचना दी कि माननीय नेता सदन के स्थान पर चुनाव नहीं हुआ है, बल्कि उनके उत्तराधिकारी का ही केवल चुनाव हुआ है। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी आफिस के नोटिस बोर्ड पर एक सूचना लगी थी, मैं पार्टी से क्षमा चाहता हूं, जिसे मैं यहां नोंच कर ले आया हूं इसे आप पढ़ने की कृपा करें या इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं.....

श्री अध्यक्ष--

इसे आप मेरे पास भेज दें, मैं देख लूंगा।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के सदन में प्रस्तुत होने के पूर्व कुछ अंशों के "नार्दर्न इंडिया पत्रिका", इलाहाबाद में प्रकाशित होने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (क्रमागत)

श्री नेकराम शर्मा--

अध्यक्ष महोदय, जब हाउस स्थगित हुआ था तो यह नार्दर्न इंडिया पत्रिका वाला मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था। हमारी जो नियमावली है उसमें नियम ७२ में अंग्रेजी तथा हिन्दी में कुछ थोड़ा-सा अन्तर आ जाता है। अंग्रेजी में शब्द "शैल" है...

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। हम तो आपकी आपत्ति स्वीकार करते हैं। जो आप कह रहे हैं, उसके संबंध में मैं निवेदन कर दूं कि डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने जो पत्र भेजा था उसके अन्त में यह था कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय। तो उस आधार पर वह प्रीविलेज कमेटी को भेज दिया गया। उस समय समिति में भेजने के लिये मैंने इसलिए उचित समझा कि इसमें कुछ जानकारी करनी होगी, मसलन रिपोर्ट क्या है, जो समाचार में छपा है वह क्या है। क्या वह वही है जो रिपोर्ट में है या और कोई सूचना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैंने भेज दिया। अब वह वहां चला गया है, उनकी इच्छा के अनुसार, तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर, टैक्निकली, बिलकुल वैधानिक दृष्टि से, देखा जाय तो कदाचित् एक पक्ष में यह भी कहा जा सकता है कि नियम ८२ के अन्तर्गत जिसमें लिखा है कि कुछ भी नियमों में होते हुये भी अध्यक्ष को अधिकार है, तो उसके अन्तर्गत भेज देना भी मेरे अधिकार में था। तो उसे वहां रहने दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा--

इसमें लिखा है कि "there after the procedure laid down in rules 67 and 68 shall be followed." मेरी इत्तिला है कि जब आपके पास शिकायत आई तो नार्दर्न इंडिया पत्रिका के संवाददाता को नहीं बुलाया।

श्री अध्यक्ष--

उनको बुलाया गया। उन्होंने मेरे कार्यालय में आकर यही सूचना दी कि इस पर वह विचार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम विशेषाधिकार समिति के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं। यही उन्होंने कहा, जहां तक मुझे सूचना मिली है।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)--

जिस प्रश्न को आप प्रिविलेज कमेटी में भेज चुके हैं और उस पर वह कार्यवाही कर रही है, डाक्टर जेड० ए० अहमद को उसने समन भी कर लिया है, और समिति के वही अधिकार होते हैं जो हाउस के होते हैं, तो ऐसी हालत में सदन को उस पर विचार नहीं करना चाहिए वरना समिति का अवमान होगा।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)--

आपने जो किया है वह हमारे नियमों के अनुसार बिलकुल सही है। नियम ७२ के अनुसार किसी समिति के सभापति को यदि कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित हुआ है, तो वह आपके नोटिस में लाना चाहिये, और आपको क्या करना चाहिये, यह नियम ७२ में लिखा है। परन्तु नियम ८२ में लिखा है कि "Notwithstanding anything contained in these Rules" इन रूल्स में कहीं कुछ भी लिखा हो, उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय, यह काम कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

कुछ इंटरप्रिटेशन हुआ और जो लेखा समिति के चेयरमैन हैं उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य हुआ है। अतः मैं समझता हूं कि वही कार्यवाही होने दी जाय।

श्री नेकराम शर्मा--

आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया और उधर के दो माननीय सदस्यों को सुनकर व्यवस्था दे दी। यही शिकायत हमारी आप से रहती है।

श्री अध्यक्ष--

आपको उनके जवाब में क्या कहना है ?

श्री नेकराम शर्मा--

हमारे शरण साहब ने जो दलील रखी मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। नियम आपको इनेबिल जरूर करता है लेकिन उसमें यह स्पैसीफिक रूल मौजूद है और उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। रूल ७२ में आपको कोई अधिकार नहीं था सीधे कमेटी में भेजने का। कमेटी के चेयरमैन की रिपोर्ट को सदन में रखना चाहिये था। वह नहीं लाई गयी। आपने बड़ी कृपा करके, सदन की मर्यादा रखने के लिए और अपनी मर्यादा रखने के लिये, कहा कि गलती हुई। लेकिन अब आपने एक्सपंज कर दिया। आपको अधिकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि नियम का उल्लंघन हुआ, जानबूझ कर या कैसे हुआ, यह दूसरी बात है। तो यह सारी कार्यवाही अगर कमेटी का अपमान है तो सदन का भी बड़ा घोर अपमान है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस विषय को समिति से वापस लेकर सदन में लावें और सदन की राय सुनने के बाद उस पर कार्यवाही की जाय और जिस संवाददाता ने न्यूज भेजी है उन्हें भी बुलाया जाय। मैंने संवाददाता

[श्री नेकराम शर्मा]

से पूछा, उन्होंने कहा कि उनकी स्पीकर साहेब से कोई बात नहीं हुई। वह यहां मौजूद हैं। श्रीमन्, आप तो बहुत उच्च वकील हैं, आप नियमों का सम्मान करते हैं। इसमें लिखा है कि "Shall be presented to the House" आपको डिस्क्रीशन नहीं है। इसलिये वह हाउस में आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं आप से स्पष्ट कह दूं कि कोई व्यक्तिगत अहंकार के कारण मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं। माननीय जेड० ए० अहमद साहेब की प्रार्थना थी कि प्रिविलेज कमेटी में भेज दिया जाय। नियम ८२ में "Notwithstanding anything contained in these Rules" का वाक्य पढ़कर समझता था कि मुझे अधिकार है। अब एक दृष्टिकोण जो आप रख रहे हैं वह भी हो सकता है। लेकिन नियम ७२ में यह भी है कि सभापति उस समिति के प्रस्ताव रखेंगे कि वह क्या चाहते हैं। यह चाहते हैं कि वह समिति में भेज दिया जाय, और उसके अनुरूप मैंने भेज दिया। इसलिये अब उचित यही है कि उसे वहां रहने दिया जाय। नेकरामजी शर्मा की जो पोजीशन है, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो कानूनन हो सकता था वह उनकी इच्छा के अनुसार हो गया।

मेरा ख्याल था कि हमारे किसी माननीय सदस्य ने या सचिव द्वारा मुझसे यह कहा गया कि नार्दर्न इंडिया पत्रिका अपना पक्ष चाहते हैं। मुझे इस समय याद नहीं है कि किसने कहा। मेरा ख्याल था कि शायद पुरी साहब ने कहा हो, लेकिन वह कहते हैं कि उन्हें इस बात का ख्याल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह हो सकता है कि जो मुझे मालूम हुआ हो वह निराधार हो। इस वजह से वह पार्ट आफ दि रेकार्ड नहीं होगा।

सत्ताधारी दल के नव-निर्वाचित नेता के चुनाव के उपरान्त वर्तमान नेता सदन के कार्य करने पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

अध्यक्ष महोदय, यह व्हिप बहुत जरूरी है जो मैंने आपकी सेवा में भेजा है। आपने व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर उस पर रूलिंग दे दी। आपने कहा था कि इसमें जो कुछ लिखा है वह गलत है।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह की बातचीत करना गलत है। आप यह नहीं कह सकते कि यह गलत है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। कांग्रेज पार्टी के व्हिप की बात कह रहा हूं। आप उनके शब्दों को देख लें और अगर मैं गलत कहता होऊं तो जो आप जुरमाना करेंगे वह मैं मंजूर कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो पत्र मुझे भेजा है वह इस प्रकार है---"कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों की सेवा में। माननीय नेता जी के अदेशानुसार कांग्रेस विधान मंडल दल की एक आवश्यक बैठक दिनांक २१ सितम्बर, १९६३, शनिवार को सायंकाल ३ बजे कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में होना निश्चय

हुआ है। इस अवसर पर श्री कामराज नादर पर्यवेक्षक के रूप में पधार रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप समय पर आने की कृपा करें। कार्यक्रम--कामराज योजना तथा केन्द्रीय पार्लियामेंटरी बोर्ड के आदेशानुसार मौजूदा नेता की जगह नये नेता का चुनाव। अन्य आवश्यक विषय।"

अब कामराज योजना के अन्तर्गत यह था कि वर्तमान मुख्य मंत्री जब अपने पद से मुक्त होंगे इस्तीफा देकर तो उनके स्थान पर नया मुख्य मंत्री कौन हो? किस को नया नेता चुना जाय, इसके लिये ३ बजे मीटिंग रखी गयी थी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

आपने निजी जानकारी के आधार पर कहा था।

श्री अध्यक्ष--

अब बहस का कोई सवाल नहीं है।

श्री उग्रसेन--

माननीय बनारसीदास जी मौजूद हैं। आप उनसे पूछ लें। सब मामला ही हल हो जायगा। यह नेता का चुनाव नहीं हुआ है।

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

यह प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं होगा। यह निकाल दिया जायगा।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

माननीय नरसिंह नारायण जी और टम्बेश्वरी प्रसाद जी के दो प्रिविलेज मोशन्स हैं। उन्होंने यह आज ही दिये हैं। उनको देखकर और उनसे बातचीत करके मैं सदन के समक्ष रखूंगा।

माननीय राम किशोर जी त्रिपाठी ने भी अपनी विशेषाधिकार की सूचना में उन्हीं बातों को उठाया है जो माननीय नरसिंह नारायण और टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने उठायी है। जो बात माननीय नेकराम जी शर्मा ने १६ और २३ के बारे में उठायी थी उन्हीं के बारे में ये विशेषाधिकार के प्रश्न हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

मेरा तो कन्टेम्प्ट का था।

श्री अध्यक्ष--

वे दोनों एक ही चेप्टर में हैं।

[***] माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

प्रदेश के विभिन्न भागों में बाढ़ के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव, नियम ५२ तथा नियम ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

बाढ़ के संबंध में मेरे पास कार्य-स्थगन, नियम ५२ और ५३ के अन्तर्गत सूचनायें आयी हैं। मेरा यह खयाल है कि यह इतना गंभीर विषय है कि इसके लिये ऊपर सदन में चर्चा होनी ही चाहिये। यह मैं निश्चित मत का हूं। तो मैं इन सब को नियम ५३ में लेना चाहता हूं। अब पूर्व इसके कि यह हो, मैं चाहूंगा कि माननीय माल मंत्री जी इस संबंध में एक वक्तव्य दे दें ताकि नियम ५३ के अन्तर्गत जब बहस हो तो सदन के सदस्यों के पास पूरी जानकारी हो।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जब तक आपके पास नियम ५३ की व्यवस्थित सूचना नहीं होगी तब तक आप इन्हें नियम ५३ में कैसे ले लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं अभी बतलाता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, इसकी जरा जानकारी करा दी जाय कि काम रोको प्रस्ताव को आप नियम ५३ में कैसे ले लेंगे ?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि आप इसको नियम ५३ में न लेकर सरकार से आग्रह करें कि सरकार पूरा एक दिन इसके ऊपर दे ताकि इस पूरे विषय पर सम्यक विचार हो सके। बाढ़ की एक अजीब बात हो चुकी है कि वह हर साल हमारे प्रदेश में कहीं न कहीं आया करती है। तो आपसे मेरा यही आग्रह है कि इसके लिये पूरा एक दिन व्यवस्थित करें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

आपका कहना है कि कामरोको प्रस्ताव में नहीं आ सकते। श्रीमन्, बाढ़ की वजह से अस्सी से सवा सौ के बीच में लोग मर गये हैं और माननीय माल मंत्री व मुख्य मंत्री यहां चुनाव चक्कर में पड़े रहे तथा उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आपका जो कुछ कहना है कि सौ या सवा सौ आदमी मरे, यह ठीक कहते हैं। मैं स्वयं इस बात को मानता हूं और कह रहा हूं कि यह गंभीर विषय है और इस पर चर्चा होनी चाहिये। अब चर्चा होने के संबंध में प्रश्न उठाया गया है कि ऐडजर्नमेंट मोशन को नियम ५३ में लिया जा सकता है या नहीं ? इस संबंध में मैं आपका ध्यान भूतपूर्व अध्यक्ष श्री खेर साहब की रूलिंग की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। सन् ५९ में उन्होंने एक कामरोको प्रस्ताव को नियम ५३ में लिया और उस पर विचार हुआ।

श्री उग्रसेन--

मैं उस समय सदन का सदस्य था और मैं अधिकार पूर्वक और दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि गत ७ साल में कभी ऐसी बाढ़ नहीं आयी जिसमें सौ, सवा सौ लोग मर गये हों।

श्री अध्यक्ष--

जो बात आप कह रहे हैं वह और बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप तो समय अधिक चाहते हैं ताकि बहस अच्छी तरह से हो सके ?

श्री उग्रसेन--

मुझे समय का लालच नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसे नियम ५३ के अन्दर न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

अगर कामरोको प्रस्ताव में लेते हैं तो दो घंटे से अधिक समय आपको नहीं मिलेगा। अगर नियम ५२ में लेते है तो आधा घंटा और नियम ५३ में लेने पर ढाई घंटा समय मिलेगा।

श्री उग्रसेन--

यहां समय का प्रश्न नहीं है। यहां समस्या की गंभीरता का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

तो इस समय आपके सामने जो प्रश्न है वह यह कि कामरोको प्रस्ताव को नियम ५३ में लिया जा सकता है या नहीं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

आपने जिस नियम का हवाला दिया वह इसमें कहीं नहीं आता।

श्री अध्यक्ष--

वह तो समाप्त हो गया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मेरा तो कहना यह है कि कामरोको प्रस्ताव का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। नियम ५३ व ५२ के लिये जब सूचना दी जायगी तभी तो आप उसको स्वीकार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसके बारे में मैं अपना निर्णय बतला देता हूं।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

यह इतना बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कामरोको प्रस्ताव की महत्ता दो या ढाई घंटे की बहस से नहीं होती बल्कि काम रोको प्रस्ताव जब आता है तो उसके ऊपर गवर्नमेन्ट के खिलाफ वोटिंग होती है और उस वोटिंग में गवर्नमेन्ट जीत सकती है या हार सकती है। यह कामरोको प्रस्ताव जो रखा गया है उसकी बड़ी महत्ता है और यह संसदीय प्रथा के अनुरूप है। श्रीमन्, आपने स्वयं कहा कि बाढ़ का प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिये इसको नियम ५३ में न दें क्योंकि विरोधी दल के सभी लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संसदीय प्रथा के अनुसार और इसकी गंभीरता को देखते हुए आप कामरोको प्रस्ताव की इजाजत दे दें ताकि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेकराम शर्मा]

हम अपने विचार व्यक्त कर सकें, उसमें हमें वोटिंग का भी हक मिलेगा और गवर्नमेन्ट सेन्सर होती है या नहीं यह भी पता चल जायगा, यह अवसर हमें ५२–५३ में नहीं मिलेगा, इसलिये व्यवस्था देने से पूर्व आप हमें ऐसा अवसर दें . . . .

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, पहले खेर साहब के जमाने में स्थिति यह थी कि कई महत्वपूर्ण विषय थे, उन्होंने कहा कि मैं सब विषयों को एक साथ नहीं ले सकता इसलिये मैं नियम ५३ में इसको लेता हूं। उसमें उन्होंने कहा था कि इसके अतिरिक्त, ये जो महत्व के विषय खड़े हो गये जिनके विषय में लोग चर्चा करना चाहते हैं उन सब विषयों के ऊपर मैं नियम ५३ के अनुसार रोज एक एक विषय ले सकता हूं। मैं यह भी बता दूं कि कामरोको प्रस्ताव का विषय जाहिरा सरकार के ऊपर लदता भी नहीं।

श्री अध्यक्ष—

कामरोको प्रस्ताव में बहुत सी चीजें ऐसी कहना पड़ेंगी जो नहीं कही हैं इस वजह से कामरोको प्रस्ताव में न लेकर इसे नियम ५३ में ले रहा हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, एक दिक्कत इसमें यह पड़ रही है कि. . .

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैंने निर्णय दे दिया।

*श्री चन्द्रजीत यादव—

हमारी दिक्कत आप सुन लें, आपके निर्णय में यह एक मुख्य कठिनाई मालूम हो रही है कि आप तो उसमें ध्यान यह रख रहे हैं कि सदन को अधिक समय मिल जाय लेकिन आप इसको देखें कि कामरोको प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता, इस त्रुटि के कारण जो कमी है वह रह जाती है। आप समय का ख्याल करके ५३ में ले रहे हैं ताकि ढाई घंटा मिल जाय लेकिन यह प्रथा अच्छी नहीं पड़ेगी क्योंकि कामरोको प्रस्ताव में सरकार का सेन्सर होता है, कामरोको प्रस्ताव काम को रोक कर पेश किया जाता है कि उस पर पहले चर्चा हो, उसको समय के खयाल से अगर आप परिवर्तित करेंगे तो उचित नहीं मालूम होता। हमारे प्रदेश के सवा सौ आदमी मरे हैं और सरकार की रिपोर्ट भी है कि करीब सौ के आदमी अवश्य मरे हैं। अकेले मेरठ जिले में ही ५० हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और ५० करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है, तमाम सूबे में करोड़ों रुपए की संपत्ति और सैकड़ों आदमी प्रभावित हुए हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य आगरे से श्री भगवान दास जी आये हैं उन्होंने बताया है कि कोई व्यवस्था अभी तक सरकार की तरफ से नहीं हुई है, लोग बगैर घर बार के हो गये हैं और बहुत संख्या में हताहत हुए हैं, सरकार की ओर से जो कुछ हुआ है वह बहुत ही कम काम हुआ है, ऐसी स्थिति इस समय प्रदेश में है। इसलिये विचार करने लिये और सरकार को सेंसर करने के लिये इसको कामरोको प्रस्ताव के रूप में ही लेना आवश्यक है और समय का भी जहां तक संबंध है तो एक दिन से कम का समय इसके लिये रखना उचित न होगा। सारे प्रदेश में एक अव्यवस्था है, वाटरलागिंग होता है और हर तरह की हानि जनता की होती है। इसलिये हमारी और सदन की भावना का विचार कर के ढाई घंटे न देकर पूरा दिन देने की कृपा करें तो हम आप के आभारी होंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

तो क्या मंत्री जी का वक्तव्य बाद में आयेगा ?

श्री अध्यक्ष---

मैं कह रहा हूं कि वह पहले वक्तव्य देंगे। माननीय मंत्री जी वक्तव्य कब देंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

२६ या २७ को रख दीजिये, मैं वक्तव्य दे दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव---

२५ को रख दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

कौंसिल में २६ को वक्तव्य देना है।

श्री अध्यक्ष---

२८, २९ की छुट्टी है, ३० को मैं इस बहस को रखे दे रहा हूं, मैं पार्लियामन्ट की नजीर के अनुसार चाहता हूं कि पहले वक्तव्य हो जाय उसके बाद ३० तारीख को उस पर चर्चा हो जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

ठीक है, हम स्टेटमेन्ट तैयार करा लेंगे और २७ को यहां बयान दे देंगे।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, आप २७ को बयान दे दें।

श्री उग्रसेन---

वक्तव्य छपकर आयेगा ?

श्री अध्यक्ष---

जी हां।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अगर आज्ञा दें तो २७ को दे दूं ?

श्री अध्यक्ष---

ठीक है।

श्री नेकराम शर्मा---

अगर सदन ३० से पहले एडजर्न हो गया तो हम बहस न कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष---

इस संबंध में मेरी खुद प्रबल इच्छा है कि इस पर चर्चा हो जाय। अतः आप क्यों ऐसा समझते हैं कि ऐसा होगा। इस पर विचार होगा। मैं चाहता हूं पहले वक्तव्य हो जाय इसी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[श्री अध्यक्ष]

वास्ते कि नियम ५३ में बहस हो सके। माननीय यादवेन्दु जी का जो प्रश्न आया है, मैं इसको मंत्री जी को भेज रहा हूं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मेरे जिले में कोई रिलीफ नहीं की गयी। अगर आप जल्दी ही मंत्री जी से वक्तव्य नहीं दिलाते तो पूरे जिले में हालत और खराब हो जायगी। इस समय वहां यह हालत है। किसान और मजदूर भूखों मर रहे हैं। जनता से कलेक्शन करके उनके खाने का इन्तजाम हो रहा है और डेढ़ करोड़ रुपये का फिरोजाबाद में नुकसान हुआ है। अगर मंत्री जी जल्दी बयान दे दें तो काम शुरू हो जायगा। कल वहां २३ तारीख को एनाउन्स हुआ कि मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं तो मैंने माननीय राज्यपाल और रेवेन्यू मंत्री जी को टेलीग्राम दिया लेकिन उस पर अभी कोई अमल नहीं हुआ है। एक दर्जन आदमी मरे बाढ़ से। ८ आदमी कालरा से मर गये हैं इसलिये जल्दी बयान दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

आप फिरोजाबाद के संबंध में बहुत परेशान हैं। मने मंत्री जी को आपका प्रस्ताव भेज दिया है, वह देख लेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो कुछ मुझे करना था वह मैंने कर दिया है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, जितनी सूचनायें आपके पास नियम ५२, ५३ और काम रोको प्रस्ताव में आयी हैं वह सब मंत्री जी को भेज दें और उसी के अनुसार वह सब की सहायता कर दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं श्रीमन् यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जिलों के संबंध में प्रस्ताव आये हैं उनके अलावा भी प्रदेश के जिन अन्य जिलों में बाढ़ आयी है उन सब के संबंध में मंत्री जी का वक्तव्य होना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं पूरे प्रदेश को कवर करूंगा।

परीक्षाओं में असफल हरिजन विद्यार्थियों की छात्र-वृत्तियां बन्द हो जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत सर्वश्री भीखा लाल, छांगुर, झिलमिट राम का आया है। जो सूचना आयी है उससे विदित होता है कि जो हरिजन विद्यार्थी परीक्षाओं में असफल हुए हैं उनको रियायतें नहीं दी जा रही हैं। इस संबंध में स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये, इस वास्ते कि जहां तक साधारण जनता को पता है कोई ऐसी शर्त नहीं है जी० ओ० में कि अगर कोई हरिजन छात्र असफल हो तो उसकी छात्रवृत्ति बन्द कर दी जायगी। तो इसको मैंने स्वीकार कर लिया है। यह केवल स्टेटमेन्ट के लिये भेज रहा हूं।

चिकित्सा उप मंत्री (श्री धर्मसिंह)—

परसों में स्टेटमेन्ट दे दूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचना

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव होम गार्ड के बारे में मैंने दिया था जिसमें करोड़ों रुपये का गड़बड़ है...

श्री अध्यक्ष—

अब एक ही ले सकता हूं। आप हमसे मिल लीजिये। मैंने इस पर लिख दिया है कि आप क्वैश्चन के जरिये से पूछ लीजियेगा।

श्री शिवेन्द्रप्रताप—

मैं पूछ तो लूंगा। लेकिन करीब-करीब २, ३ करोड़ रुपये का गड़बड़ हो रहा है....

श्री अध्यक्ष—

उसमें आदेश दे दिया है। अब आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं।

मंत्रिपरिषद् के ९ सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मंत्रि-परिषद् के ९ सदस्यों ने सरकार द्वारा हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने तथा प्रशासन संबंधी मामलों में गलत हस्तक्षेप करने के कारण इस्तीफा दे दिया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से इस पर एक वक्तव्य दिलवाया जाय क्योंकि यह आक्षेप बहुत गंभीर है। नियम ५२ में मैंने इसे दिया भी है।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ का यह प्रश्न नहीं है। प्रत्येक मंत्री को जो त्याग-पत्र देता है वह चाहे तो अपना बयान दे सकता है। कोई दबाव उन पर नहीं डाला जा सकता है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

लोक सभा में अभी इसी तरह का वक्तव्य प्रधान मंत्री जी ने दिया है। प्रदेश में भी मुख्य मंत्री से आप इस तरह का वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

कोई नियम बतला दें जिसके अन्तर्गत मैं उनको मजबूर कर सकूं? नियम यह है कि जो भी मंत्री इस्तीफा देते हैं वे सदन के समक्ष कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

कमलासिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है वह नियम ५२ के अन्तर्गत आता है।

श्री अध्यक्ष—

उसको मैंने अस्वीकार कर दिया है । नियम ५२ में हो या चाहे किसी नियम में आता हो, उसे मैंने अस्वीकार कर दिया है इस बुनियाद पर कि मंत्री को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह अपना बयान दे । एक मर्तबा यह प्रश्न इस सदन में आ चुका है और उस पर निर्णय हो चुका है ।

श्री रामायणराय—

किसी मंत्री को मजबूर नहीं किया जा सकता, यह ठीक है लेकिन अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न नियम ५२ के अन्तर्गत लिये जाते हैं और आप भी इसे स्वीकार करेंगे कि यह प्रश्न लोक महत्व का तथा अविलम्बनीय महत्व का है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बहस व्यर्थ कर रहे हैं । नियम ५२ के अन्तर्गत मैं एक प्रश्न जब स्वीकार कर चुका हूं तो दूसरे खत्म हो गये ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा उप मंत्री (श्री केशभान)—

मैं प्रस्ताव करता हूं यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट में, विधान सभा द्वारा निर्वाचित श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह के निधन के कारण रिक्त स्थान पर कार्य करने के लिये, गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (१) की मद (१७) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (१) के अनुसार, विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट में, विधान सभा द्वारा निर्वाचित श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह के निधन के कारण रिक्त स्थान पर कार्य करने के लिये, गोरखपुर, विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (१) की मद (१७) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (१) के अनुसार, विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में ४ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि उप मंत्री (श्री शिवराजसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये, उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, १९६३ की धारा ३ की उपधारा (२) की मद (ङ) के अनुसार, विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये, उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, १९६३ की धारा ३ की उपधारा (२) की मद (ङ) के अनुसार, विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि नार्दन इंडिया पत्रिका, इलाहाबाद के ७ अगस्त, १९६३ के अंक में आडिट रिपोर्ट, १९६२ पर लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश, के प्रारूप प्रतिवेदन के कुछ अंशों के प्रकाशन से संबंधित, सभापति लोक लेखा समिति, द्वारा उठाया गया, विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न १४ अगस्त, १९६३ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया ;

और चूंकि उक्त प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का कोई समय नियत नहीं किया गया था और इसलिये विशेषाधिकार समिति को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम २६८ के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन एक मास के भीतर प्रस्तुत कर देना था किन्तु समिति उक्त अवधि के भीतर उपर्युक्त प्रश्न पर विचार समाप्त नहीं कर सकी;

अतः उक्त प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने का समय ३० नवम्बर, १९६३ तक बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि—

चूंकि नार्दर्न इंडिया पत्रिका, इलाहाबाद के, ७ अगस्त, १९६३ के अंक में आडिट रिपोर्ट, १९६२ पर लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश के प्रारूप प्रतिवेदन के कुछ अंशों के प्रकाशन से संबंधित, सभापति, लोक लेखा समिति, द्वारा उठाया गया, विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न १४ अगस्त, १९६३ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया ;

और चूंकि उक्त प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का कोई समय नियत नहीं किया गया था और इसलिये विशेषाधिकार समिति को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २६८ के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन एक मास के भीतर प्रस्तुत कर देना था किन्तु समिति उक्त अवधि के भीतर उपर्युक्त प्रश्न पर विचार समाप्त नहीं कर सकी;

अतः उक्त प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने का समय ३० नवम्बर, १९६३ तक बढ़ा दिया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

यह विधेयक अभी तक मिला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

पिजन होल में रख दिया गया है ।

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १०८–११४ पर)

उत्तर प्रदेश विधि (नयी दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) विधेयक, १९६३

श्री अध्यक्ष—

अब आइटम नं० ५१ लिया जायगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, नियम १६३ के अन्तर्गत यह पुरःस्थापित ही नहीं हुआ, इस पर विचार करने का प्रस्ताव कैसे आ सकता है? पहले इसको इन्ट्रोड्यूस तो करें। श्रीमन्, "विचार किया जाय" ऐसा प्रस्ताव आया है यह तो तब किया जाता है जब बिल यहां रख दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—

आइटम नम्बर ५१ देखिये। वह इस प्रकार है कि "सचिव, विधान सभा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश विधि (नई दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रति स्थापन) विधेयक, १९६३ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखेंगे। तो सदन की मेज पर रखने के बाद प्रस्ताव आपके सामने है विचार किया जाय।"

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। श्रीमन्, इसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है और कौंसिल से पास होकर आया है तो १४ दिन का समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

नियम १६३ है कि—

"When a bill originating in the Council has been passed by the Council and is received in the Assembly, copies of the Bill shall be laid on the table as soon as possible".

आज यह सदन की मेज पर रख दिया गया। अब इस पर विचार करने का प्रस्ताव आयेगा।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, नियम १६४ पढ़िये। वह इस प्रकार है कि—

"Notice to move for consideration of Bill—At any time after copies have been laid on the Table under rule 163 any Minister in the case of a Government Bill, or in any other case any member, may give notice of his intention to move that the Bill be taken into consideration".

165. *Motion for Consideration*—On the day on which the motion for consideration is set down in the list of business, which shall, unless the Speaker otherwise directs,....."

श्रीमन्, दो दिन का समय मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

तो यह कहिये । इधर-उधर की बात से गड़बड़ी होती है । इसमें स्पष्ट लिखा है कि दो दिन का नोटिस होना चाहिये । (राजस्व मंत्री जी से) आप को क्या कहना है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

इसमें आपको अधिकार है कि रिलेक्स कर दें ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जब आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं तो कहते लेकिन आपने अपने अधिकार का प्रयोग किया नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो बहस कर रहे हैं । इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई माननीय सदस्य आपत्ति करे तो वह प्रभावी होगा जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा न कहें । आपने आपत्ति की है तो वह प्रभावी होगी जब तक कि मैं न कहूं । अच्छा तो यह आइटम कल हो जायगा, आज नहीं हो सकता है।

कांस्टीट्यूशन (सिक्स्टीन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९६३

श्री अध्यक्ष—

नम्बर ७९ ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

इसका भी मैं विरोध करता हूं । नियम ९० में सात दिन का नोटिस होना चाहिये । गवर्नमेन्ट पता नहीं क्या कर रही है ? पार्लियामेन्टरी व्हिप और डिपार्टमेन्ट बिलकुल सोता मालूम होता है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कमेंटरी न कीजिये । आप आब्जेक्शन कीजिये । आब्जेक्शन तय करने वाला तो मैं हूं ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, नियम ९० आप देखें ।

श्री अध्यक्ष—

बिलकुल ठीक कहते हैं आप । मैं मानता हूं । उसमें सात दिन का नोटिस चाहिये । (सरकार से) आपको क्या कहना है ?

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

आप उनसे क्या पूछते हैं ? सारा नियमों के विपरीत आचरण करते हैं । आप स्वयं व्यवस्था क्यों नहीं देते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जब मैं सरकार से नहीं पूछता हूं तो आप शिकायत करते हैं कि पूछते नहीं और जब पूछता हूं तो आप परेशान होते हैं कि क्यों पूछता हूं । दोनों तरह से आपको परेशानी होती है।

"If the Government desire to move a resolution they shall give seven days' notice and shall along with it supply a copy of the resolution to the Secretary, who shall have its copies sent to members within forty-eight hours of its receipt :

Provided that the Speaker may allow a shorter notice".

शार्टर नोटिस तो मैं कर सकता हूं लेकिन विदआउट नोटिस नहीं होना चाहिये। यह नोटिस आज हुई । यह आज की नोटिस कुछ नहीं ।

तो इसको २६ को रख दिया जाय ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—

रूल १८३ में इसके लिये स्पेसिफिक प्राविजन है । जो हमारा स्कोप है डिस्कशन का अन्य प्रस्तावों से जरा भिन्न है।

"(1) On receipt of a communication or message for ratification of the amendment to the Constitution, the same along with a copy of the bill and the debates thereon shall be laid on the Table of the House by the Secretary.

(2) The Speaker shall, in consultation with the Leader of the House, fix a date for discussion thereon".

इसके लिये कोई डेट फिक्स कर दें जो आप मुनासिब समझें ।

श्री अध्यक्ष—

इसके सब रूल (३) में यह है—

"(3) Rules and orders relating to discussion of a resolution shall apply mataris mutandis to the discussion of the said resolution".

अगर आप संकल्पों का चैप्टर देखें तो उसमें यह है कि जो अन-आफिशल रेजोल्यूशन होंगे उनकी १५ दिन की नोटिस होगी और जो गवर्नमेन्ट के रेजोल्यूशन होंगे उनकी सात दिन की नोटिस होगी । तो ऐसी अवस्था में वह रूल अप्लाई करता है ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि चाहे हम रेटिफाई करें या न करें, विधान के अनुसार अगर आधी स्टेट्स रेटिफाई कर दें तो हमारा रेटिफिकेशन न करना बेकार हो जायगा। इसलिये इसकी तारीख जल्दी मुकर्रर कर दी जाय, ताकि ऐसी बात न हो क्योंकि जब वह पास हुआ है पार्लियामेन्ट में उसे अरसा हो गया है । तो अगरचे हम नहीं भी भेजेंगे और आधे से ज्यादा वहां पहुंच गये तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम शर्मा जी, उनको सुन लीजिये। इसीलिये मैं सरकारी पक्ष को नहीं बुलाता हूं क्योंकि जहां वह बोले नहीं कि इधर आप लोग बोलने लगते हैं ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

तो मैं यही कह रहा था कि जब यह वहां पास हुआ था और जब यह खत वहां से हमारे पास आया था तो इसको आये इतना अरसा हो गया है कि बहुत मुमकिन है कि ....

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, अब मैंने सुन लिया। मुझे यह मालूम हुआ है कि २१ तारीख को यह सूचना मिली है सदन के आदरणीय सदस्यों को, तो २५ या २६ तारीख को रख लिया जाय ?

श्री मुलतानसिंह (जिला आगरा)—

जब सात दिन की नोटिस मानते हैं तो .....

श्री अध्यक्ष—

नहीं, उसमें शार्टर नोटिस हो सकती है। तो २५ तारीख रखें या २६ तारीख ?

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

२६ तारीख के लिये बाढ़ वाले के लिये कहा गया है, २५ रख लिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा—

उसमें एक दिक्कत यह है कि हम ने आप से भी निवेदन किया था और सरकार से भी निवेदन किया था कि सेशन बुलाइये लेकिन उस वक्त कहा यह गया कि कोई प्रोग्राम ही नहीं है और आज एजेन्डे पर प्रोग्राम का ढेर लगा हुआ है और इसके लिये यह कहा जा रहा है ....

श्री अध्यक्ष—

नेकराम जी, यू आर राइट (You are right)। लेकिन अगर मैं कोई गलती करूं या वह करें तो क्या सदन बन्द कर दिया जाय, काम न हो ? ऐसा तो नहीं है। उसके लिये आप कह सकते हैं कि बहुत खराब है, गड़बड़ है, लेकिन हमें काम तो करना है। तो २५ तारीख इसके लिये तय रही।

असरकारी दिवस न दिये जाने पर आपत्ति

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम हमें मिला है छप कर उसमें एक चीज देख कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो हमारा गैर-सरकारी दिन था उसे भी सरकार को आपने दे दिया है और पिछले सत्र में आपने यह आश्वासन दिया था कि गैर-सरकारी दिन बहुत महत्व-पूर्ण होते हैं जिस दिन कि माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव ले आते हैं और आपने कहा था कि आने वाले सत्र में इस बात का ध्यान रखा जायगा कि कोई गैर-सरकारी दिन न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है। मैं आपको बता दूं। मेरे पास जब यह प्रार्थना सरकार की तरफ से आयी तो मैंने उस पर लिख दिया है, स्वीकार किया जाता है लेकिन आगामी बैठक में पहले चार दिन नान-आफिशियल बिजनेस के लिये रिजर्व रहेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव—

हमें तो भय है कि जिस प्रकार से सरकार असेम्बली बुला रही है, उसको देखते हुये, हो सकता है, अगले ६ महीने तक सरकार फिर असेम्बली न बुलाये। अभी मैं मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस देख रहा था, उसमें वार टाइम में भी कभी गैर-सरकारी दिन नहीं लिया गया जबकि इतनी इमर्जेंसी वार टाइम में थी।

श्री अध्यक्ष—

अब तो माननीय चन्द्रजीत जी, मैंने इसके लिये स्वीकृति दे दी है और उस पर यह लिख दिया है कि अगली बैठक में पहले चार दिन गैर-सरकारी दिवस माने जावेंगे।

सदन की बैठक की अवधि संबंधी सूचना श्री अध्यक्ष को देने से पूर्व पत्रों में प्रकाशित करने पर आपत्ति

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। अनधिकार चेष्टा नित्यप्रति मंत्रियों की ओर से होती है। जब यह सदन की बैठक बुलायी गयी तो उसमें कई बार बनारसीदास जी के नाम से, गुप्ता जी के नाम से यह निकला कि सदन की बैठक १६ से ३० तक होगी। आखिर में जाकर यह निकला कि २३ से ३० तक सदन बैठेगा। मैंने उसी दिन अपने सचिवालय को एक पत्र लिखा, पुरी जी को दिया, आप से मिला और पूछा कि सदन का कार्यक्रम क्या है तो मुझे यह बतलाया गया कि कोई कार्यक्रम हमें प्राप्त ही नहीं हुआ है कि यह सदन कब तक बैठेगा, क्या-क्या काम करेंगे। तो आपको भी तो जानकारी नहीं होती उसकी जानकारी गैर जिम्मेदाराना ढंग से इस तरह से दूसरों को करा दी जाती है और बाद में उसका पालन भी नहीं होता है। मैंने उस दिन दोनों जगह इसको वेरीफाइ किया तो मालूम हुआ कि यह सही है कि ३० तारीख तक असेम्बली बैठेगी। तो इस तरह से सचेतक, कांग्रेस पार्टी हों, मुख्य मंत्री, नेता सदन हों, या कोई भी हो जब असेम्बली प्रोरोग है और जब उसे बुलाना आपके अधिकार में है तो उनकी तरफ से इस तरह की घोषणा करना ठीक नहीं है और मैं आप से निवेदन करूं कि आप उनके ऊपर कार्यवाही करें। समाचार-पत्रों की बात को लेकर चूंकि प्रिविलेज का सवाल नहीं उठ सकता है, लेकिन मेरा आप से यह निवेदन है कि आप इस बारे में सख्त से सख्त आदेश सरकार को दें जिस से कि भविष्य में ऐसे वाकयात फिर न हों।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस सम्बन्ध में पहले जब माननीय भगवानसहाय जी ने प्रश्न उठाया था उस समय अपने विचार प्रकट किये थे। उस सम्बन्ध में मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मैं बनारसीदास जी से बात कर चुका हूं। उन्होंने मुझे इस बात का आश्वासन दिया है कि वह इसको सरकार के सामने रखेंगे और मेरे विचारों को सामने रखते हुये उपयुक्त कार्यवाही करेंगे। यह बिलकुल ठीक है। सदन को बुलाने की कार्यवाही या सदन में आगे क्या कार्यवाही होगी यह सब पहले मुझे मालूम होना चाहिये, पूर्व इसके कि वह समाचार-पत्रों में जाय। यह बिलकुल उचित है और यह नहीं होना चाहिये। पहले मुझे मालूम हो जाना चाहिये। इस सदन को बुलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जब तक सदन प्रोरोग नहीं होता तब तक यह मेरे अधिकार की बात है। इसको स्थगित करना भी मेरे अधिकार की बात है। तो मैं समझता हूं कि यह २३ से ३० तक सदन के चलने की बात जो कही गई वह नहीं होनी चाहिये थी और गलत बात है। जहां तक यहां के कार्य-क्रम की बात है जिस दिन टम्बेश्वरप्रसाद जी ने मुझ से पूछा था मैंने उसी दिन इसको मालूम किया था और आगे ऐसा नहीं होगा।

सदन के भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

मैं इस सप्ताह का कार्य-क्रम सदन के सामने रखना चाहता हूं जो इस प्रकार है ....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या इस कार्य-क्रम के लिये कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति तो इनके लिये समय निश्चित करेगी लेकिन उसका क्रम तो यही बतलायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दाऊदयाल खन्ना--

उत्तर प्रदेश विधि (नई दाशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) विधेयक, १९६३, २३ तारीख को पारित होना था किन्तु अब यह विधेयक २४ तारीख को लिया जायगा। जैसा कि यह विधेयक विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है उस पर विचार होगा और उसको पारित किया जायगा।

(२) २४ सितम्बर से २७ सितम्बर तक का यह और कार्य-क्रम है कि "भारत का संविधान" में संसद के सदनों द्वारा पारित कांस्टीट्यूशन (सिक्सटीन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९६३ द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अनुसमर्थन के प्रस्ताव पर विचार एवं उसका पारण।

(३) उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।

(४) उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।

(५) उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।

(६) उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३, पर विचार एवं उसका पारण।

(७) उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्प कालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।

(८) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।

(९) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।

(१०) अन्य विधेयक, जो विधान परिषद् द्वारा पारित होंगे और विधान सभा के विचारार्थ प्रस्तुत होंगे।

जनसंघ दल के नव-निर्वाचित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

पूर्व इसके कि हम उठें, मैं सदन की जानकारी के लिये एक सूचना देना चाहता हूं। जनसंघ दल का जो नव-निर्वाचन हुआ है उसके अनुसार इस प्रकार से अधिकारी चुने गये हैं--

नेता, जनसंघ विधान मंडल दल	..	श्री पीताम्बरदास।
नेता, विधान सभा दल	..	श्री शारदाभक्तसिंह।
उपनेता, विधान सभा दल	..	श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी।
मुख्य सचेतक	..	श्री टम्बेश्वरप्रसाद।
सचेतक	..	१--श्री हरीशकुमार गंगवार। २--श्री बसन्त सिंह।
मंत्री	..	राजा कृष्णपाल सिंह।
सह-मंत्री	..	श्री मन्नालाल। श्री हिम्मतसिंह।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
२३ सितम्बर, १९६३।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२ पर)

कानपुर, मथुरा और आगरा जिलों के रोड साइड एवैन्यूज के लिये १९६२–६३ से १९७१–७२ के समय के लिये कार्य-योजना के अध्याय २ के अनुच्छेद ४५ की प्रति––

अनुच्छेद ४५––कटान के सम्पादन का ढंग ।

निम्नलिखित प्रकार के वृक्ष काटे जायेंगे––

(अ) समस्त मरे हुये और मरते हुये वृक्ष;

(ब) निम्नलिखित प्रकार के वृक्षों के अतिरिक्त १६ इंच से अधिक व्यास के वृक्ष––

(१) सड़क से मिले हुये गांवों, मंदिरों और कुंओं के वृक्ष जो कि १० वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहने के लायक हैं ;

(२) जो वृक्ष १० वर्ष से अधिक जीवित रहने लायक हैं, सीधे हैं, लगभग एक ही आयु के हैं और एक या अधिक फर्लांग तक एक रूप का कुंज बनाते हैं।

(स) १६ इंच से कम व्यास का भद्दा और बुरी आकृति का कोई वृक्ष ।

(द) शॉक बेल्ट के वृक्ष।

———

नत्थी 'ख'

[(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२ पर)

उत्तर प्रदेश सरकार
नगरपालिका (ग) विभाग

संख्या ९५५/सी-११-ग---१०९-सी०-६३

लखनऊ, १७ सितम्बर, १९६३ ई०

वैभागिक विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२ के अन्तर्गत रुद्रपुर टाउन एरिया में लगाये गये कर के विरोध सम्बन्धी मंत्री, स्वायत्त शासन, उत्तर प्रदेश को प्रेषित सातवें रुद्रपुर राप्ती-कछार जन सम्मेलन में पारित प्रस्ताव दिनांक १२ जुलाई, १९६३ के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को श्री चन्द्रबलीसिंह, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को यह सूचित करने का निदेश है कि उक्त कर को अधिनियम की धारा ६ के अधीन दी गई छूटों के अतिरिक्त नगर क्षेत्र में स्थित समस्त भूमि और भवनों पर लगाने का प्राविधान है। राज्य सरकार ने, उन भूमि तथा भवनों को, जिनका कर मूल्य १२० रु० वार्षिक से कम है, उक्त कर के आरोपण से छूट दे दी है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है, जिसके अन्तर्गत रुद्रपुर टाउन एरिया में स्थित समस्त भूमि और भवनों को उक्त कर से मुक्त किया जा सके।

ह० प्रयागदत्त चतुर्वेदी,
अनु सचिव।

श्री चन्द्रबलीसिंह,
सदस्य, विधान सभा,
सभापति, सातवां रुद्रपुर राप्ती कछार जन सम्मेलन,
रुद्रपुर, जिला देवरिया।

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ ५८ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर विधेयक, १९६३ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण ।

१—खंड ४ के स्पष्टीकरण (१) की उपान्तीय टिप्पणी में "१९६०" के स्थान पर "१८६०" रख दिया गया है, तथा इसी स्पष्टीकरण की पंक्ति ३ में से शब्द "संस्था" हटा दिया गया है ।

(२) खंड १५ की उपान्तीय टिप्पणी में शब्द "निर्धारण" और "रह" के बीच में शब्द "से" जोड़ दिया गया है ।

(३) खंड २० के उपखंड (२) में शब्द "मांग" और "नोटिस" के बीच शब्द "की" के स्थान पर शब्द "का" रख दिया गया है ।

(४) खंड २१ की पंक्ति ६ में 'प्रवत्त' के स्थान पर शब्द 'प्रवृत्त' रख दिया गया है ।

(५) खंड २७ के उपखंड (२) की मद (क-१) को मद (क) के रूप में पुनरंकित कर दिया गया है और अनुवर्ती मदों को तदनुसार पुनरंकित कर दिया गया है ।

(६) अनुसूची की मद ६ की प्रथम पंक्ति में से शब्द "दरें इन प्रतिबन्धों के अधीन है कि" हटा दिये गये हैं तथा इसी मद में शब्द "नये" के बाद शब्द "पैसे" बढ़ा दिया गया है ।

———

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५८ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक, १९६३ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण ।

(१) खंड २ की पंक्ति १ में शब्द चिन्ह "में" के स्थान पर शब्द "की" रख दिया गया है ।

(२) खंड ४ के उपखंड (१) में प्रस्तावित नये खंड (कक) में शब्द "हो" के बाद सेमी-कोलन बढ़ा दिया गया है तथा उसके अन्त का शब्द "और" हटा दिया गया है ।

(३) खंड ४ के उपखंड (२) के अन्त में पूर्णविराम के स्थान पर चिन्ह और शब्द "और" रख दिये गये हैं ।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६० पर)

उत्तर प्रदेश विधि (नयी दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रति-स्थापन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश की कतिपय विधियों में, नयी दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम १—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधि (नयी दाशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियमों का संशोधन २—इस अधिनियम की अनुसूची के चौथे स्तम्भ में उल्लिखित अधिनियमितियां उक्त सूची के पांचवें स्तम्भ में उल्लिखित मात्रा में और रीति से संशोधन की जाती है।

अनुसूची

[धारा (२)]

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	संशोधन
१	२	३	४	५
१	१८५६	१२	सिविल कोर्ट्स अमीन्स ऐक्ट, १८५६	धारा ९ में शब्द "one anna" के स्थान पर शब्द "six naye Paise" रख दिये जायें।
२	१९१४	२	यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४	ऐक्ट की धारा १४ की उपधारा (१) में— (१) खंड (ए) में शब्द "one anna" और शब्द "three annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "six naye Paise" और शब्द "nineteen naye paise" रख दिये जायें; (२) खंड (बी) में शब्द "six pies" के स्थान पर शब्द "three naye Paise" रख दिये जायें, और

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	संशोधन
१	२	३	४	५
				(३) खंड (सी) में शब्द "one anna and three pies" के स्थान पर शब्द "eight naye paise" रख दिये जायें ;
३	१९१६	२	यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६	ऐक्ट की अनुसूची (Schedule) ५ में शब्द तथा अक्षर "Rs.a.p. के स्थान पर शब्द तथा अक्षर "Rs. nP." रख दिये जायें ।
४	१९२२	१०	यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२	(१) धारा १०९ में जहां भी शब्द" "three annas and nine pies" आये हों उनके स्थान पर शब्द "twenty-three naye paise" रख दिये जायें । (२) धारा १११ की उपधारा (१) में शब्द "Pies" के स्थान पर शब्द "naye paise" रख दिये जायें ; (३) धारा ११२ में-- (क) शब्द "number of pies' और शब्द "payable under section" के बीच में शब्द "or naye paise" बढ़ा दिये जायें ; (ख) खंड (एफ) में और तत्पश्चात् जहां भी शब्द "pies" आया हो उसके स्थान पर शब्द "naye paise" रख दिये जायें । (ग) शब्द "three quarters of a pie" के स्थान पर शब्द और अंक "25/64 naye paise" रख दिये जायें ; और (४) धारा ११४ के खंड (सी) में शब्द "four pies" के स्थान पर शब्द "two naye paise" रख दिये जायें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	संशोधन
१	२	३	४	५
५	१९४७	२३	यू० पी० मौलेसेजेज कन्ट्रोल ऐक्ट, १९४७	धारा ५ की उपधारा (३) में— (१) सूत्र में अंक तथा अक्षर "42/23 X" के स्थान पर अंक तथा अक्षर "22/144 X" रख दिये जायें ; (२) शब्द "annas" के स्थान पर शब्द "naye paise" रख दिये जायें; और (३) शब्द "pies" के स्थान पर शब्द "naye paise" रख दिये जायें।
६	१९४७	२६	यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७	धारा ३७ की उपधारा (१) के के खंड (ए) और (बी) मे जहां भी शब्द "one anna" आयें हों उनके स्थान पर शब्द "six naye paise" रख दिये जायें।
७	१९५२	३३	उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२	धारा ३ में— (१) द्वितीय तथा तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड में जहां भी अंक तथा शब्द "६ आना" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "सैंतीस नये पैसे" रख दिये जायें; और (२) चतुर्थ प्रतिबन्धात्मक खंड कें अंक तथा शब्द "१ आना" के स्थान पर शब्द "छः नये पैसे" रख दिये जायें :—
८	१९३४	२७	यू० पी० एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ ऐक्ट, १९३४	(१) अनुसूची ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"SCHEDULE V

Amount or value of the bond	Stamp duty	Registration fee	Copying fee
	Rs. nP.	Rs. nP.	Rs. nP.
Where the amount or value secured does not exceed Rs.50 ...	0. 06	0. 06	0. 19

Amount or value of the bond	Stamp duty	Registration fee	Copying fee
	Rs. nP.	Rs. nP.	Rs. nP.
Where it exceeds Rs.50 but does not exceed Rs.100 ...	0. 12	0. 12	0. 19
Where it exceeds Rs.100 but does not exceed Rs.200 ...	0. 25	0. 25	0. 25
Where it exceeds Rs.200 but does not exceed Rs.300 ...	0. 37	0. 37	0. 37
Where it exceeds Rs.300 but does not exceed Rs.400 ...	0. 50	0. 50	0. 50
Where it exceeds Rs.400 but does not exceed Rs.500 ...	0. 75	0. 75	0. 62
Where it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.600 ...	1. 62	2. 25	0. 75
Where it exceeds Rs.600 but does not exceed Rs.700 ..	2. 00	2. 25	0. 75
Where it exceeds Rs.700 but does not exceed Rs.800 ...	2. 37	2. 25	0. 75
Where it exceeds Rs.800 but does not exceed Rs.900 ...	2. 75	2. 25	0. 75
Where it exceeds Rs.900 but does not exceed Rs.1,000 ...	3 12	2. 25	0. 75
For every Rs.250 or part of Rs.250 above Rs.1,000 and up to Rs.3,000 ...	1. 00	0. 25	0. 00"

(२) अनुसूची ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

SCHEDULE VI

Schedule of Court fees payable on a plaint under section 33—

	Rs. nP.
If the principal of loan is less than Rs.100 ...	2.00
If the principal amount of loan is not less than Rs.100 but is less than Rs.250 ..	5.00
If the principal amount of loan is not less than Rs.250 but is less than Rs.500 ..	7.50
If the principal amount of loan is not less than Rs.500 but is less than Rs.1,000 ..	10.00
If the principal amount of loan is Rs.1,000 or above	15.00"

अनुवाद प्रदेश

उद्देश्य और कारण

देश में दशमिक सिक्का प्रणाली प्रचलित हो जाने से, यह प्रस्ताव है कि राज्य के अधिनियमों से आना, पाई या पैसों में व्यक्त किये गये निर्देशों को हटा दिया जाये और उन्हें इंडियन क्वायनेज ऐक्ट, १९०६ के उपबन्धों के अनुरूप कर दिया जाये ।

प्रस्तावित संशोधनों का अभिप्राय यह है कि विभिन्न अधिनियमों में नयी सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों को प्रतिस्थापित किया जाये ।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री ।

विधान सभा दर्दशा मेरठ

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६० पर)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९४७

कतिपय प्रयोजनों के निमित्त यूनाइटेड प्राविन्सेस (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९४७ की धारा १ का संशोधन

२—यूनाइटेट प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे 'मूल अधिनियय' कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (५) में संख्या "1963" के स्थान पर "1969" रख दिया जाय ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९४७ की धारा २ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २ में—

(१) खंड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(*b*) 'Court' means the Court of Munsif, or where there is no Munsif, the Court of Civil Judge, in whose territorial jurisdiction the accommodation lies ;"

(२) खंड (बी) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय—

"(*bb*) 'District Judge' means the District Judge in whose territorial jurisdiction the accommodation lies".

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९४७ की धारा ७ का प्रतिस्थापन

४—मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Appeals against orders of the Court.

"7. (1) An appeal from a decision of the Court under this Act shall lie to the District Judge within thirty days.

Act IX of 1908

(2) The provisions of sections 4, 5 and 12 of the Indian Limitation Act, 1908 shall be applicable to appeals under this Act".

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९४७ की धारा ८ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ८ में—

(१) उपधारा (१) में प्रथम वाक्य में शब्द " was requisitioned " और अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के बीच में शब्द "and deliver possession thereof to him " बढ़ा दिये जायं,

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय:—

"1-A) For purposes of delivery of possession of the accommodation under sub-section (1) the District Magistrate shall in the manner prescribed by rules evict or cause to be evicted all persons who might be in occupation of the accommodation at the time of its release from requisition, and in doing so he may use such force as may be necessary" ; और

(३) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय:—

"(5) Nothing in this section shall prevent the District Magistrate from releasing from requisition only a part of the accommodation":

Provided that where the District Magistrate releases from requisition only a part of the accommodation with the concurrence of the owner, the release shall be on such terms as to compensation or otherwise as may be agreed upon between him and the owner:

Provided further that where the release from requisition of only a part of accommodation is without the concurrence of the owner or where no agreement as specified in the first proviso as to the terms of the release is reached, such reduction, if any, shall be made in the compensation payable to the owner as may be determined by the Court on a reference made to it by the District Magistrate, and the provisions of sub-section (2) of section 6 shall *mutatis mutandis* apply to such reference".

६—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १० को उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय :—

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९४७ की धारा १० का संशोधन।

"(2) The owner shall not ordinarily be required to execute repairs at a cost exceeding one month's letting value of the accommodation in a year. If in the opinion of the District Magistrate the accommodation needs any special repairs and the aggregate cost of all repairs is in any year likely to exceed one month's letting value of the accommodation and the owner does not agree to carry out such repairs, the District Magistrate may refer the matter to the Court which shall make such order and on such terms, including those relating to payment of compensation, as it may consider necessary."

उद्देश्य और कारण

यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ की अवधि ३० सितम्बर, १९६३ को समाप्त होने वाली है। परन्तु मकानों की समस्या अब भी बड़ी विकट है। सरकारी कार्यकलापों का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ के अधीन कार्यालयों और कर्मचारिवर्ग के लिये आवास स्थान प्राप्त करना सदैव संभव नहीं है। अतएव सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवास स्थान अधिग्रहण करने के अधिकारों को जारी रखना आवश्यक है। राज्य विधि आयोग ने भी इस विधान पर विचार किया था और कई संशोधनों का सुझाव दिया था जिनमें से कुछ संशोधन सरकार ने स्वीकार कर लिये हैं।

तदनुसार, उक्त ऐक्ट की अवधि को छः वर्षों के लिये और बढ़ाने तथा उसमें कतिपय संशोधन करने के लिये उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३ पुरःस्थापित किया जा रहा है।

जगमोहनसिंह नेगी,
मन्त्री,
खाद्य तथा रसद विभाग।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६० पर)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ को उसकी अवधि बढ़ाने के प्रयोजनार्थ संशोधन करने के लिये

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३,१९४७

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

संक्षिप्त शीर्षनाम

२—यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "1963" के स्थान पर संख्या "1969" रख दिया जाय ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९४७ की धारा १ का संशोधन ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य और कारण

यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की अवधि ३० सितम्बर, १९६३ को समाप्त हो रही है। यद्यपि यह ऐक्ट मूलतः एक अस्थायी विधान के रूप में बनाया गया था, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम अगले कुछ वर्षों में उस परिस्थिति में, जिसके कारण यह ऐक्ट बनाने की आवश्यकता हुई कोई सुधार होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मकानों का निर्माण उस अनुपात में नहीं हुआ है जिस अनुपात में नागर क्षेत्रों की जन-संख्या बढ़ी है। आवास की कमी के कारण यह आवश्यक है कि उपलब्ध आवास को किराये पर उठाने के संबंध में नियन्त्रण रखा जाय तथा बेदखलियों पर प्रतिबन्ध जारी रखे जायं।

२—अतएव इस ऐक्ट की अवधि को ३० सितम्बर, १९६९ तक बढ़ाने के लिये यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९६३ पुरःस्थापित किया जा रहा है।

जगमोहनसिंह नेगी,
मंत्री,
खाद्य तथा रसद विभाग।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६० पर)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ को एतत्पश्चात् प्रकट होने वाले प्रयोजन के निमित्त संशोधन करने के लिये

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम

२—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका, अधिनियम, १९५९ की धारा ५८० की उपधारा (१) में शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा ५८० का संशोधन

उद्देश्य और कारण

इस छोटे संशोधन विधेयक को लाने का उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार कठिनाइयों को दूर करने की उन कुछ आज्ञाओं की अवधि बढ़ा सके जिन्हें उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५८० के अधीन जारी किया गया था और जो ३० सितम्बर, १९६३ को समाप्त होने वाला हैं। जब अधिनियम प्रचलित किया गया था तो उस समय ऐसी अनेक आज्ञायें जारी की गयीं थीं और उनमें से अधिकांश आज्ञाएं जो अस्थायी प्रकार की थीं, व्यपगत (lapse) हो चुकी हैं। केवल कुछ आज्ञाएं रह गयी हैं और उनका जारी रखा जाना आवश्यक है।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

विचित्रनारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन मन्त्री।

नत्थी 'अ'

(देखिये पृष्ठ ६० पर)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६०

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० को संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) इस अधिनियम की धारा १, ७ और ८ तुरन्त प्रचलित होगी और धारा २ से ६ तक, ३ सितम्बर, १९६० से प्रचलित हुई समझी जायगी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १६, १९६० की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२) यह अधिनियम ऐसे निबन्धों (endowments) पर, जो अब तक हुसेनाबाद इन्डाउमेन्ट ऐक्ट, १८७८ द्वारा शासित होते थे, ऐसे न्यासों (ट्रस्ट्स) पर, जिन्हें शाहनजफ ट्रस्ट की किंग्स साइड और क्वीन्स साइड कहा जाता है, ऐसे वक्फों पर जिन्हें वक्फ अब्बू साहब, रौजा काजमैन वक्फ और वक्फ वजीर बेगम, लखनऊ कहा जाता है और किसी ऐसे अन्य निबन्ध, न्यास या वक्फ पर, जो अब तक उक्त हुसेनाबाद इन्डाउमेन्ट ऐक्ट के अधीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित होते थे, भी लागू होगा, और ये सभी निबन्ध, न्यास (ट्रस्ट) तथा वक्फ इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये वक्फ समझे जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार को उपर्युक्त निबन्ध, न्यास और वक्फ पर इसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा कोई अनुकूलन (चाहे वे परिष्कार के रूप में हों, या परिवर्द्धन, अथवा लोप के रूप में) करने का अधिकार होगा जो वह उचित समझे, और जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के मूलतत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १६, १९६० की धारा ३, का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ के खंड (५) में—

(१) शब्द "या निबन्ध (endowment)" निकाल दिये जायं; और

(२) शब्द "ऐसे किसी निबन्ध" के स्थान पर शब्द "वक्फ" रख दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १६, १९६० की धारा १० का संशोधन ऐक्ट सं० १५, १८७८

४—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द तथा कामा "उन संपत्तियों पर नियन्त्रण तथा अधीक्षण, जो अब तक हुसेनाबाद इन्डाउमेन्ट ऐक्ट, १८७८ के अधीन शासित होती थी या तद्धीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित होती थी," के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २ की उपधारा (२) में अभिदिष्ट वक्फ, निबन्ध और न्यास पर नियन्त्रण तथा अधीक्षण," रख दिये जायं।

५—मूल अधिनियम की धारा १९ में— धारा १९ का संशोधन

(१) उपधारा (१) में शब्द "या निबन्धों" निकाल दिये जायं ; और

(२) उपधारा (२) के खंड (च) में शब्द "अब तक हुसेनाबाद इन्डाउमेंन्ट ऐक्ट, १८७८ द्वारा शासित वक्फों और उक्त ऐक्ट के अधीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित सम्पत्तियों से भिन्न वक्फों और वक्फ संपत्तियों" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २ की उपधारा (२) में अभिदिष्ट वक्फ, निबन्ध और न्यास से भिन्न वक्फ" रख दिये जायं। ऐक्ट संख्या १५, १८७८

६—मूल अधिनियम की धारा ४७ में— धारा ४७ का संशोधन

(१) उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "उन संपत्तियों से सम्बद्ध प्रशासन की योजना निश्चित करेगी जो अब तक हुसेनाबाद इन्डाउमेंट ऐक्ट १८७८ द्वारा शासित होती थी या जिनका प्रशासन तद्धीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा होता था" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २ की उपधारा (२) में अभिदिष्ट वक्फ, निबन्ध और न्यास से सम्बद्ध प्रशासन की योजना निश्चित करेगी" रख दिये जायं" और ऐक्ट संख्या १५, १८७८

(२) उपधारा (२) में शब्द "संपत्तियों" के स्थान पर शब्द "वक्फों, निबन्धों और न्यासों" रख दिये जायं।

७—धारा २ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन किये गये मूल अधिनियम के उपबन्धों के कोई अनुकूलन अथवा उक्त अधिनियम की धारा ४७ के अधीन निश्चित प्रशासन की कोई योजना अथवा तदधीन की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के अधीन किये गये अनुकूलन, निश्चित योजना या की गई कार्यवाही समझी जायगी, भले ही किसी न्यायालय के निर्णय, आज्ञा या डिगरी में कोई बात दी हो। अनुकूलनों और योजनाओं के निश्चय आदि का अपवाद

८—(१) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ निरस्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९६३ का निरसन

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम १४ अगस्त, १९६३ को प्रारम्भ हो गया था।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० की धारा २ की उपधारा (२), जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि यह अधिनियम हुसेनाबाद इन्डाउमेंट ऐक्ट, १८७८ द्वारा शासित संपत्तियों पर तथा उस ऐक्ट के अधीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित संपत्तियों पर भी प्रवृत्त होगा, अधिनियमित करते समय यह आशय था कि शाहनजफ ट्रस्ट के किंग्स साइड और क्वींन्स साइड की संपत्तियों सहित उन समस्त संपत्तियों को, जो १९६० के अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व, उक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित होती थीं, १९६० के नये अधिनियम के क्षेत्र (purview) के अन्तर्गत लाया जाय किन्तु उच्च न्यायालय ने शाहनजफ ट्रस्ट (किंग्स साइड और क्वींन्स साइड) से सम्बद्ध एक रिट याचिका (writ petition) पर निर्णय देते समय यह मत व्यक्त किया कि चूंकि इन ट्रस्टों का प्रबन्ध सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त प्रबन्धकों के रूप में ट्रस्टियों द्वारा किया जाता है, न कि हुसेनाबाद इन्डाउमेंट के ट्रस्टियों के रूप में, इसलिये १९६० के अधिनियम की धारा २ की उपधारा (२) के उपबन्ध शाहनजफ ट्रस्ट्स पर लागू नहीं होते। तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा ४७ के अधीन बनाई गई प्रशासन की योजना जहां तक उसका सम्बन्ध शाहनजफ ट्रस्ट्स से है, अवैध घोषित कर दी गयी।

उच्च न्यायालय द्वारा बतायी गई न्यूनता को दूर करने के निमित्त उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० की धारा २ की उपधारा (२) को संशोधित करने और उसकी अन्य संगत धाराओं में कतिपय आनुषंगिक संशोधन करने के उद्देश्य से अध्यादेश संख्या ४, १९६३ प्रख्यापित किया गया था। इस विधेयक का अभिप्राय उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मन्त्री।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६१ पर)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

कतिपय स्थानीय निकायों के कार्यकाल और कतिपय टाउन एरिया कमेटियों के अतिक्रमण की अविध को अस्थायी रूप से बढ़ाने की व्यवस्था करने के लिए;

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के चौदहवें बर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

२--इस अधिनियम में-- — परिभाषाएं

(क) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अर्थ में म्युनिसिपल बोर्ड या नोटीफाइड एरिया कमेटी या यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के अर्थ में टाउन एरिया कमेटी से है; — यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६, यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४

(ख) "पुन: संघटन" का तात्पर्य --

(१) म्युनिसिपल बोर्ड या नोटीफाइड एरिया कमेटी की दशा में यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ५६ के अधीन, — यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(२) टाउन एरिया कमेटी की दशा में यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ६-एच के उपबन्धों के अनुसरण में, — यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४

विज्ञप्ति द्वारा नये स्थानीय निकाय के संघटन से है;

(ग) नोटिफाइड एरियाज के सम्बन्ध में, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की किसी धारा का अभिदेश उस धारा का अभिदेश समझा जायगा जो उक्त ऐक्ट की धारा ३३८ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति द्वारा नोटिफाइड एरियाज पर प्रवृत्त हों। — यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

कतिपय स्थानीय निकायों के कार्यकाल को अस्थायी रूप से बढ़ाना

३--किसी स्थानीय निकाय का बढ़ाया गया कार्यकाल जो ३० जून, १९६४ से पहले समाप्त होने वाला है और जिसे यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ या यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के उपबन्धों के अधीन बढ़ाया नहीं जा सकता, उसके पुन: संघटन के दिनांक तक बढ़ा रहेगा, किन्तु ३० जून, १९६४ के बाद नहीं, और इस प्रकार बढ़ाये गये कार्यकाल का वही प्रभाव होगा मानों वह, यथास्थिति, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १०-ए की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड या यू० पी० टाउन एरियाज़ ऐक्ट, १९१४ की धारा ६ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन बढ़ाया गया हो। — यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४ यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४

कतिपय टाउन एरिया कमेटियों के अतिक्रमण की अवधि को अस्थायी रूप से बढ़ाना

४—जेवर, बहजोई और कुरावली टाउन एरिया कमेटियों के अतिक्रमण की अवधि, इन टाउन एरियाज के लिये कमेटियों के पुन: संघटन के दिनांक तक बढ़ी रहेगी, किन्तु ३० जून, १९६४ के बाद नहीं, और इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि का वही प्रभाव होगा जो यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ३६ की उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश का होता।

उद्देश्य और कारण

राज्य में अधिकांश नगरपालिका बोर्डों, टाउन एरिया कमेटियों और नोटिफाइड एरिया कमेटियों के अगले सामान्य निर्वाचन अक्तूबर-नवम्बर, १९६३ में होने को हैं। किन्तु निर्वाचन सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और इस में अवश्य ही कुछ और समय लगेगा। अक्तूबर-नवम्बर, १९५७ में हुए सामान्य निर्वाचन के फलस्वरूप संघटित इन स्थानीय निकायों का कार्यकाल कुल मिलाकर दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा चुका है और यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट तथा यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत उनके कार्यकाल को और आगे बढ़ाना संभव नहीं है। इसी प्रकार कुछ अतिक्रमित टाउन एरिया कमेटियां अपने अतिक्रमण की अधिकतम कालावधि शीघ्र ही पूरी कर लेंगी। स्थानीय निकायों का निर्वाचन अब अगले वर्ष के शुरू में होने की सम्भावना है। इसलिये वर्तमान प्रबन्ध को अल्पकालिक अवधि में जारी रखने के लिए एक विधेयक तैयार किया गया है।

तदनुसार यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

विचित्र नारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन मन्त्री।

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६१ पर)

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

यू० पी० श्री बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट, १९३९ को संशोधित करने के लिये;

यू० पी० ऐक्ट संख्या १६, १९३९

विधेयक

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश; १९६३ राज्यपाल द्वारा 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३ के अधीन प्रख्यापित किया गया था;

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९६३

और यह आवश्यक तथा इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम

२—यू० पी० श्री बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट, १९३९ की धारा ८ में अन्त के पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट संख्या १६, १९३९ की धारा ८ का संशोधन

"Provided that the State Government may, by notification in the *Gazette*, extend the term of the members and the President of the Committee, whether it has already expired or not, for a period not exceeding three months at a time and six months in the aggregate."

३—उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित हो।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९६३ का निरसन

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४

उद्देश्य और कारण

यू०पी० श्री बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट, १९३९ (यू० पी० ऐक्ट संख्या १६, १९३९) की धारा ८ में, नई कमेटी बन जाने के समय तक, श्री बद्रीनाथ टेम्पिल कमेटी के कार्यकाल को अन्तःकालीन व्यवस्था के रूप में भी, तीन वर्ष से आगे बढ़ाने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। टेम्पिल कमेटी के पुनर्गठन की प्रक्रिया वास्तव में लम्बी है और यह देखा गया है कि कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् और नई कमेटी के गठन होने के पूर्व; सदैव कुछ महीनों का अन्तर हो जाता है विशेष रूप से उस समय जब राज्य विधान मंडल का सत्र भी न हो रहा हो। इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८ में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि राज्य सरकार कमेटी के सदस्यों और प्रेसीडेन्ट के कार्यकाल को एक बार में तीन महीने से अनधिक और कुल मिलाकर छः महीने के लिये बढ़ा सके।

महावीर प्रसाद श्रीवास्तव,
स्वास्थ्य मंत्री।

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८० पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३

उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९६१

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ को संशोधित करने के लिये ;

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

उ०प्र० अधिनियम संख्या ९, १९६१ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा २ में—

(क) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(ग) 'इकाई' का तात्पर्य गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली ऐसी इकाई से है जो किसी रक्षित या अभ्यर्पित क्षेत्र में गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने में लगी हो या साधारणतया लगी रहती हो जो यंत्रशक्ति द्वारा चालित कोल्हू की सहायता से निकाले गये गन्ने के रस का प्रयोग करने में समर्थ हो ;"

उ०प्र० अधिनियम संख्या ९, १९६१ की धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(१) उपधारा (१) में—

(क) खंड (ख) में शब्द "प्रति क्विंटल गन्ने पर सोलह नये पैसे" के स्थान पर शब्द "प्रति क्विंटल गन्ने पर बत्तीस नये पैसे" रख दिये जायं;

(ख) इस उपधारा के अन्त के पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी इकाई की दशा में वास्तविक रूप से क्रय किये गये गन्ने की मात्रा पर या, इकाई के स्वामी के विकल्प पर गन्ने की उस मात्रा पर जो उपधारा (१-क) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा क्रय की गयी समझी जाय, कर देय होगा ।"

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधाराएं (१-क) और (१-ख) बढ़ा दी जायं :—

"(१-क) इकाइयों की पेराई की क्षमता तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रख कर राज्य सरकार गन्ने की ऐसी मात्रा नियत कर सकती है जो उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के प्रयोजनों के लिये, विभिन्न श्रेणियों की इकाइयों के स्वामियों द्वारा क्रय की गई समझी जायगी ;"

"(१-ख) इकाई के स्वामी द्वारा उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट विकल्प का ऐसे दिनांक तक और ऐसे प्रपत्र में जो नियत किया जाय, प्रयोग किया जायगा और वह पूरे कर-निर्धारण वर्ष के लिये होगा । एक बार प्रयोग किया गया विकल्प उस वर्ष के लिये अपरिवर्तनीय (irrevocable) होगा;"

(३) उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(५) इस अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण के आदेश या उपधारा (३) के अधीन ब्याज की मांग या उपधारा (४) के अधीन दंड के आरोपण से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, फैक्ट्री की दशा में गन्ना आयुक्त और इकाई की दशा में शक्कर आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी के समक्ष, जो शक्कर उप-आयुक्त के पद से नीचे के पद का न हो, और जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियुक्त करे, अपील कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि उसके साथ इस बात का संतोषजनक प्रमाण न हो कि अपीलकर्ता ने उसके द्वारा स्वीकार की गई देय धनराशि का या निर्धारित, अभियाचित या यथास्थिति, कर, व्याज अथवा दंड के रूप में आरोपित कुल धनराशि के कम से कम आधे के बराबर की धनराशि का, उसमें जो भी अधिक हो, भुगतान कर दिया है;"

(४) उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (५-क) बढ़ा दी जाय:—

"(५-क) अपीलीय प्राधिकारी, सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् अपील में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे और ऐसे आदेश की प्रति अपीलकर्ता, कर निर्धारण प्राधिकारी और ऐसे अन्य प्राधिकारी को भेजेगा, जो नियत किया जाय", और

(५) उपधारा (९) में, अंग्रेजी रूपान्तर में शब्द कोष्ठक तथा अंक "sub section (5)" के स्थान पर शब्द कोष्ठक तथा अंक "sub sections (9)" रख दिये जायें।

नयी धारा ३-क और ३-ख का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें ३-क और ३-ख बढ़ादी जायं :—

भूल सुधार

"(३-क) कोई कर निर्धारण प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी स्वतः या कर दाता अथवा राज्य सरकार के प्रार्थना-पत्र पर, जो उस आदेश के दिनांक से जिसे ठीक करना हो, एक वर्ष के भीतर दिया जायगा, ऐसी किसी भूल को सुधार सकता है जो यथास्थिति कर-निर्धारण या अपील में प्रत्यक्षतः स्पष्ट हो :

प्रतिबन्ध यह है कि सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ऐसा कोई भूल सुधार न किया जायगा।"

पुनरीक्षण

"(३-ख) फैक्ट्री की दशा में गन्ना आयुक्त, और इकाई की दशा में शक्कर आयुक्त या कोई अन्य अधिकारी, जो शक्कर आयुक्त द्वारा तदर्थ प्राधिकृत शक्कर उप-आयुक्त के पद से नीचे के पद का न हो इस अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश की वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के लिये, स्वतः या करदाता अथवा राज्य सरकार के प्रार्थना-पत्र पर जो आदेश के दिनांक से छः मास के भीतर दिया जायगा, कर-निर्धारण की किन्हीं कार्यवाहियों का अभिलेख मंगा सकता है और ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा प्रार्थना-पत्र किसी ऐसे पक्ष की प्रेरणा पर ग्रहण नहीं किया जायगा जिसे अपील करने का अधिकार था किन्तु जिसने उसका उपयोग नहीं किया ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस उपधारा के अधीन कर में वृद्धि नहीं की जायगी जब तक कि करदाता को वृद्धि के विरुद्ध सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया जाय।"

धारा ४ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

(१) उपधारा (१) के अन्त के सेमीकोलन के स्थान पर पूर्ण विराम रख दिया जाय और इस उपधारा का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय;

(२) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(२) उपधारा (१) के अधीन लाइसेंस देने या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र शक्कर आयुक्त को ऐसे दिनांक तक, व ऐसे प्रपत्र में तथा विलम्ब शुल्क के सहित, यदि कोई हो, ऐसे शुल्क के भुगतान के ऐसे प्रमाण के साथ दिया जायगा जो नियत किये जायं।

(३) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(३) लाइसेंस देने या नवीकरण के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र का निस्तारण शक्कर आयुक्त द्वारा शीघ्रता के साथ किया जायगा और सिवाय उस दशा के जब प्रार्थना-पत्र नियत दिनांक तक या नियत प्रपत्र में न दिया गया हो या किसी दशा में अपूर्ण हो या उसके साथ विलम्ब शुल्क सहित, यदि कोई हो, अपेक्षित शुल्क के भुगतान करने का प्रमाण न हो, या शक्कर आयुक्त की यह राय हो कि लोक-हित में—

(क) इकाइयों द्वारा गुड़ या राब बनाये जाने को विनियमित करने; अथवा

(ख) किसी क्षेत्र में इकाइयों को अलाभकर रूप में एकत्र न होने देने; अथवा

(ग) रक्षित या अभ्यर्पित क्षेत्रों में किसी फैक्टरी को गन्ने के पर्याप्त सम्भरण को सुनिश्तत करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है, अस्वीकृत नहीं किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंस दिये जाने या उसका नवीकरण करने के लिये प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण करते समय शक्कर आयुक्त निम्नलिखित पर भी विचार करेगा:—

(क) प्रार्थना-पत्र के दिनांक के पूर्व, इकाई को, यदि कोई हो चलाने में प्रार्थी का आचरण, जिसमें अधिनियम, व तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों और लाइसेंस की शर्तों का, यदि कोई हो, पूर्व उल्लंघन भी सम्मिलित है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन देयों का भुगतान करने में प्रार्थी द्वारा की गई चूक यदि कोई हो; और

(ग) वह कुल सतत् अवधि जिसके लिये प्रार्थी के पास, प्रार्थना-पत्र के दिनांक के पूर्व, लाइसेंस रहा हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि लाइसेंस के नवीकरण के लिये प्रार्थनापत्र तब तक अस्वीकार नहीं किया जायगा जब तक कि प्रार्थी को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया जाय;

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण करने का प्रार्थना-पत्र, कर-निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ होने तक या उस दिनांक से, जब प्रार्थना-पत्र दिया जाय, तीन मास के भीतर, इसमें जो भी पश्चातवर्ती हो, निस्तारित न किया जाय तो लाइसेंस यथास्थिति, दिया गया या नवीकृत किया गया समझा जायगा।

(४) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें (३-क) और (३-ख) बढ़ा दी जायं :—

"(३-क) शक्कर आयुक्त उपधारा (३) के अधीन प्राप्त सभी या किसी अधिकार को, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को जो शक्कर उप-आयुक्त के पद से नीचे के पद का न हो, प्रतिनिहिति कर सकता है।

(३-ख) राज्य सरकार का यदि यह समाधान हो जाय कि लोक-हित में, किसी क्षेत्र में फैक्टरियों को गन्ने का पर्याप्त सम्भरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवयश्क या इष्टकर है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में किसी इकाई को नया लाइसेंस नहीं दिया जायगा और न उसका नवीकरण किया जायगा, और जब ऐसा निदेश जारी कर दिया जाय तो उस क्षेत्र के संबंध में लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये कोई प्रार्थना पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा"; और

(५) उपधारा (६) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(६) यदि लाइसेंस गृहीता उसे दिये गये लाइसेंस को, उसके प्राप्त होने के एक मास के भीतर लौटा दे और लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसने किसी भी रीति से उसका उपयोग नहीं किया है तो वह जमा किये गये लाइसेंस शुल्क का तीन-चौथाई वापस पाने का हकदार होगा।"

धारा ५ का प्रतिस्थापन

६—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"५—इस अधिनियम के अधीन दिया गया या नवीकृत किया गया लाइसेंस ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो नियत की जायं और उस कर-निर्धारण वर्ष के लिये वैध होगा, जिसके संबंध में वह दिया गया या नवीकृत किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी समय दिया गया या नवीकृत किया गया लाइसेंस यस्थास्थिति, लाइसेंस दिये जाने या नवीकृत किये जाने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगा।"

धारा ६ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"६—(१) शक्कर आयुक्त, किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसे वह अधिनियम के अधीन करने के लिये प्राधिकृत

हो, किसी लाइसेंस को रद्द या निलम्बित कर सकता है, यदि लाइसेंस गृहीता ने—

(क) लाइसेंस दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के संबंध में त्रुटिपूर्ण सूचना दी हो या सारवान् तथ्यों को छिपाया हो ;

(ख) ऐसा लाइसेंस दिये जाने या नवीकरण किये जाने के संबंध में कोई कपट या मिथ्या निरूपण किया हो ;

(ग) अपने लाइसेंस की किसी शर्त या अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों को किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया हो; और

(घ) लाइसेंस प्रभावी होने के पश्चात् लगातार तीन महीने से अधिक अवधि तक, पर्याप्त कारणों के बिना इकाई को चालू न रक्खा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि शक्कर आयुक्त लाइसेंस रद्द या निलम्बित करने का कोई आदेश देने के पूर्व लाइसेंस गृहीता को सुनवाई का उचित अवसर देगा ।"

धारा ७ का प्रतिस्थापन

८—मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"७—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये शक्कर आयुक्त—

(क) फैक्ट्री या इकाई के स्वामी से ऐसे अभिलेख, आधार सामग्री (data) या सूचना रखने, देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जो नियत की जाय, और

(ख) यदि उसकी यह राय हो कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का अथवा लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन किया है या उसके द्वारा उल्लंघन किये जाने की संभावना है तो,

(१) किसी फैक्ट्री या इकाई के भू-गृहादि में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है ।

(२) गन्ने का रस, गुड़ या राब के, या उनसे निर्मित की जाने वाली किसी वस्तु के, बनाने या उत्पादन या संबद्ध किन्हीं उपकरणों या अभिलेखों को जब्त कर सकता है और उन्हें अपनी अभिरक्षा में ले सकता है, यदि उसे ऐसी जब्ती अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का या लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन करने का साक्ष्य की सुरक्षा के लिये आवश्यक प्रतीत हो, और

(३) इकाई पर अथवा यदि इकाई बिना लाइसेंस के चलाई जा रही हो तो गुड़ या राब बनाने की किसी प्रक्रिया में प्रयुक्त अभिकरणों पर, नियत रीति से मुहर लगा सकता है, और इस प्रकार मुहर लगाई गई इकाई या अभिकरण किसी व्यक्ति द्वारा तब तक प्रयुक्त नहीं किये जायेंगे जब तक कि मुहर विधिवत हटा न दी गई हो ।"

धारा ८ का प्रतिस्थापन

९—मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"८—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का या लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, या जानबूझ कर किसी ऐसे विषय के संबंध में, मिथ्या कथन करता है या मिथ्यापूर्ण विवरणी प्रस्तुत करता है, जिसके संबंध में उससे इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या लाइसेंस की शर्तों के अधीन सूचना देने की अपेक्षा की जाय तो वह, सिद्ध दोष ठहराये जाने पर, धारा ३ के अधीन स्थास्थिति, ब्याज या अर्थ दंड अथवा दोनों का भुगतान करने के उसके दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना किसी भी प्रकार के कारावास के दंड से दंडित होगा, जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ-दंड से दंडित होगा, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों से दंडित होगा और निरन्तर उल्लंघन करते रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त अर्थ-दंड का भागी होगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जब सिद्ध दोष ठहराये जाने के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहे, एक हजार रुपये तक हो सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी इकाई को चलाने के लिये, न्यायालय इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराते समय, विशेष या पर्याप्त कारणों के, जो उल्लिखित किये जायेंगे, न होने पर अर्थ-दंड सहित या बिना अर्थ-दंड के कारावास का दंड देगा।"

१०—मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— धारा ९ का प्रतिस्थापन

"९—(१) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम क अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि फैक्ट्री की दशा में गन्ना आयुक्त अथवा जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा, जिसके अधिक्षेत्र में फैक्ट्री स्थित हो या उनमें से किसी के प्राधिकार के अन्तर्गत हो और इकाई की दशा में शक्कर आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसके अधिक्षेत्र में इकाई स्थित हो ऐसा लिखित प्रतिवेदन न दिया जाय जिसमें ऐसे अपराध के तथ्य दिये हों।

(२) प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा।

(३) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के अधीन संज्ञेय और जमानत योग्य होगा। ऐक्ट संख्या ५, १८९८

(४) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये दोषारोपित व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर फैक्ट्री की दशा म, गन्ना आयुक्त या, गन्ना आयुक्त की सहमति से, सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट, और, इकाई की दशा में शक्कर आयुक्त या, शक्कर आयुक्त की सहमति से सम्बद्ध जिला मैजिस्ट्रेट, ऐसा अभिसंधान शुल्क (composition fee) आरोपित करके, जो पांच हजार रुपये से अधिक न होगा किसी भी स्थिति में उक्त अपराध का अभिसंधान (compound) कर सकता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गुड़ और राब खांडसारी एशोसियेशन ने इस आशय का एक प्रत्यावेदन दिया है कि अनेक बहियों को रखने और विवरणियां प्रस्तुत करने में होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से एक मुश्ती आधार पर क्रयकर की वसूली की व्यवस्था की जाय। परेशानियों को कम करने तथा अधिक राजस्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अगले कर-निर्धारण वर्ष (१९६३–६४) से एकमुश्ती उगाही की नई प्रथा चालू करने और उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट की धारा ७–ङ के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे कि इकाइयों के स्वामियों को क्रय-कर के बदले में वास्तविक रूप से क्रय की गयी गन्ने की मात्रा पर, या इकाई के स्वामी द्वारा क्रय की गयी गन्ने की कल्पित मात्रा पर एक मुश्ती उगाही का भुगतान करने का विकल्प मिल सके। इसके अतिरिक्त अधिनियम में कतिपय अनुवर्ती संशोधन, जैसा कि विधेयक के प्रारूप में सम वि ट है, करने का भी प्रस्ताव है।

२—भारत सरकार ने चालू वर्ष के लिये शक्कर के उत्पादन का लक्ष्य १५ लाख टन निश्चित किया है, जब कि हमारा पिछले वर्ष (१९६२–६३) का कुल उत्पादन केवल ८.५ लाख टन था। यह इष्टकर तथा आवश्यक समझा गया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सभी आ-श्यक कदम उठाये जायं और गुड़ तथा खांडसारी के उत्पादन के लिये गन्ने की बड़ी मात्रा में होने वाली निकासी को रोका जाय। शक्कर के नियंत्रित मूल्य की अपेक्षा गुड़ और खांड़सारी का वर्तमान बाजार मूल्य बहुत अधिक है, अतएव यह आवश्यक है कि शक्कर फैक्टरी के कम से कम १० मील के अर्द्ध व्यास में गुड़ और खांड-सारी बनाना अपेक्षाकृत मंहगा कर दिया जाये। तदनुसार, यह प्रस्ताव किया जाता है कि समस्त इकाइयों के संबंध में क्रय कर १६ नये पैसे से बढ़ा कर ३२ नये पैसे प्रति क्विंटल कर दिया जाय और बाद में, फैक्टरियों के भू-गृहादि से १० मील के अर्द्ध व्यास से अधिक दूरी पर स्थिति इकाइयों के संबंध में, इस कर में, मूल अधिनियम की धारा १४ (२) के अधीन १६ नये पैसे तक की छूट दे दी जाय। इस प्रयोजन के लिये विधि में संशोधन करना आवश्यक है।

३—अभ्यर्पित क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिये 'इकाई' की परिभाषा में संशोधन किया जा रहा है जिससे कि शक्कर का उत्पादन बढ़ाने के लिये शक्कर फैक्टरियों को उनके रक्षित और अभ्यर्पित दोनों ही क्षेत्रों से गन्ने का अधिक सम्भरण सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि यह पदार्थ विदेशी मुद्रा की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है।

उपर्युक्त उद्देश्यों से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—११७ एल० ए०—१९६३—८६०—(प्रो०)।